[ 2021 ] 15 एस. सी. आर 1

छोटे पैमाने के औद्योगिक उपकरण समाज (आर. ई. जी. डी.)

बनाम

भारत और अन्य का संघ

( 2020 की लिखित याचिका (सी) संख्या 476)

23 मार्च, 2021

[ अशोक भूषण, आर. सुभाष रेड्डी और एम. आर. शाह, जेजे।]

न्यायिक समीक्षा-आर्थिक नीतिगत मामले-कोविड-19 महामारी-औद्योगिक क्षेत्र द्वारा सामना किया जाने वाला वित्तीय तनाव-आर. बी. आई. और/या सरकार द्वारा आर. टी. राहत/नियामक पैकेजों पर नीतिगत निर्णय

- सीमित दायरे की न्यायिक समीक्षा आयोजित की गई: आर्थिक और राजकोषीय नियामक उपाय एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ न्यायाधीशों को बहुत सावधानी से अतिक्रमण करना चाहिए क्योंकि न्यायाधीश इन मामलों में विशेषज्ञ नहीं होते हैं-ज्ञान

और आर्थिक नीति की सलाह आमतौर पर न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी नहीं होती है-न्यायालय का कार्य वित्तीय और आर्थिक नीतियों से संबंधित मामलों में सलाह देना नहीं है जिनके लिए ऐसे निकाय हैं

आर. बी. आई. पूरी तरह से सक्षम है-अदालत केवल उस स्थिति में आर. बी. आई. द्वारा जारी किए गए कुछ या पूरे निर्देशों को रद्द कर सकती है जब यह संतुष्ट हो कि निर्देश पूरी तरह से अनुचित थे या संविधान/किसी कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन कर रहे थे-आर्थिक नीति के मामले सरकार पर छोड़ दिए जाने चाहिए-सरकार/आर. बी. आई. को विशेष राहत पैकेज/नीति की घोषणा/घोषणा करने या कुछ और राहत/पैकेज देने का निर्देश देने के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता है-केवल इसलिए कि कुछ वर्ग/क्षेत्र ऐसे पैकेज/नीतिगत निर्णयों से सहमत/संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, अदालतों को सामान्य रूप से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

नीतिगत निर्णय, जब तक कि इसे दुर्भावनापूर्ण, मनमानेपन, अन्याय आदि के आधार पर दोष नहीं दिया जा सकता है। - स्थगन अवधि के दौरान ब्याज की कुल छूट के साथ राहत की मांग करने वाली याचिकाएं प्रस्तुत करें; क्षेत्रवार राहत पैकेज; स्थगन अवधि को आगे बढ़ाना।

31.08.20 या परिपत्र में दिए गए समाधान तंत्र के आह्वान के लिए अंतिम तिथि का विस्तार, सभी नीतिगत निर्णयों के दायरे में हैं-यदि ऐसी राहत दी जाती है, तो यह बैंकिंग क्षेत्रों को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा और इसका दूरगामी वित्तीय प्रभाव होगा।

देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव-हालाँकि, वहाँ

अधिस्थगन के दौरान अवधि के लिए ब्याज/चक्रवृद्धि ब्याज/दंडात्मक ब्याज और पहले से ही किसी भी राशि पर ब्याज का कोई शुल्क नहीं होगा।



15 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसके तहत वसूल की गई राशि संबंधित उधारकर्ताओं को वापस कर दी जाए।

और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,32,226,227-आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत ऋण खाते की अगली किश्त में जमा/समायोजित किया जाएगा। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005। 3,6-14 , 23 , 35-37 - प्राकृतिक आपदाएँ; महामारी-निवेदन है कि कोई राष्ट्रीय योजना नहीं है

इसलिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अपने कर्तव्य का पालन करने में विफल रहा-आयोजित: इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता-इससे पहले भी एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना तैयार की जा चुकी है

कोविड-19 महामारी-राष्ट्रीय योजना के तहत, एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थागत तंत्र है-उक्त योजना में विभिन्न आपदाओं के प्रबंधन के लिए नोडल मंत्रालयों की भी परिकल्पना की गई है-कोविड-19 महामारी के कारण आपदा "जैविक आपात स्थितियों" के कारण आपदा के दायरे में आ जाएगी-महामारी की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए जिसका अखिल भारतीय स्तर पर प्रभाव पड़ेगा, सशक्त समूह एन. डी. एम. ए. द्वारा गठित किए गए थे-इसलिए, जब पहले से ही एक राष्ट्रीय योजना अस्तित्व में है, जो कोविड-19 महामारी से पहले भी तैयार की गई होगी, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि एन. डी. एम. ए. द्वारा कोई राष्ट्रीय योजना नहीं है-प्रत्येक आपदा के लिए, एक नई राष्ट्रीय योजना नहीं होगी।

शब्द और वाक्यांश-"मई"-आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 - एस. 13-हेल्ड: एस में प्रयुक्त शब्द। 13 "हो सकता है" और "नहीं होगा"-जबकि किसी विशेष प्रावधान की व्याख्या करते हुए, उपयोग की जाने वाली भाषा को पढ़ा जाना चाहिए-विधायिका ने जानबूझकर "हो सकता है" शब्द का उपयोग किया है, जिसका उपयोग समग्र रूप से अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य पर विचार करने के बाद किया जाता है और केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से, राज्य सरकार द्वारा, जिला स्तर पर जिला प्राधिकरण द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका-वर्तमान मामले में, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक पहले ही आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को ऋणों के पुनर्भुगतान या नए ऋण देने के लिए अलग-अलग पैकेज/राहत लेकर आ चुके हैं-कानूनों की व्याख्या।

आंशिक रूप से रिट याचिकाओं को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1.1 कई निर्णयों और बार-बार इस न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा के सीमित दायरे पर विचार किया है।

आर्थिक नीतियाँ महत्वपूर्ण हैं। इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों से, इस न्यायालय ने लगातार अवलोकन किया है और कहा है-न्यायालय शैक्षणिक मामलों पर बहस नहीं करेगा या व्यापार और वाणिज्य की पेचीदगियों से संबंधित नहीं होगा। यह न तो अदालत के छोटे पैमाने पर औद्योगिक प्रबंधन संगठन (आर. ई. जी. डी.) के अधिकार क्षेत्र में है।

भारत संघ [एम. आर. शाह, जे.]

1.2 आर्थिक गतिविधियों से संबंधित कानूनों को नागरिक अधिकारों को छूने वाले कानूनों की तुलना में अधिक अक्षांश के साथ देखा जाना चाहिए जैसे कि बोलने, धर्म आदि की स्वतंत्रता। न्यायालय का कार्य यह देखना है कि वैध प्राधिकरण का दुरुपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन उस प्राधिकरण को सौंपे गए कार्य को अपने लिए उपयुक्त नहीं बनाया जाता है। न्यायालय का कार्य वित्तीय और आर्थिक मामलों में सलाह देना नहीं है।

ऐसी नीतियाँ जिनके लिए भारतीय रिजर्व बैंक जैसे निकाय पूरी तरह से सक्षम हैं। अदालत आर. बी. आई. द्वारा जारी किए गए कुछ या पूरे निर्देशों को केवल तभी रद्द कर सकती है जब अदालत का समाधान हो कि निर्देश पूरी तरह से अनुचित थे या संविधान या किसी कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन कर रहे थे। अदालतों के लिए किसी अज्ञात रास्ते पर चलना खतरनाक और जोखिम भरा होगा और इस तरह का काम विशेषज्ञ निकायों पर छोड़ देना चाहिए। आर्थिक नीति के मामले सरकार पर छोड़ दिए जाने चाहिए। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सबसे अच्छा क्या है और किस तरीके से और किस हद तक वित्तीय राहत/पैकेज तैयार किए जाएं, पेश किए जाएं और लागू किए जाएं, यह अंततः सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विशेषज्ञों की सहायता और सलाह पर तय किया जाता है। यह विशेष रूप से केंद्र सरकार के प्रांत के भीतर निर्णय लेने का मामला है। इस तरह के मामले आमतौर पर न्यायिक समीक्षा की शक्ति को आकर्षित नहीं करते हैं। केवल इसलिए कि कुछ वर्ग/क्षेत्र ऐसे पैकेज/नीतिगत निर्णयों से सहमत और/या संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, न्यायालय, न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए, नीतिगत निर्णयों में सामान्य रूप से हस्तक्षेप नहीं करते हैं, जब तक कि ऐसी नीति को दुर्भावनापूर्ण, मनमानेपन, अन्याय आदि के आधार पर दोष नहीं दिया जा सकता है। उन कारणों की शुद्धता जिसने प्रेरित किया

न्यायिक समीक्षा में सरकार द्वारा दूसरे के बजाय एक कार्रवाई करने का निर्णय लेना चिंता का विषय नहीं है और अदालत इस तरह की जांच के लिए उपयुक्त मंच नहीं है। नीतिगत निर्णय सरकार पर छोड़ दिया जाना चाहिए क्योंकि वह अकेले [2021] 15 एस. सी. आर. कर सकती है।

विभिन्न कोणों से बिंदुओं पर विचार करने के बाद कौन सी नीति अपनाई जानी चाहिए। सरकार के निर्णय के औचित्य का आकलन करने में अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, भले ही सरकार से दूसरा विचार संभव हो। [ पैरा 14.1,

14.5 , 15 , 17 ] [ 76 - जी-एच; 77-सी-डी; 78-एफ-एच; 79-बी-सी]

आर. के. गर्ग बनाम भारत संघ (1981) 4 एससीसी 675: [ 1982 ] 1 एससीआर 947; अरुण कुमार अग्रवाल बनाम। भारत संघ ( 2013 ) 7 एससीसी 1: [ 2013 ] 3 एससीआर 508; पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड v. आर. बी. आई. (1992) 2 एस. सी. सी. 343: [ 1992 ] 1 एससीआर 406; एम. पी. बनाम राज्य नंदलाल जैसवाल, (1986) 4 एस. सी. सी. 566 [1987] 1 एस. सी. आर. 1; बाल्को

कर्मचारी संघ (विनियमित) v. भारत संघ, (2002) 2 एस. सी. सी. 333: [ 2001 ] 5 पूरक। एससीआर 511; नर्मदा बचाओ आंदोलन बनाम। भारत संघ, (2000) 10 एस. सी. सी. 664: [ 2000 ] 4 पूरक। एस. सी. आर. 94; प्राग आइस एंड ऑयल मिल्स बनाम। संघ का

भारत एयर 1978 एससी 1296: [ 1978 ] 3 एससीआर 293; पी. टी. आर. एक्सपोर्ट्स (मद्रास) पी. लिमिटेड बनाम भारत संघ (1996) 5 एस. सी. सी. 268 [1996] 2 पूरक। एस. सी. आर. 662-- पर निर्भर था।

मेट्रोपोलिस थिएटर कं. वी. शिकागो, 57 एल एड 730: 228

यू. एस. 61 (1913)-संदर्भित।

1.3 नीति की वैधता, न कि नीति की बुद्धिमत्ता या दृढ़ता, न्यायिक समीक्षा का विषय है। सरकारी नीति की न्यायिक समीक्षा का दायरा अब अच्छी तरह से परिभाषित है। अदालतें किसी नीति की शुद्धता, स्थिरता और उपयुक्तता की जांच करने वाले अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य नहीं करती हैं और न ही नीति के मामलों पर अधिकारियों के लिए अदालत के सलाहकार हैं जिन्हें अधिकारी तैयार करने के हकदार हैं। सरकार को अपनी प्राथमिकताएं खुद तय करनी होती हैं और विभिन्न क्षेत्रों को राहत देनी होती है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि महामारी ने पूरे देश को प्रभावित किया और कुछ क्षेत्रों को छोड़ दिया। हालाँकि, साथ ही, सरकार को विभिन्न क्षेत्रों/क्षेत्रों जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य, रोजगार, आम लोगों/प्रवासियों को भोजन और आश्रय प्रदान करने, प्रवासियों के परिवहन आदि में विभिन्न उपाय करने की आवश्यकता है और इसलिए, सरकार ने विभिन्न घोषणाएँ की हैं।

वित्तीय पैकेज/राहत। यहां तक कि सरकार को भी अभूतपूर्व कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के कारण नुकसान उठाना पड़ा और यहां तक कि जीएसटी के रूप में राजस्व का भी नुकसान हुआ। फिर भी, ऐसा लगता है कि सरकार विभिन्न राहत/पैकेज लेकर आई है।

सरकार की अपनी वित्तीय सीमाएँ हैं। इसलिए, सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक को विशेष राहत पैकेज की घोषणा/घोषणा करने और/या किसी विशेष नीति की घोषणा करने का निर्देश देने के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से जब अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कई जटिल मुद्दे उत्पन्न होंगे और देश की अर्थव्यवस्था पर समग्र प्रभाव क्या होगा जिसके लिए अदालतों के पास कोई विशेषज्ञता नहीं है और जो विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर राहत के रूप में राहत पैकेज/आर्थिक नीति की घोषणा करने के लिए सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक पर छोड़ दिया जाएगा।

इसलिए, परमादेश की कोई रिट जारी नहीं की जा सकती है। [ पारस 18,19] [79 डी-एच; 80-ए]

1.4 किसी भी राज्य या देश के पास अपनी किसी भी परियोजना पर खर्च करने के लिए असीमित संसाधन नहीं हो सकते। यही कारण है कि यह केवल वित्तीय राहतों/पैकेजों की घोषणा करता है जहां तक यह संभव है। अदालत सरकार द्वारा बनाई गई किसी भी राय में हस्तक्षेप नहीं करेगी यदि यह प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों पर आधारित है या विशेषज्ञ की सलाह पर आधारित है। जब सरकार अपनी नीति बनाती है, तो यह अपने संसाधनों पर आधारित बाधाओं सहित तथ्यों, कानून पर कई परिस्थितियों पर आधारित होती है। यह विशेषज्ञ की राय पर भी आधारित है। यह खतरनाक होगा यदि अदालत को हलफनामों पर निर्धारित तथ्यों के आधार पर नीति की उपयोगिता, लाभकारी प्रभाव या इसके मूल्यांकन का परीक्षण करने के लिए कहा जाता है। कल्याणकारी राज्य में कोई भी अधिकार निरपेक्ष नहीं हो सकता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह बड़ी संख्या में लोगों के सहयोग के बिना नहीं रह सकता। उपयोग किया जाने वाला प्रत्येक लेख कई लोगों का योगदान है। इसलिए प्रत्येक व्यक्तिगत अधिकार को बड़े पैमाने पर जनता के अधिकार को रास्ता देना होगा। संविधान के भाग III के तहत हर मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है और यह अनुमेय उचित प्रतिबंधों के भीतर होना चाहिए। यह मूलधन तब भी समान रूप से लागू होता है जब वित्तीय तंगी के कारण स्वास्थ्य बजट पर कोई बाधा आती है। यह मूल सिद्धांत है कि यह निर्धारित करना न्यायालय के वैध क्षेत्र के भीतर नहीं है कि क्या किसी विशेष नीतिगत निर्णय को निर्धारित की गई नीति से अलग किसी नीति को अपनाकर बेहतर तरीके से पूरा किया जा सकता है और केवल इस आधार पर अनुचित के रूप में खारिज किया जा सकता है कि प्रतिपादित नीति के उद्देश्य और उद्देश्य के कार्यान्वयन के लिए इसकी प्रभावशीलता के संबंध में अदालत की मंजूरी के साथ पूरा नहीं होता है। ऐसा नीतिगत निर्णय। क्या अधिस्थगन अवधि के दौरान ब्याज में छूट होगी या क्या क्षेत्रवार राहत पैकेज होंगे और/या भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश जारी करने चाहिए थे [2021] 15 एस. सी. आर.

जो क्षेत्र विशिष्ट हैं और ऐसे क्षेत्र विशिष्ट मुद्दों को संबोधित करते हैं और/या क्या अधिस्थगन अवधि को 31.08.2020 से आगे बढ़ाया जाना चाहिए या समाधान तंत्र के आह्वान के लिए अंतिम तिथि, अर्थात् 6.8.2020 परिपत्र में प्रदान की गई 31.12.2020 को बढ़ाया जाना चाहिए, ये सभी नीतिगत निर्णयों के दायरे में हैं। इतना ही नहीं, अगर इस तरह की राहत दी जाती है, तो यह बैंकिंग क्षेत्रों को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा और इसका दूरगामी वित्तीय प्रभाव पड़ेगा।

देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। [ पारस 20-22] [80-B D-G, H; 81-A-B]

1.5 अब जहां तक अधिस्थगन अवधि के दौरान ब्याज की छूट की मांग का संबंध है, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि बैंकरों/ऋणदाताओं को जमाकर्ताओं को ब्याज का भुगतान करना पड़ता है और जमा पर ब्याज का भुगतान करने का उनका दायित्व अधिस्थगन अवधि के दौरान भी जारी रहता है। वहाँ होगा

प्रशासनिक खर्च भी बैंकरों/ऋणदाताओं द्वारा वहन किए जाने की आवश्यकता होती है। जमाकर्ताओं को ब्याज का निरंतर भुगतान न केवल सबसे आवश्यक बैंकिंग गतिविधियों में से एक है, बल्कि यह बैंकों की एक बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वे अपने छोटे जमाकर्ताओं, पेंशनभोगियों आदि से प्राप्त ब्याज पर जीवन यापन करें।

जमा। कई कल्याणकारी निधि योजनाएं हो सकती हैं, श्रेणी विशिष्ट और क्षेत्र विशिष्ट जो बनी रह सकती हैं और हैं -

उनकी जमाओं से उत्पन्न ब्याज के बल पर लागू किया गया। ऐसी सभी कल्याणकारी निधियाँ अपने सदस्यों के अस्तित्व के लिए उनकी जमा राशि से उत्पन्न आय पर निर्भर करेंगी। इसलिए, अधिस्थगन अवधि के दौरान ब्याज की कुल छूट की ऐसी राहत देने के लिए एक दूरगामी वित्तीय स्थिति होगी।

कामत द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर स्वतंत्र रूप से विचार करना विशेषज्ञों से बनी समिति, अदालत के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। [ पैरा 23] [81-सी-एफ]

1.6 अब जहाँ तक याचिकाकर्ताओं की ओर से यह निवेदन है कि भारतीय रिज़र्व बैंक को ऐसे निर्देश जारी करने चाहिए थे जो क्षेत्र हैं

विशिष्ट और ऐसे क्षेत्र विशिष्ट मुद्दों को संबोधित करने का संबंध है, लघु स्केल औद्योगिक मैन्युफैक्चर एसोसिएशन (आर. ई. जी. डी.) v.

भारत संघ [एम. आर. शाह, जे.]

शुरुआत में, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि श्री के. वी. कामत की अध्यक्षता वाली समिति ने इस तरह के विशिष्ट क्षेत्र में काम किया था

बिजली, अचल संपत्ति और निर्माण सहित 26 क्षेत्रों के लिए सीमा। अन्यथा भी, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि प्रत्येक क्षेत्र को अलग-अलग नुकसान उठाना पड़ा होगा और इसलिए क्षेत्र

विशिष्ट/क्षेत्रवार राहत प्रदान करना संभव नहीं होगा। याचिकाकर्ता या तो छूट के माध्यम से क्षेत्र विशिष्ट राहत के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत वर्तमान कार्यवाही के माध्यम से ब्याज या पुनर्गठन और ऐसे वित्तीय तनाव प्रबंधन उपायों के प्रश्न के लिए कई वित्तीय मानकों और इसके प्रभाव की जांच और विचार की आवश्यकता है। अब जहाँ तक याचिकाकर्ताओं की ओर से निवेदन है कि

भारतीय रिजर्व बैंक और/या भारत संघ के वित्त विभाग द्वारा दी जाने वाली अधिसूचनाएं/परिपत्र/राहत अंततः बैंकरों पर छोड़ दी जाती हैं और इसे बैंकरों और बैंकों पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए था।

1.7 अब जहां तक याचिकाकर्ताओं की ओर से यह निवेदन है कि राहत पैकेज जो यू. ओ. आई./आर. बी. आई./द्वारा प्रदान किए जाते हैं। बैंकर/ऋणदाता पर्याप्त नहीं हैं और कुछ बेहतर और/या अधिक राहत की पेशकश की जानी चाहिए, इस तरह के निर्देश जारी करना अदालतों के न्यायिक दायरे में नहीं है। कुछ और राहत/पैकेज देने के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। अदालत आर्थिक नीतिगत फैसलों में इस आधार पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती कि या तो वे पर्याप्त या प्रभावी नहीं हैं और/या कुछ और [2021] 15 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस पर विचार करने और ध्यान में रखने की भी आवश्यकता है, जिस पर विशेषज्ञों द्वारा विचार किया जा सकता है और सरकार और अदालतों के पास वित्तीय बोझ का आकलन करने की विशेषज्ञता नहीं है। भारत संघ/भारतीय रिज़र्व बैंक और बैंकरों द्वारा घोषित विभिन्न कदमों/उपायों/नीतिगत निर्णयों/पैकेजों से यह नहीं कहा जा सकता है कि यू. ओ. आई. और/या भारतीय रिज़र्व बैंक ने उधारकर्ताओं पर कोविड-19 के प्रभाव से संबंधित मुद्दों को बिल्कुल भी संबोधित नहीं किया है। इस प्रकार, किसी भी याचिकाकर्ता ने यू. ओ. आई./आर. बी. आई. द्वारा लिए गए विभिन्न परिपत्रों/नीतिगत निर्णयों को विशेष रूप से चुनौती नहीं दी है। उधारकर्ता घोषित राहतों से कुछ अधिक चाहते हैं। केवल इसलिए कि यू. ओ. आई./आर. बी. आई. द्वारा घोषित राहत उपयुक्त नहीं हो सकती है। उधारकर्ताओं की इच्छाओं के अनुसार, कोविड-19 से संबंधित राहत/नीतिगत निर्णयों को मनमाना और/या भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाला नहीं कहा जा सकता है। यह नहीं कहा जा सकता कि

संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन और/या उल्लंघन किया जाता है। आर्थिक निर्णयों की आवश्यकता है व्यापक आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। [ पैरा 26] [82 एफ-एच; 83-ई-एच]

1.8 इसी तरह, राहत की मांग की गई कि स्थगन अवधि को बढ़ाया जाना चाहिए और/या इसके आह्वान की अंतिम तिथि बढ़ाई जानी चाहिए।

06.08.2020 परिपत्र के तहत प्रदान किए गए समाधान तंत्र अर्थात् 31.12.2020 का विस्तार किया जाना चाहिए, ये सभी नीतिगत निर्णयों के दायरे में हैं। अन्यथा भी, पात्र उधारकर्ताओं के लिए लगभग पाँच महीने उपलब्ध थे जब कोविड-19 से संबंधित संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए एक अलग समाधान तंत्र प्रदान करने के लिए 6.8.2020 दिनांकित परिपत्र अधिसूचित किया गया था। इसलिए, समाधान तंत्र को लागू करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था। इसलिए याचिकाकर्ताओं ने

(i) अधिस्थगन अवधि के दौरान ब्याज की कुल माफी; (ii) अधिस्थगन की अवधि बढ़ाने के लिए; (iii) समाधान तंत्र के आह्वान के लिए अवधि बढ़ाने के लिए, जिसका नाम 31.12.2020 है, जो लघु औद्योगिक प्रबंधन संगठन (REGD) के तहत प्रदान किया गया है, किसी भी राहत के हकदार नहीं होंगे। वी.

भारत संघ [एम. आर. शाह, जे.]

6.8.2020 परिपत्र; (iv) कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा क्षेत्रवार राहत प्रदान की जाएगी; और (v) कि केंद्र सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक को पहले से ही दिए गए राहत पैकेजों के अलावा कुछ और राहत प्रदान करनी चाहिए, जिन्हें निम्नलिखित दायरे में कहा जा सकता है - आर्थिक नीतिगत निर्णयों और ऊपर बताए गए कारणों और जैसा कि ऊपर देखा गया है, ऐसी किसी भी राहत को देने से देश की अर्थव्यवस्था पर दूरगामी वित्तीय प्रभाव पड़ेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि विभिन्न क्षेत्रों के लिए और आम लोगों के साथ-साथ उन व्यक्तियों के लिए जो कोविड-19 से प्रभावित हैं, जो सबसे अच्छी पेशकश की जा सकती है।

2.1 डी. एम. ए. 2005 के प्रासंगिक प्रावधानों को एक साथ पढ़ने पर, यह नहीं कहा जा सकता है कि सभी मंत्रालयों के कार्यों का निर्वहन एन. डी. एम. ए. द्वारा किया जाना है जो निर्णय लेना चाहिए। प्रत्येक मंत्रालय का क्षेत्र। यह भी नहीं कहा जा सकता है कि

मंत्रालयों के कार्य एन. डी. एम. ए. को हस्तांतरित किए जाएंगे और आपदा प्रबंधन के उद्देश्य से एन. डी. एम. ए. द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनका निर्वहन करना होगा। केंद्र सरकार के तहत विभिन्न मंत्रालयों को आपदा के प्रभावों को दूर करने के लिए अपने-अपने क्षेत्रों में विभिन्न राहत उपाय करने होते हैं। दलीलों से यह पता चलता है कि वास्तव में कोविड-19 महामारी से पहले ही एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना तैयार की जा चुकी है। राष्ट्रीय योजना के तहत एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान है

तंत्र, जिसे यहाँ ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है। उक्त योजना में विभिन्न आपदाओं के प्रबंधन के लिए नोडल मंत्रालयों की भी परिकल्पना की गई है। उदाहरण के लिए, यदि आपदा सूखे के कारण होती है, तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय नोडल एजेंसी होगा; यदि आपदा बाढ़ के कारण होती है, तो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय नोडल एजेंसी होगा और यदि आपदा "जैविक आपात स्थितियों" के कारण होती है, तो स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय नोडल एजेंसी होगा।

नोडल एजेंसी होगी। कोविड-19 महामारी के कारण आपदा "जैविक आपात स्थितियों" के कारण आपदा की चपेट में आ जाएगी। हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि कोविड-19 महामारी की आपदा ऐसी है

इसकी प्रकृति यह है कि इसे एक नोडल मंत्रालय तक सीमित नहीं रखा जा सकता है और जो भी उपाय/राहत लेने/देने की आवश्यकता है, वे प्रत्येक मंत्रालय द्वारा आवश्यक प्रत्येक दिन में प्रदान किए जाते हैं। इसलिए, विभिन्न मंत्रालयों द्वारा विभिन्न राहत/पैकेज प्रदान किए जाते हैं, जैसे कि रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, [2021] 15 एस. सी. आर.



स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आदि। ऐसा भी प्रतीत होता है कि महामारी की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, जिसका अखिल भारतीय प्रभाव होगा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अधिकार प्राप्त समूहों का गठन किया गया था। इसलिए, जब पहले से ही एक राष्ट्रीय योजना अस्तित्व में है, जो कोविड-19 महामारी से पहले भी तैयार की गई होगी, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि एन. डी. एम. ए. द्वारा कोई राष्ट्रीय योजना नहीं है। राष्ट्रीय योजना दीर्घकालिक और भविष्य में होने वाली आपदा के संबंध में भी होगी। प्रत्येक आपदा के लिए कोई नई राष्ट्रीय योजना नहीं होगी। राष्ट्रीय योजना व्यापक प्रकृति की होगी। जो पहले से मौजूद है। इसलिए, यह निवेदन कि कोई राष्ट्रीय योजना नहीं है और इसलिए एन. डी. एम. ए. अपने कर्तव्य का पालन करने में विफल रहा है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। [ पैरा 29] [90-डी-एच; 91-ए-डी]

2.2 अब जहाँ तक याचिकाकर्ताओं की ओर से यह निवेदन है कि एन. डी. एम. ए. धारा के तहत दिए गए अपने कर्तव्य का पालन करने में विफल रहा है। 13 शुरुआत में, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि धारा 13 में उपयोग किया गया शब्द "हो सकता है" और "होगा" नहीं है। कानून के तय किए गए प्रस्ताव के अनुसार, किसी विशेष प्रावधान की व्याख्या करते समय, उपयोग की जाने वाली भाषा को वैसे ही पढ़ा जाना चाहिए जैसे वह है। धारा 13 के निष्पक्ष अध्ययन पर, ऐसा प्रतीत होता है कि विधायिका ने जानबूझकर इस शब्द का उपयोग किया है

" हो सकता है "। इस "मई" का उपयोग समग्र रूप से अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य के साथ-साथ विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा रखी जाने वाली भूमिका, राज्य सरकार द्वारा रखी जाने वाली भूमिका, जिला स्तर पर जिला प्राधिकरण द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका पर विचार करने के बाद किया जाता है। वर्तमान मामले में, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को ऋणों के पुनर्भुगतान या नए ऋण देने के लिए पहले ही अलग-अलग पैकेज/राहत दे चुके हैं। यहां तक कि केंद्र सरकार ने भी वित्त मंत्रालय और भारतीय रिज़र्व बैंक के माध्यम से आपदा प्रभावित उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार योजनाओं/लाभों की बेहतर

पहुंच के लिए कारोबार सीमा में सुधार के लिए एमएसएमई की एक नई परिभाषा भी लेकर आई है। केंद्र द्वारा घोषित अन्य राहत भी हैं

सरकार। केंद्र सरकार ने भी मार्च से अगस्त, 2020 तक स्थगन की घोषणा की है। के तहत कार्यवाही

अधिस्थगन अवधि के दौरान आई. बी. सी. को भी निलंबित कर दिया जाता है। डी. एम. ए. 2005 के प्रावधानों के अनुसार, एन. डी. एम. ए. द्वारा कार्यों के निर्वहन की जिम्मेदारियां और कार्य छोटे पैमाने पर औद्योगिक प्रबंधन संगठन (आर. ई. जी. डी.) v होंगे।

भारत संघ [एम. आर. शाह, जे.]

अधिनियम की धारा 6 तक सीमित। हालांकि, जमीनी स्तर पर आपदा प्रबंधन और राहत उपाय करने होंगे -

केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकार के मंत्रालयों को आपदा की आवश्यकता के आधार पर और केवल ऐसे मामले में जहां एन. डी. एम. ए. संतुष्ट है कि पहले से घोषित राहत पर्याप्त नहीं हैं और/या धारा 13 में उल्लिखित राहत के संबंध में कोई कदम नहीं उठाए गए हैं, राष्ट्रीय प्राधिकरण ऋणों आदि के पुनर्भुगतान में राहत की सिफारिश करें। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय प्राधिकरण अधिनियम की धारा 13 के तहत अपने कर्तव्य का पालन करने में विफल रहा है। यह नोट किया जाना आवश्यक है और इसलिए भारत संघ की ओर से दायर 31.08.2020 दिनांकित हलफनामे में कहा गया है कि एन. डी. एम. ए. ने भी इसका संज्ञान लिया

आर. बी. आई. द्वारा जिन मुद्दों से निपटा जा रहा है और ओ. एम. दिनांक 28.08.2020 द्वारा दिए गए अपने "विचार और सिफारिशें" भेजी गई हैं और एन. डी. एम. ए. ने यह भी राय दी कि भारतीय रिजर्व बैंक वित्त मंत्रालय द्वारा जारी वित्तीय राहत पैकेजों के साथ-साथ अन्य राहत उपायों पर विचार करने और उन्हें ध्यान में रखने के बाद, जो पहले ही भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी/घोषित किए जा चुके हैं, आगे की राहत देने पर विचार कर सकता है। एन. डी. एम. ए. के "विचारों और सिफारिशों" को आर. बी. आई. को दिनांकित 31.08.2020 पत्र के माध्यम से सूचित किया गया था। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि एन. डी. एम. ए. ने कोई कदम नहीं उठाया है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अधिनियम की धारा 13 के अनुसार भी, राष्ट्रीय प्राधिकरण आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को ऐसे रियायती शर्तों पर ऋणों के पुनर्भुगतान या नए ऋण देने में राहत "दे सकता है" और "सिफारिश" कर सकता है।

उचित है। इसके बाद, "विचारों और सिफारिशों" के अनुसार

एन. डी. एम. ए. की ओर से, आर. बी. आई. समाधान रूपरेखा लेकर आया है और उसी के आधार पर ऋणदाता/बैंकर अपने निदेशक मंडल की मंजूरी प्राप्त करने के बाद नीतियों के साथ आए हैं। इस प्रकार, उपरोक्त से, यह नहीं कहा जा सकता है कि एन. डी. एम. ए. अधिनियम की धारा 13 के तहत अपने

कर्तव्य का पालन करने में विफल रहा है। उपरोक्त से यह भी नहीं कहा जा सकता है कि कोई राष्ट्रीय योजना अस्तित्व में नहीं है। [ पैरा 30,301.1-30.3] [91-D-H; 92-A-E; 93-B]

2.3 ऋणों के संबंध में ब्याज पर ब्याज नहीं लेने की राहत को प्रतिबंधित करने के लिए कोई औचित्य नहीं दिखाया गया है।

रु. 2 केवल करोड़ और वह भी गणना की गई श्रेणियों तक ही सीमित है। इसे रुपये तक सीमित करने का क्या आधार है? 2 करोड़ आने वाले नहीं हैं। इसलिए, इस तरह, [2021] 15 एस. सी. आर. को प्रतिबंधित करने का कोई औचित्य नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

रुपये तक के ऋण के संबंध में ऐसी राहत। 2 केवल करोड़। अन्यथा भी, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज/ब्याज की छूट/लाभ देने वाली दिनांकित 23.10.2020 योजना में पात्रता मानदंड शामिल हैं और यह प्रदान करता है कि कोई भी उधारकर्ता जिसकी ऋण देने वाली संस्था के साथ सभी सुविधाओं का योग रु। 2 करोड़ रुपये (स्वीकृत सीमा या बकाया राशि) उक्त योजना के तहत अनुग्रह भुगतान के लिए पात्र नहीं होंगे। इसलिए, यदि कुल एक्सपोजर

रुपये से अधिक होना चाहिए। 2 करोड़ और इस उद्देश्य के लिए सभी का कुल ऋण देने वाली संस्था के साथ सुविधाओं की गणना की जाएगी। इसलिए, उदाहरण के लिए, यदि किसी उधारकर्ता ने एमएसएमई श्रेणी का लाभ उठाया है और उस पर 500 करोड़ रुपये का व्यावसायिक ऋण बकाया है। 1.99 उसके क्रेडिट कार्ड पर भी करोड़ों रुपये का बकाया है। 1.10 लाख, जिससे कुल रु। 2.10 करोड़, यह अयोग्य है। इसलिए, उपरोक्त शर्तें मनमाना और भेदभावपूर्ण होंगी। अन्यथा भी, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज/ब्याज देय और देय किश्तों का भुगतान करने के लिए उधारकर्ता द्वारा जानबूझकर/जानबूझकर चूक करने पर प्रभार्य होगा। इसलिए, यह दंडात्मक ब्याज की प्रकृति में है। दिनांकित अधिसूचना द्वारा

27.03.2020 , सरकार ने अधिस्थगन अवधि के दौरान देय और देय किश्तों को स्थगित करने का प्रावधान किया है। एक बार जब दिनांकित परिपत्र के अनुसार किश्त का भुगतान स्थगित कर दिया जाता है 27.03.2020 , अधिस्थगन अवधि के दौरान किश्त का भुगतान न करना जानबूझकर नहीं कहा जा सकता है और इसलिए कोई प्रावधान नहीं है।

अधिस्थगन के दौरान अवधि के लिए ब्याज/चक्रवृद्धि ब्याज/दंडात्मक ब्याज पर ब्याज लेने का औचित्य। वर्तमान में

राहत की मांग करने वाली याचिकाएं, अर्थात् (i) अधिस्थगन अवधि के दौरान ब्याज की कुल माफी; (ii) अधिस्थगन की अवधि बढ़ाने के लिए; (iii) प्रस्ताव के आह्वान की अवधि बढ़ाने के लिए।

तंत्र, अर्थात् 31.12.2020 6.8.2020 के तहत प्रदान किया गया वृत्ताकार; (iv) लघु औद्योगिक प्रबंधन संगठन (आर. ई. जी. डी.) द्वारा क्षेत्रवार राहत प्रदान की जाएगी।

भारत संघ [एम. आर. शाह, जे.]

आर. बी. आई.; और (v) केंद्र सरकार/आर. बी. आई. को पहले से ही दिए गए राहत पैकेज के अलावा कुछ और राहत प्रदान करनी चाहिए। हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि मोहलत और किसी भी राशि के दौरान अवधि के लिए ब्याज/चक्रवृद्धि ब्याज/दंडात्मक ब्याज पर कोई ब्याज शुल्क नहीं लगेगा। पहले से ही एक ही शीर्ष के तहत वसूल किया गया, अर्थात्, ब्याज/दंडात्मक ब्याज/चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज को वापस कर दिया जाएगा।

संबंधित उधारकर्ताओं को और ऋण खाते की अगली किश्त में क्रेडिट/समायोजन दिया जाना। ये सभी याचिकाएं आंशिक रूप से हैं केवल उपरोक्त सीमा तक अनुमति दी गई है और जैसा कि इसके लिए देखा गया है

राहत, याचिकाएं खारिज कर दी जाती हैं। संबंधित उधारकर्ताओं के खातों को एन. पी. ए. के रूप में खाली घोषित नहीं करने के लिए पहले दी गई अंतरिम राहत। [ पैरा 31,31.1,32] [93-एफ-एच; 94-ए-ई, जी-एच; 95-ए-सी]

चरण लाल साहू बनाम। भारत संघ, (1990) 1 एस. सी. सी. 613

: [ 1989 ] 2 पूरक। एस. सी. आर. 597; यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन

सीमित वी। भारत संघ, (1991) 4 एस. सी. सी. 584: [ 1991 ] 1

पूरक। एससीआर 251; कैलाश चंद शर्मा बनाम। की स्थिति

राजस्थान, (2002) 6 एस. सी. सी. 562 [2002] 1 पूरक। एससीआर

317 ; एम. नागराज बनाम भारत संघ, (2006) 8 एस. सी. सी. 212 : [ 2006 ] 7 पूरक। एससीआर 336; रतन आर्य बनाम। टी. एन. राज्य (1986) 3 एस. सी. सी. 385: [ 1986 ] 2 एससीआर 596; राज्य डब्ल्यू. बी. वी.

अनवर अली सरकार [1952] एससीआर 284: ए. आई. आर. 1952 एससी 75; डी. एस. नकारा बनाम भारत संघ, (1983) 1 एस. सी. सी. 305:

[ 1983 ] 2 एस. सी. आर. 165; रूप चंद्र अदलखा बनाम। दिल्ली

विकास प्राधिकरण, 1989 सप. ( 1 ) एससीसी 116:

[ 1988 ] 3 पूरक। एससीआर 253; टी. एन. गोडावर्मन तिरुमुल्कपद बनाम। भारत संघ (1997) 2 एससीसी 267:

[ 1996 ] 9 पूरक। एससीआर 982; प्रदीप कुमार मैती बनाम।

चिनमय कुमार भुनिया (2013) 11 एस. सी. सी. 122: [ 2013 ] 7

एस. सी. आर. 117; चिन्नामार्काथियन बनाम। अय्यवू (1982) 1 एस. सी. सी.

159 [ 1982 ] 2 एस. सी. आर. 146; आधिकारिक परिसमापक बनाम। धर्ती

धन (पी) लिमिटेड (1977) 2 एस. सी. सी. 166: [ 1977 ] 2 एससीआर 964;

बच्चन देवी बनाम। नगर निगम, गोरखपुर (2008) 12

एससीसी 372: [ 2008 ] 2 एस. सी. आर. 424; दिल्ली प्रशासन बनाम।

उमराव सिंह (2012) 1 एससीसी 194: [ 2011 ] 11 एस. सी. आर. 838; भारत संघ बनाम। कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स कं. लिमिटेड (2017)

8 एससीसी 307: [ 2017 ] 4 एस. सी. आर. 324; रेलवे संघ

ऑफिसर्स एसोसिएशन बनाम। भारत संघ (2003) 4 एस. सी. सी. [2021] 15 एस. सी. ई



289 [ 2003 ] 2 एस. सी. आर. 1085; धामपुर चीनी (काशीपुर)

लिमिटेड वी. उत्तरांचल राज्य (2007) 8 एस. सी. सी. 418: [ 2007 ]

10 एससीआर 199; डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड बनाम। संघ का

भारत (1996) 10 एससीसी 104: [ 1996 ] 1 पूरक। एससीआर 825;

विलियनूर इयार्काई पडुकप्पु मैयम बनाम। , भारत संघ

( 2009 ) 7 एससीसी 561: [ 2009 ] 9 एस. सी. आर. 225; श्री सीताराम

शुगर कं. लिमिटेड बनाम भारत संघ (1990) 3 एससीसी 223:

[ 1990 ] 1 एस. सी. आर. 909-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

पैरा 3 (xviii)

[ 1989 ] 2 पूरक। एससीआर 597

संदर्भित किया गया है

[ 1991 ] 1 पूरक। एससीआर 251

पैरा 3 (xviii)

संदर्भित किया गया है

पैरा 3 (xix)

[ 2002 ] 1 पूरक। एससीआर 317

संदर्भित किया गया है

[ 2006 ] 7 पूरक। एससीआर 336

पैरा 3 (xix)

संदर्भित किया गया है

[ 1986 ] 2 एससीआर 596

संदर्भित किया गया है

पैरा 3 (xviii)

[ 1952 ] एससीआर 284

संदर्भित किया गया है

पैरा 3 (xviii)

[ 1983 ] 2 एससीआर 165

पैरा 3 (xviii)

संदर्भित किया गया है

[ 1988 ] 3 पूरक। एससीआर 253

पैरा 3

(XXIX)

संदर्भित किया गया है

[ 1996 ] 9 पूरक। एससीआर 982

पैरा 3

संदर्भित किया गया है

[ 2013 ] 7 एससीआर 117

संदर्भित किया गया है

पैरा 7.24। 3

[ 1982 ] 2 एससीआर 146

पैरा 7.24। 3

संदर्भित किया गया है

[ 1977 ] 2 एससीआर 964

संदर्भित किया गया है

पैरा 7.24। 3

[ 2008 ] 2 एससीआर 424

संदर्भित किया गया है

पैरा 7.24। 3

[ 2011 ] 11 एससीआर 838

संदर्भित किया गया है

पैरा 7.24। 3

[ 2017 ] 4 एससीआर 324

पैरा 7.24। 3

संदर्भित किया गया है

[ 2013 ] 3 एससीआर 508

उस पर भरोसा करें

पैरा 7.25

[ 1992 ] 1 एससीआर 406

उस पर भरोसा करें

पैरा 7.25।1

[ 2003 ] 2 एससीआर 1085

संदर्भित किया गया है

पैरा 7.25।2

[ 2007 ] 10 एससीआर 199

संदर्भित किया गया है

पैरा 7.25।3

[ 1987 ] 1 एससीआर 1

उस पर भरोसा करें

पैरा 7.25।4

[ 2001 ] 5 पूरक। एससीआर 511

उस पर भरोसा करें

पैरा 7.25।

4 लघु स्तरीय औद्योगिक उपकरण संगठन (विनियमन) v. भारत का संघ

[ 1996 ] 1 पूरक। एससीआर 825

संदर्भित किया गया है

पैरा 7.25।4

[ 2009 ] 9 एससीआर 225

संदर्भित किया गया है

पैरा 7.25।4

[ 2000 ] 4 पूरक। एससीआर 94

उस पर भरोसा करें

पैरा 7.25।4

[ 1982 ] 1 एससीआर 947

उस पर भरोसा करें

पैरा 7.25।4

[ 1990 ] 1 एससीआर 909

संदर्भित किया गया है

पैरा 9.3

[ 1978 ] 3 एससीआर 293

उस पर भरोसा करें

पैरा 9.3

[ 1996 ] 2 पूरक। एससीआर 662

उस पर भरोसा करें

पैरा 9.3

नागरिक मूल न्यायनिर्णय: लिखित याचिका (सिविल) सं।

476 2020 का

[ भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत]

के साथ

डब्ल्यू. पी. (ग) सं. 542/2020,945/2020,937/2020,1024/2020,1025 /

2020 , 1006/2020 , 959/2020 , 955/2020 , 506/2020 , 568/2020 , 606/2020 , 608 / 2020 , 711/2020 , 785/2020 , 802/2020 , 829/2020 , 826/2020 , 964/2020 , 1029 / 2020 , 1157/2020 , 1132/2020 , 1178/2020 , 1190/2020 और डब्ल्यू. पी. (ग) 2020 की डायरी सं. 12389।

रवींद्र श्रीवास्तव, सिद्धार्थ भटनागर, हुजेफा अहमदी,

मुकुल रोहतगी, हरीश साल्वे, वरिष्ठ अधिवक्ता। , कुणाल वाजानी, कुणाल मिमानी, शुभांग टंडन, अभिमन्यु भंडारी, सुश्री रूह-ए-हिना दुआ,

चैतन्य मदन, प्रांजल किशोर, अतुल शंकर विनोद, विजय रघुनाथन, दिनेश बालचंद्रन, एम. पी. विनोद, आशीष अग्रवाल, सुश्री शशि किरण, सुश्री संगीता भल्ला, सुश्री कीर्ति सिन्हा, अर्जुन चौधरी, आशीष विरमानी, हिमांशु धूपर, सुश्री निशी चौधरी, मंजीत कृपाल,

यशार्थ गुप्ता, चंद्र प्रकाश, बी. वी. बलराम दास, बी. रामना मूर्ति, कुमार दुष्यंत सिंह, देवेश चौविया, मुकुल लाठेर, सुश्री पूजा सिंह, सुश्री स्वाति सेतिया, शशांक कुंवर, सुश्री सोनिया दुबे, शतद्रु चक्रवर्ती, सुश्री कंचन यादव, अनुराग सिंह, सुश्री सुरभी आनंद, मैसर्स। कानूनी विकल्प, अनिल सोनी, हरीश पांडे, उत्सव त्रिवेदी, श्री. ? ? अभिनय, सुश्री प्रज्ञा वाल, हिमांशु सचदेवा, सुश्री सृष्टि

कुमार, सुश्री आस्था प्रसाद, ए. कार्तिक, सैयद जाफर आलम, शंख सेनगुप्ता, सुश्री टीना अब्राहम, सुश्री छवि जैन, महेश अग्रवाल, विजयेश अत्री, अंकुर सहगल, रोहन शर्मा ई. सी. अग्रवाल, संजय कपूर, वी. एम. कन्नन, संबित पांजा, सुश्री मेघा कर्णवाल, गौरव शर्मा, धवल मोहन, प्रतीक भाटिया, सुश्री अलंकृता सिन्हा, केशव [2021] 15 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मोहन, आर. के. अवस्थी, प्रशांत कुमार, पीयूष वातास, सुश्री रितु अरोड़ा, संतोष कुमार-I, M/s। लैम्बट एंड एसोसिएट्स, एम/एस। डी. एस. के. लीगल, एम. एस. मंजू जेटली, मनोज वी. जॉर्ज, सुश्री शिल्पा लिजा जॉर्ज, सुश्री.

भाविका, आशीष विरमानी, एम. पी. विनोद, श्रीमती अनिल कटियार, जिनेंद्र जैन, सुश्री शशि किरण, सुश्री मंजीत कृपाल, रमेश बाबू एम. आर., अभिकल्प प्रताप सिंह, अभिग्या कुशवाह, सुश्री सुनीता यादव, प्रदीप कुमार दुबे, सिद्धार्थ राजकुमार मुरारका, सुश्री अनामिका कुशवाह, सुश्री शशि किरण, अभिकल्प प्रताप सिंह, अभिज्ञान कुशवाह, अभिकल्प प्रताप सिंह, अभिज्ञान कुशवाह, अभिकल्प प्रताप सिंह, अभिज्ञान कुशवाह, अभिज्ञान प्रताप सिंह, अभिज्ञान प्रताप सिंह, अभिज्ञान प्रताप सिंह, अभिज्ञान प्रताप सिंह, अभिज्ञान प्रताप सिंह, अभिज्ञान प्रताप सिंह, अभिज्ञान प्रताप सिंह, अभिज्ञान प्रताप सिंह, अभिज्ञान प्रताप सिंह, अभिज्ञान प्रताप सिंह, अभिज्ञान प्रताप सिंह,

अभिज्ञान प्रताप सिंह, अभिज्ञान प्रताप सिंह, अभिज्ञान प्रताप सिंह, अभिज्ञान प्रताप सिंह, अभिज्ञान प्रताप सिंह, अभिज्ञान प्रताप सिंह, अभिज्ञान प्रताप सिंह, अभिज्ञान प्रताप सिंह, अभिज्ञान

नंदिता राव, सुश्री महिजा रेड्डी, के. एन. अग्निहोत्री, विरेंद्र अरोड़ा, एडीवीएस। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. लघु उद्योग द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत 2020 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 476 को प्राथमिकता दी गई है।

मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, हरियाणा ने भारत संघ और अन्य को कोरोना वायरस महामारी के कारण औद्योगिक क्षेत्र, विशेष रूप से एमएसएमई द्वारा सामना किए जा रहे वित्तीय तनाव को दूर करने के लिए प्रभावी और उपचारात्मक उपाय करने का निर्देश देने के लिए एक उचित रिट, निर्देश या आदेश के लिए कहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि रिट याचिकाकर्ता आर. बी. आई. द्वारा दिनांकित अधिसूचना 27.03.2020 के माध्यम से उठाए गए कदमों से संतुष्ट नहीं है। याचिकाकर्ता के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित कोविड-19 नियामक पैकेज अधिसूचना दिनांक 27.03.2020 के माध्यम से।

जहां तक ऋण की शर्तों का संबंध है, कार्यशील पूंजी सुविधाएं और तनावग्रस्त खाते का पुनर्गठन अपर्याप्त, अप्रभावी है और उद्योगों विशेष रूप से एमएसएमई को कोई पर्याप्त राहत, सहायता या सहायता प्रदान नहीं करता है। याचिकाकर्ता के अनुसार, उपरोक्त विनियामक पैकेज किसी भी तरह से एमएसएमई को नहीं बचाएगा और उन्हें अप्रत्याशित कारणों से हुए वित्तीय नुकसान से उबरने में मदद करेगा।

परिस्थितियाँ। उपरोक्त व्यापक शिकायतों के साथ, यह निम्नानुसार प्रार्थना की जाती है:

( क) प्रत्यर्थियों को निर्देश देते हुए कि वे ऋण देने वाले संस्थानों को उद्योगों, विशेष रूप से एम. एस. एम. ई. से सावधि ऋणों पर ब्याज घटक की वसूली न करने की अनुमति दें, अनिवार्य लिखित या उसकी प्रकृति में किसी अन्य रिट या निर्देश सहित रिट/रिट जारी करें और

तीन महीने के लिए उनके द्वारा ली गई कार्यशील पूंजी सुविधाएँ 01.03.2020 31.05.2020 तक;

( बी) प्रत्यर्थियों को निर्देश देते हुए, अनिवार्य लिखित या उसकी प्रकृति में किसी अन्य रिट या निर्देश सहित रिट/रिट जारी करें

ऋण देने वाले संस्थानों को सावधि ऋण के लिए ब्याज मुक्त अधिस्थगन अवधि देने की अनुमति दें और 01.03.2020 से 31.05.2020 तक तीन महीने के लिए कार्यशील पूंजी सुविधाओं पर ब्याज की वसूली न करें; लघु स्तरीय औद्योगिक उपकरण संगठन (विनियमन) v.

भारत संघ [एम. आर. शाह, जे.]

( ग) प्रत्यर्थियों को निर्देश देते हुए, आदेश पत्र या उसकी प्रकृति में किसी अन्य रिट या निर्देश सहित रिट/रिट जारी करें - दबावग्रस्त खातों के पुनर्गठन की अनुमति दें;

( घ) प्रत्यर्थियों को छह महीने की अवधि के लिए हर महीने की 20 तारीख से हर महीने की 30 तारीख तक जी. एस. टी. जमा करने की तारीख बढ़ाने का निर्देश देते हुए, अनिवार्य रिट या उसकी प्रकृति में किसी अन्य रिट या निर्देश सहित रिट/रिट जारी करें;

( ई) प्रत्यर्थियों को निर्देश देते हुए, आदेश पत्र या उसकी प्रकृति में किसी अन्य रिट या निर्देश सहित रिट/रिट जारी करें - लंबित जी. एस. टी. राशियों को वापस करें और एम. एस. एम. ई. उद्योगों के लिए सरकारी खर्चों के भुगतान के लिए लंबित जी. एस. टी. राशियों का उपयोग करें।

1 ए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत 2020 की रिट याचिका (सिविल) No.542 को याचिकाकर्ताओं द्वारा प्राथमिकता दी गई है-क्रेडाई

महाराष्ट्र चैंबर्स ऑफ हाउसिंग इंडस्ट्री और एक अन्य, जिसे रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए और उसकी ओर से दायर किया गया है, ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांकित 27.03.2020 अधिसूचना को इस प्रार्थना के साथ चुनौती दी है कि ऐसा ही हो सकता है।

अधिस्थगन अवधि (जिसे 1 मार्च, 2020 से 31 अगस्त, 2020 के बीच घोषित किया गया है) के दौरान ऋण राशि पर ब्याज वसूलने की सीमा तक अधिकार से बाहर घोषित किया गया है। इसलिए, इस रिट याचिका में मुख्य शिकायत यह है कि अधिस्थगन अवधि के दौरान सावधि ऋण के बकाया हिस्से पर ब्याज नहीं लिया जाए। 1 बी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत 2020 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 945 के माध्यम से, याचिकाकर्ता, एक अभ्यास

अधिवक्ता ने एक उचित रिट, निर्देश या आदेश के लिए अनुरोध किया है जिसमें भारत सरकार-वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक को अधिस्थगन अवधि को 31 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाने का निर्देश दिया गया है, जिसे अंत में अधिसूचना दिनांक 23.05.2020 के माध्यम से बढ़ाया गया था।

1 सी। अनुबंध कैरिज ऑपरेटरों द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत 2020 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 937 को प्राथमिकता दी गई है।

आर. बी. आई. द्वारा अधिस्थगन अवधि के दौरान ब्याज वसूलने की सीमा तक जारी की गई 27.03.2020 दिनांकित अधिसूचना को रद्द करने के लिए संगठन। यह भी प्रार्थना की जाती है कि आर. बी. आई. को मोहलत की अवधि को छह और बढ़ाने का निर्देश दिया जाए।

महीनों तक, याचिकाकर्ता संगठन के सदस्यों द्वारा लिए गए ऋणों पर कोई ब्याज लगाए बिना। 1 डी। याचिकाकर्ता द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत 2020 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 1024 को प्राथमिकता दी गई है।

कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई), [2021] 15 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

छत्तीसगढ़ में निजी रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए और उनकी ओर से,

आर. बी. आई. द्वारा अधिस्थगन अवधि के दौरान ऋण राशि पर ब्याज वसूलने की सीमा तक जारी की गई 27.03.2020 की अधिसूचना को भी चुनौती दी। यह एक उचित रिट, निर्देश या आदेश के लिए भी प्रार्थना की जाती है जिसमें उत्तरदाताओं-भारत संघ को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005, विशेष रूप से उक्त अधिनियम की धारा 12 और 13 के अनुसार आपदा प्रभावित व्यक्तियों को राहत के पर्याप्त उपाय करने का निर्देश दिया जाए।

अधिनियम, विशेष रूप से एक अच्छी तरह से सूचित और तैयार नीति के माध्यम से उधारकर्ताओं/आपदा प्रभावित व्यक्तियों द्वारा लिए गए सभी प्रकार के ऋणों पर ऋण और/या ब्याज की माफी के संबंध में राहत के लिए।

1 ई. भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत 2020 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 1025 को छत्तीसगढ़ स्पंज द्वारा प्राथमिकता दी गई है।

आयरन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिनांक 27.03.2020 की अधिसूचना को चुनौती दी है, जिसे दिनांक 23.05.2020 की अधिसूचना के माध्यम से इस हद तक बढ़ाया गया है कि वह अधिस्थगन अवधि के दौरान ऋण राशि पर ब्याज लेता है। यह भी प्रार्थना की जाती है कि भारत संघ और अन्य को आपदा प्रबंधन की भावना के अनुसार आपदा प्रभावित व्यक्तियों को कदम उठाने/राहत प्रदान करने का निर्देश दिया जाए

एक्ट करें। 1 एफ. 2020 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 1006 को एक व्यक्ति मेसर्स सुपरटेक द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत प्राथमिकता दी गई है।

आर. बी. आई. और राष्ट्रीय आवास बैंक को सभी बैंकों/वित्तीय संस्थानों/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अपनी परियोजनाओं पर याचिकाकर्ता द्वारा लिए गए सभी ऋण खातों का पुनर्गठन करने और 2017 के रिट याचिका (सिविल) संख्या 940 (आम्रपाली समूह मामले) में पारित इस न्यायालय के निर्णय के अनुच्छेद 28 से 30 के आलोक में संवितरण की तारीख से अंतिम पुनर्भुगतान तक 8 प्रतिशत साधारण

ब्याज पर पुनर्भुगतान की गणना करने और घर खरीदारों के हितों की रक्षा करने का निर्देश देने के लिए एक उचित रिट, निर्देश या आदेश के लिए सीमित।

1 जी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत 2020 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 959 को स्व-वित्त पोषण संघ द्वारा प्राथमिकता दी गई है। तकनीकी संस्थान और अन्य एक उपयुक्त रिट, निर्देश या

भारत संघ-वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य को याचिकाकर्ताओं-बैंकों और वित्तीय संस्थानों की सभी वित्तीय देनदारियों को फ्रीज करने वाले अपने सदस्यों को इस तरह की वित्तीय राहत प्रदान करने का निर्देश देने वाला आदेश। यह भी प्रार्थना की जाती है कि एक वर्ष की अवधि के लिए या उस समय तक के लिए लगाए गए दंडात्मक ब्याज को माफ किया जाए जब तक कि महामारी को छोटे पैमाने पर औद्योगिक प्रबंधन संगठन (आर. ई. जी. डी.) v.



कम करें। यह भी प्रार्थना की जाती है कि भारत संघ-वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक को वित्तीय संस्थानों को 500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त ऋण सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया जाए। 2 कोविड-19 महामारी के दौरान वेतन लागत और अन्य ओवरहेड्स को पूरा करने के लिए याचिकाकर्ताओं के प्रत्येक सदस्य संस्थानों को बिना ब्याज के रु। इसके अलावा यह भी प्रार्थना की जाती है कि वित्तीय संस्थानों को बिना किसी शैक्षणिक वर्ष के लिए ऋण की किश्तों को पुनर्निर्धारित करने का निर्देश दिया जाए।

अवैतनिक अवधि के लिए ब्याज पर ब्याज का प्रभार। 1 एच. भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत 2020 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 955 को क्रेडाई-एचआर द्वारा और के लिए प्राथमिकता दी गई है।

अचल संपत्ति क्षेत्र की ओर से एक उचित रिट के लिए उत्तरदाताओं-भारत संघ, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य को अपने सदस्यों को ऐसी वित्तीय राहत प्रदान करने का निर्देश देते हुए, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रति ऐसे सदस्यों की सभी वित्तीय देनदारियों को फ्रीज करना। यह भी प्रार्थना की जाती है कि भारतीय रिजर्व बैंक को सभी बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, आवास वित्त कंपनियों और अन्य वित्तीय संस्थानों को बिना किसी भेदभाव या वर्गीकरण के सभी ऋण खातों में अनिवार्य रूप से लागू करने का निर्देश दिया जाए।

1 आई. भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत 2020 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 506 को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा प्राथमिकता दी गई है।

अधिस्थगन अवधि के दौरान ऋण राशि पर ब्याज वसूलने की सीमा तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिनांक 27.03.2020 की अधिसूचना को चुनौती देना।

1 जे. भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत 2020 की रिट याचिका (सिविल) डायरी संख्या 12389 को खरीदारी केंद्रों द्वारा प्राथमिकता दी गई है। भारतीय संघ (एस. सी. ए. आई.) अपने सदस्यों के लिए और उनकी ओर से जो मॉल और शॉपिंग सेंटरों में काम कर रहे हैं, आर. बी. आई. द्वारा जारी की गई अधिसूचना को चुनौती देते हुए अधिस्थगन अवधि के दौरान ऋण राशि पर ब्याज वसूलने की सीमा तक। यह भी प्रार्थना की जाती है कि स्थगन अवधि को अगस्त, 2020 से आगे बढ़ाया जाए। अदालती शुल्क और नोटरीकृत शपथपत्रों के भुगतान से छूट के लिए भी एक आवेदन दायर किया गया है। उक्त प्रार्थना आवेदन के खंड 3 के संदर्भ में अनुमत है।

1 के. भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत 2020 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 568 को क्रेडाई-एमसीएचआई, मुंबई द्वारा प्राथमिकता दी गई है।

इसके सदस्यों के लिए और उनकी ओर से-एक के लिए अचल संपत्ति डेवलपर्स

वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही के अंत तक मार्च, 2020 तक देय इसकी किश्तों के संबंध में ब्याज की माफी के लिए उचित रिट, निर्देश या आदेश। यह भी प्रार्थना की जाती है कि भारतीय रिजर्व बैंक और वित्तीय संस्थानों को [2021] 15 एस. सी. आर. की प्रकृति में वित्त का अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जाए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अतिरिक्त ऋण अनुदान, कार्यशील पूंजी सुविधाएं, गारंटीकृत आपातकालीन क्रेडिट लाइन और निर्माण वित्त आदि।

11. भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत 2020 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 606 को एक व्यक्ति द्वारा भी चुनौती दी गई है। आर. बी. आई. द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 27.03.2020

1 एम. एसोसिएशन ऑफ पावर द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत 2020 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 608 को प्राथमिकता दी गई है। निजी बिजली डेवलपर्स के लिए और उनकी ओर से निर्माता और अन्य

भारत में, एक उपयुक्त रिट, निर्देश या आदेश के लिए देश में बिजली संयंत्रों का स्वामित्व रखने वाले भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देने वाले संस्थानों को दिनांक 1 की अधिसूचना के संदर्भ में अधिस्थगन अवधि के दौरान अर्जित ब्याज पर ब्याज नहीं लेने के लिए निर्देश जारी करने का निर्देश देते हैं। यह भी प्रार्थना की जाती है कि आर. बी. आई. को 31.03.2021 पर समाप्त होने वाली छह महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए ब्याज और मूलधन पर रोक बढ़ाने का निर्देश दिया जाए, जिसमें याचिकाकर्ता के किसी भी सदस्य को नहीं माना जाए। 1 चूककर्ता के रूप में। यह भी प्रार्थना की जाती है कि भारतीय रिज़र्व बैंक को ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा जारी ब्याज दरों को क्रेडिट रेटिंग से तब तक अलग करने का

निर्देश दिया जाए जब तक कि कोविड-19 महामारी के कारण बिजली क्षेत्र पर पड़ने वाला दबाव कम न हो जाए। कोविड-19 और लॉकडाउन के कारण निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूरा करने में देरी के कारण निर्माणाधीन परियोजनाओं की अनुसूचित वाणिज्यिक संचालन तिथि को बढ़ाने की अनुमति देने के लिए ऋणदाताओं को एक विशेष व्यवस्था प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश देने की भी प्रार्थना की जाती है।

"मानक" परिसंपत्ति वर्गीकरण को बनाए रखते हुए एक और वर्ष। यह भी प्रार्थना की जाती है कि उत्तरदाताओं को गैर को शामिल करने का निर्देश दिया जाए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपनी अधिसूचना दिनांक 27.03.2020 में दी गई राहत के हिस्से के रूप में परिवर्तनीय डिबेंचर, साथ ही साथ कोई अन्य कोविड-19 संबंधित राहत जो दी जा सकती है।

1 एन. भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत 2020 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 711 को कोयंबटूर ज्वैलरी द्वारा प्राथमिकता दी गई है।

निर्माता संघ अपने सदस्यों के लिए और उनकी ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अधिसूचना के उस हिस्से को घोषित करेगा, जिसे अधिसूचना द्वारा विस्तारित किया गया है, क्योंकि यह अधिस्थगन अवधि के दौरान ऋण राशि पर ब्याज वसूल करता है।

यह भी प्रार्थना की जाती है कि लघु औद्योगिक उपकरण संगठन (आर. ई. जी. डी.) v. भारत संघ [एम. आर. शाह, जे.]

भारत संघ और भारतीय रिज़र्व बैंक को पुनर्भुगतान में राहत प्रदान करने का निर्देश देना। अधिसूचना दिनांक 27.03.2020 द्वारा घोषित अधिस्थगन अवधि के दौरान ब्याज नहीं लेते हुए ऋण, अधिसूचना दिनांक 23.05.2020 द्वारा आगे बढ़ाया गया। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए के साथ पठित धारा 21 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए किश्तों/ब्याज के भुगतान पर स्थगन अवधि को 18 महीने की और अवधि के लिए बढ़ाने का भी अनुरोध किया जाता है।

10. भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत 2020 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 785 को क्रेडाई तमिलनाडु द्वारा प्राथमिकता दी गई है।

एक वर्ष की अवधि के लिए या महामारी को कम करने में लगने वाले समय तक ब्याज/दंडात्मक ब्याज की छूट के लिए। यह भी प्रार्थना की जाती है कि उत्तरदाताओं को सदस्यों को ऐसी वित्तीय राहत प्रदान करने का निर्देश दिया जाए जिन बैंकों और वित्तीय संस्थानों से याचिकाकर्ता संघ के सदस्यों ने ऋण लिया है, उनके प्रति ऐसे सदस्यों की सभी वित्तीय देनदारियों को छह महीने की आगे की अवधि के लिए फ्रीज करने सहित। यह भी प्रार्थना की जाती है कि उत्तरदाताओं को अचल संपत्ति परियोजनाओं के सभी खातों के लिए एक बार के पुनर्गठन सहित ऐसी वित्तीय राहत प्रदान करने का निर्देश दिया जाए जो 31.12.2019 पर मानक थे।

1 पी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत 2020 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 802 को कपड़ा और बुना हुआ कपड़ा संगठन द्वारा प्राथमिकता दी गई है।

एसोसिएशन आर. बी. आई. द्वारा जारी दिनांक 27.3.2020 और 23.05.2020 अधिसूचनाओं को चुनौती देता है क्योंकि यह अधिस्थगन अवधि के दौरान ऋण राशि पर ब्याज वसूलने की सीमा तक अल्ट्रा वायर्स है। यह भी प्रार्थना की जाती है कि वे बैंकों और वित्तीय संस्थानों को तीन साल की अवधि के लिए मूलधन/ब्याज के देय भुगतान पर ब्याज नहीं लेने का निर्देश दें।

मिल्स एसोसिएशन ने भी दिनांकित 27.03.2020 अधिसूचनाओं को चुनौती दी और 23.05.2020 स्थगन अवधि के दौरान ब्याज वसूलने की सीमा तक।

1 आर. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत 2020 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 826 को फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल द्वारा प्राथमिकता दी गई है।

और वाणिज्यिक संगठन (एफ. आई. सी. ओ.) ने भी अधिस्थगन अवधि के दौरान ऋण राशि पर ब्याज वसूलने की सीमा तक 27.03.2020 की अधिसूचना को चुनौती दी। यह भी प्रार्थना की जाती है कि प्रत्यर्थी-भारतीय रिज़र्व बैंक को बैंकों और वित्तीय संस्थानों को सभी देय भुगतान करने का निर्देश दिया जाए। सहनशीलता अवधि की समाप्ति के बाद तीन साल की अवधि में मूलधन/ब्याज, उस पर कोई ब्याज लिए बिना।



1 एस. भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत 2020 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 964 को छत्तीसगढ़ लघु द्वारा प्राथमिकता दी गई है और

सहायक उद्योग संघ अपने सदस्यों के लिए और उनकी ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अधिसूचना के हिस्से को घोषित करता है, जैसा कि अधिसूचना द्वारा विस्तारित किया गया है, जिसमें अधिस्थगन अवधि के दौरान ब्याज और ब्याज (दंडात्मक ब्याज) पर ब्याज भी लिया जाता है।

अधिस्थगन अवधि के दौरान ऋण राशि पर ब्याज वसूलने की सीमा तक 27.03.2020 और 23.05.2020 दिनांकित अधिसूचनाएँ। 1 यू। भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत 2020 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 1157 को छत्तीसगढ़ उद्योग द्वारा प्राथमिकता दी गई है।

महासंघ ने अधिस्थगन अवधि के दौरान ऋण राशि पर ब्याज/ब्याज (दंडात्मक ब्याज) वसूलने की सीमा तक 27.03.2020 और 23.05.2020 की अधिसूचनाओं को भी चुनौती दी है। यह भी प्रार्थना की जाती है कि भारत संघ को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की भावना के अनुसार आपदा प्रभावित

व्यक्तियों को राहत के पर्याप्त और प्रभावी उपाय करने का निर्देश दिया जाए, विशेष रूप से उक्त अधिनियम की धारा 12 और 13 की शर्तें, और ऐसी राहत जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एक अच्छी तरह से सूचित और तैयार नीति के माध्यम से उधारकर्ताओं/आपदा प्रभावित व्यक्तियों द्वारा लिए गए सभी प्रकार के ऋणों पर ऋण और/या ब्याज की उपयुक्त माफी शामिल है।

1 वी. लिखित याचिका (सिविल) सं। 1132 भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत 2020 और 2020 के 1178 को छत्तीसगढ़ द्वारा प्राथमिकता दी गई है

होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन और रायपुर ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (आर. ए. डी. ए.) ने 2020 की रिट याचिका (सी) संख्या 1157 में की गई समान राहत के लिए अनुरोध किया है।

1 डब्ल्यू। भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत 2020 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 1190 को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा प्राथमिकता दी गई है -

फैबवर्थ प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड ने 10 ए और 10 बी में उल्लिखित सीमा तक 06 अगस्त, 2020 के आर. बी. आई. परिपत्र को चुनौती देने वाले भारत संघ-वित्त मंत्रालय और आर. बी. आई. और अन्य को एक उपयुक्त रिट, निर्देश या आदेश के लिए निर्देश दिया। यह भी प्रार्थना की जाती है कि ऋण देने पर कोई अतिरिक्त ब्याज या किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क न लिया जाए।

6 अगस्त, 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक के कोविड-19 समाधान ढांचे के तहत एक समाधान योजना को मंजूरी देते समय अतिरिक्त वित्त प्रदान करने के लिए संस्थान, जिनमें शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

इसके अलावा एक छोटे पैमाने के औद्योगिक संचालन संगठन (आर. ई. जी. डी.) के लिए भी प्रार्थना की जाती है। भारत संघ [एम. आर. शाह, जे.]

उचित रिट, उत्तरदाताओं को राहत तैयार करने का निर्देश देने वाला आदेश

आतिथ्य क्षेत्र के लिए प्रभावी प्रावधान करने के लिए पैकेज/नीति, जिसमें मौजूदा संविदात्मक ब्याज दरों या किसी भी प्रकार के अतिरिक्त शुल्क पर किसी भी अतिरिक्त ब्याज के भुगतान के बिना अतिरिक्त ऋण, कार्यशील पूंजी सुविधाएं, गारंटीकृत आपातकालीन ऋण लाइन आदि की प्रकृति में वित्त का अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध कराना शामिल है, लेकिन यह सीमित नहीं है।

उनकी संबंधित याचिकाओं को मोटे तौर पर चार भागों में विभाजित किया जा सकता है, अर्थात् (1) अधिस्थगन अवधि के दौरान चक्रवृद्धि ब्याज/ब्याज पर छूट; (2) अधिस्थगन अवधि के दौरान कुल ब्याज की छूट। अवधि; (3) अधिस्थगन अवधि का विस्तार; और (4) क्षेत्रवार आर्थिक पैकेज/राहत होगी।

संबंधित याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुतियाँ

3. श्री रवींद्र श्रीवास्तव, रिट याचिका (सी) संख्या में संबंधित याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश होने वाले विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता। 964 / 2020 , 1024/2020 , 1025/2020 , 1132/2020 , 1157/2020 और 1178/2020 ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं:

i) कि इस न्यायालय को राहत के दायरे को सीमित नहीं करना चाहिए और केवल चक्रवृद्धि ब्याज की छूट के लिए निर्देश देना चाहिए जो अत्यधिक प्रतिबंधित ब्याज दर तक सीमित है।

उधारकर्ताओं के वर्ग का खंड। यह प्रस्तुत किया जाता है कि

(ii) कोविड-19 महामारी अपने आप में एक अभूतपूर्व इतिहास की आपदा है। इसमें निस्संदेह आपदा प्रबंधन की आवश्यकता है। (iii) कि "आपदा प्रबंधन" को संसद द्वारा अधिनियमित कानून की वैधानिक व्यवस्था के तहत ही संबोधित किया जाना चाहिए और किया जा सकता है। "आपदा प्रबंधन" के पहलू पर विशेष कानून के पूरा काम करने के बाद ही कार्यकारी प्रतिक्रिया का सवाल अमल में आएगा।



ऐसा कोई तरीका नहीं है कि कोविड-19 की आपदा से उत्पन्न होने वाले मुद्दों को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (इसके बाद "डी. एम. ए. 2005" के रूप में संदर्भित) के तहत मार्ग की यात्रा किए बिना संबोधित किया जा सके;

iv) कि डी. एम. ए. 2005 के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में विशेष रूप से कहा गया है कि डी. एम. ए. 2005 को आपदा प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वयन की तैयारी और निगरानी के लिए आवश्यक संस्थागत तंत्र प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया है, जिससे आपदाओं के प्रभावों की रोकथाम और उन्हें कम करने के लिए सरकार की विभिन्न शाखाओं द्वारा उपाय सुनिश्चित किए जा सकें और एक समग्र, समन्वित और त्वरित प्रतिक्रिया दी जा सके।

किसी भी आपदा की स्थिति में। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया है कि यह आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन और उससे जुड़े या आकस्मिक मामलों के लिए प्रावधान करने वाला एक अधिनियम है। v) कि अधिनियम की धारा 72 के प्रावधान के कारण, जो इसे अधिस्थापक प्रभाव से सहमत करता है, डी. एम. ए. 2005 एक विशेष कानून है और

अपने आप में एक पूर्ण कोड;

डी. एम. ए. 2005 के प्रावधानों का अवलोकन केवल वैधानिक अधिकारियों पर कानूनी और वैधानिक कर्तव्य लागू करता है जिन्हें आपदा और इसके प्रभाव से पीड़ित लोगों के व्यथित समुदाय के हित में कानूनी दायित्व का पालन करना होता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि राहत और रियायतों के अनुदान

और दर्द को कम करने के लिए उपाय अपनाने के मामले में और आपदा की पीड़ा, वैधानिक अधिकारी अपने कार्य और कानूनी कर्तव्य के लिए बिल्कुल नहीं उठे हैं;

vii) यह प्रस्तुत किया जाता है कि कोविड-19 महामारी अधिनियम की धारा 2 (डी) के अर्थ के भीतर एक "आपदा" है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि न केवल आपदा लेकिन यह अधिनियम की धारा 13 के विचार के भीतर एक "गंभीर परिमाण की आपदा" है। भारत के क्षेत्र के भीतर मानव जाति पर आने वाली किसी भी आपदा के लिए "आपदा प्रबंधन" को कई स्तर के अधिकारियों द्वारा किए जाने की आवश्यकता होती है जैसा कि अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है; राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सबसे प्रमुख, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी प्रतीत होता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि "आपदा प्रबंधन" अधिनियम की धारा 2 (ई) में परिभाषित किया गया है; लघु स्तरीय औद्योगिक उपकरण संगठन (विनियमन) v.

भारत संघ [एम. आर. शाह, जे.]

जो "के लिए आवश्यक और समीचीन हैं। किसी भी आपदा या इसकी गंभीरता या परिणामों का जोखिम। कि जो मुद्दे उत्पन्न होते हैं वे पूरी तरह से "आपदा प्रबंधन" के अर्थ और आयाम के भीतर आते हैं जो संविधान की धारा 2 (ई) के तहत वैधानिक रूप से अनिवार्य है।

अधिनियम;

ix) कि "शमन" शब्द को धारा 2 (i) में परिभाषित किया गया है और "संसाधन" शब्द को डी. एम. ए. की धारा 2 (पी) में परिभाषित किया गया है।

2005 ;

x) कि वर्तमान मामले में आपदा प्रबंधन के लिए कदम अधिनियम के तहत वैधानिक अधिकारियों द्वारा नहीं उठाए गए हैं,

जो कानून के तहत अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए वैधानिक अधिकारियों को कार्रवाई में लाने के लिए आदेश जारी करने का एक स्पष्ट और सरल मामला बनाता है;

xiv) कि अधिनियम की धारा 13 इन याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों के लिए अधिक विशिष्ट और सीधे प्रासंगिक है। संसद इस तथ्य से अवगत है कि गंभीर परिमाण की आपदा की घटना अनिवार्य रूप से ऋणकर्ताओं की ऋण चुकाने की क्षमता और क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है और 'आपदा से प्रभावित व्यक्तियों' [2021] 15 एस. सी. आर.

जीवित रहने के लिए नए ऋण अनुदान की आवश्यकता हो सकती है। गंभीर आपदा के मामलों में होने वाली ऐसी आकस्मिकता से अवगत होने के कारण, राष्ट्रीय प्राधिकरण को ऋणों के पुनर्भुगतान या प्रभावित व्यक्तियों को नए ऋण देने में "राहत की सिफारिश" करने का कानूनी कर्तव्य सौंपा गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि रियायती शर्तों पर ऋण के भुगतान या नए ऋणों के अनुदान में जो राहत होगी, वह राष्ट्रीय प्राधिकरण का अनन्य अधिकार क्षेत्र और प्राधिकरण है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिनियम की धारा 13 के तहत परिकल्पित राहत सार्थक और ठोस होनी चाहिए; यह तर्कसंगत विचार पर आधारित होनी चाहिए न कि एक मामूली राशि पर। राष्ट्रीय प्राधिकरण पर लगाए गए कर्तव्य के कानूनी और वफादार निर्वहन के लिए प्राधिकरण को कम से कम परिमाण की गंभीरता और अनुपात में लोगों की संख्या और वर्ग की आवश्यकता और राहत की सटीक प्रकृति का अनुभवजन्य अध्ययन करने की आवश्यकता होगी जो प्रासंगिक डेटा के संग्रह और विशेषज्ञों द्वारा अध्ययन करने के बाद ही संभव है।

xv) वह धारा 13 जो राष्ट्रीय प्राधिकरण पर ऋणों के पुनर्भुगतान और/या अनुदान के मामले में राहत की सिफारिश करने का कर्तव्य डालती है।

रियायती शर्तों पर नए ऋण से कोई अंतर नहीं पड़ता है।

'आपदा से प्रभावित व्यक्तियों' के वर्ग के बीच। आपदा से प्रभावित व्यक्तियों का वर्ग एक एकीकृत वर्ग है क्योंकि कोविड-19 महामारी ने प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित किया है, अंतर कुछ हद तक हो सकता है। धारा 13 आपदा से प्रभावित सभी व्यक्तियों को ऋणों के पुनर्भुगतान आदि के मामले में राहत प्रदान करने का इरादा रखती है और किसी भी वर्गीकरण को स्वीकार नहीं करती है। हालांकि यह कानून की न्यूनतम योजना है, राष्ट्रीय प्राधिकरण ने ऋणों के पुनर्भुगतान में राहत और/या आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को ऐसी रियायती शर्तों पर नए ऋण देने के संबंध में कोई सिफारिश नहीं की है जो उचित हो। कानूनी कर्तव्य का पालन करने में राष्ट्रीय प्राधिकरण की ओर से पूरी तरह से निष्क्रियता रही है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि डी. एम. ए. 2005 की धारा 13 के तहत राष्ट्रीय प्राधिकरण की किसी भी सिफारिश को इस न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाया गया है।

xvi) कि कुछ उपाय जो किए जाने का सुझाव दिया गया है, वे केवल कार्यकारी उपाय हैं और इसके प्रावधानों के उल्लंघन हैं। डी. एम. ए. 2005 की धारा 12 और 13। उन उपायों को धारा 12 और 13 की आवश्यकताओं के प्रतिस्थापन में नहीं पढ़ा जा सकता है। अधिनियम की धारा 12 या 13 के तहत सिफारिशें करने का एकमात्र और अनन्य अधिकार केवल राष्ट्रीय प्राधिकरण है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिनियम के स्पष्ट प्रावधान को ध्यान में रखते हुए लघु औद्योगिक प्रबंधन संगठन (आर. ई. जी. डी.) v बनाने का कर्तव्य सौंपा गया है।

आपदा से प्रभावित व्यक्तियों के लिए राहत प्रदान करने की सिफारिशें राष्ट्रीय प्राधिकरण पर हैं। यू. ओ. आई. की ओर से मामले में दिनांक 31.08.2020 के हलफनामे के पैराग्राफ 29 में कहा गया है कि वित्तीय क्षेत्र में राहत/उपायों की जांच और निगरानी मंत्रालय द्वारा की जा रही है। वित्त के मामले में एन. डी. एम. ए. ने कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि अपने स्वभाव से, उसके पास सामान्य रूप से राष्ट्र और विशेष रूप से बैंकिंग क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता को प्रभावित करने वाले जटिल नीतिगत निर्णयों से निपटने में विशेषज्ञता नहीं हो सकती है, यह न केवल गलत, अस्वीकार्य है, बल्कि एन. डी. एम. ए. के सर्वोच्च निकाय के लिए अनुचित है।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए एन. डी. एम. ए. ने कदम नहीं उठाया है

अधिनियम की धारा 13 के तहत स्पष्ट अधिदेश। यह प्रस्तुत किया जाता है कि केंद्र और राज्य दोनों के स्तर पर पूरी कार्यकारी सरकार राष्ट्रीय प्राधिकरण के नियंत्रण में है और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में राष्ट्रीय प्राधिकरण की सहायता के लिए कार्य करने के लिए बाध्य है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि राष्ट्रीय प्राधिकरण एक विशेषज्ञ निकाय नहीं है जो अस्वीकार्य है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि राष्ट्रीय प्राधिकरण के पास अपने कानूनी कर्तव्यों का पालन करने के लिए अन्य निकायों से सहायता लेने की सभी शक्तियां हैं। आपदा प्रबंधन के कार्य में क्षमता निर्माण और संसाधनों का संवर्धन भी शामिल है जिन पर राष्ट्रीय प्राधिकरण काम कर सकता है। धन के मामले में संसाधनों की कमी न तो कोई जवाब है और न ही व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए डी. एम. ए. के तहत अपने कर्तव्यों और दायित्वों का पालन नहीं करने का बहाना है।

आपदा से प्रभावित;

xvii) कि वित्त मंत्रालय और भारतीय रिज़र्व बैंक को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, लेकिन उनकी भूमिका केवल राहत के उपायों को तैयार करने में राष्ट्रीय प्राधिकरण की सहायता और सहायता करने के लिए है और हो सकती है। वास्तविक निर्णय और उस पर आधारित ऋण देने वाले संस्थानों सहित विभिन्न हितधारकों के लिए सिफारिशें पूरी तरह से राष्ट्रीय प्राधिकरण का अधिकार क्षेत्र और अधिकार है, जिसे न तो अधिकार क्षेत्र और न ही प्रत्यायोजित किया जा सकता है और न ही

त्याग कर दिया। वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार किए गए उपायों के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण की मंजूरी और मंजूरी होनी चाहिए, जिसके पास अपनी सिफारिशें करने का अधिकार है।

xviii) कि यहां तक कि सरकार को भी कार्यकारी कार्यों के निर्वहन और प्रशासनिक प्रतिक्रिया प्रदान करने में "पेरेंस पेट्रिया" के रूप में कार्य करना होगा।

संविधान की प्रस्तावना में कौन सा सिद्धांत अंतर्निहित है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि लोकतंत्र में सरकार या कोई अन्य सरकार केवल और केवल लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना है। उनके निवेदन के समर्थन में, [2021] 15 एस. सी. आर. के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया जाता है।

चरण लाल साहू बनाम। भारत संघ, (1990) 1 एस. सी. सी. 613 (पैराग्राफ 35 ) .

यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए जब पेरेंस पेट्रिया का सिद्धांत आकर्षित होने पर, संसाधनों की कमी या वित्तीय विचारों के परिणामस्वरूप आपदा से प्रभावित जरूरतमंद व्यक्तियों को राहत देने से इनकार करना कोई जवाब नहीं है और इसे सेवा में नहीं लगाया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि सरकार अपने खजाने की व्यवस्था इस तरह से करने के लिए बाध्य है कि राहत से इनकार नहीं किया जा सकता है। रिलायंस को यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर रखा गया है। भारत संघ, (1991) 4 एस. सी. सी. 584; xix) कि वित्तीय बोझ और बैंकों पर उन्हें अव्यवहारिक बनाने के लिए दबाव का मुद्दा बिना किसी आधार के रिकॉर्ड पर उठाया गया है

अनुभवजन्य अध्ययन और प्रासंगिक आंकड़ों के संग्रह पर आधारित जो विशेष रूप से कानून के शासन की बुनियादी आवश्यकता है। प्रासंगिक और मात्रात्मक आंकड़ों के संग्रह के आधार पर अनुभवजन्य अध्ययन करने के कर्तव्य पर, कैलाश चंद शर्मा बनाम के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया जाता है। राजस्थान राज्य, (2002) 6 एस. सी. सी. 562; और एम. नागराज के मामले में संविधान पीठ के फैसले का निर्णय

वी. भारत संघ, (2006) 8 एस. सी. सी. 212 (अनुच्छेद 44 से 46); (xx) जबकि यह याचिकाकर्ताओं का मामला है कि एन. डी. एम. ए. द्वारा धारा 13 के संदर्भ में कोई सिफारिश जारी नहीं की गई है।

डी. एम. ए. 2005, भारत संघ के दिनांक 31.08.2020 के शपथ पत्र के साथ संलग्न गुप्त पत्राचार से पता चलता है कि एन. डी. एम. ए. द्वारा ओ. एम. दिनांक 28.08.2020 के माध्यम से कुछ विचार और सिफारिशें व्यक्त की गई हैं। उक्त शपथपत्र के पैरा 5 का उल्लेख करते हुए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार, भारत संघ के स्वयं को दिखाने पर, एन. डी. एम. ए. के विचारों और सिफारिशों की प्रकृति जो भी हो, यह एक बात स्पष्ट और स्पष्ट है कि एन. डी. एम. ए. के समक्ष भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा अपनाए गए उपाय पर्याप्त और संतोषजनक नहीं पाए गए हैं। एन. डी. एम. ए. द्वारा यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उधारकर्ताओं को बैंकिंग क्षेत्र से और राहत की आवश्यकता हो सकती है और भारतीय रिजर्व बैंक उधारकर्ताओं को और राहत देने पर विचार कर सकता है।

xxi) कि वित्त मंत्रालय ने अपने दिनांकित पत्र 31.08.2020 के माध्यम से कोविड-19 महामारी से प्रभावित उधारकर्ताओं द्वारा ऋणों की राहत और पुनर्भुगतान के संबंध में एन. डी. एम. ए. के उपरोक्त विचारों और सिफारिशों के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित किया है, लेकिन रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है।

भारत संघ [एम. आर. शाह, जे.]

एन. डी. एम. ए. के विचारों और सिफारिशों के अनुसार, आर. बी. आई. द्वारा आगे राहत के किसी भी अनुदान पर बहुत कम विचार करना; xxii) अब जहां तक अनुग्रह राशि योजना के माध्यम से चक्रवृद्धि ब्याज की छूट का संबंध है, वह है -

दृढ़ता से प्रस्तुत किया कि "अनुग्रह" शब्द का उपयोग ही अनुचित है और सहानुभूति की पूर्ण कमी और भारत संघ के गलत दृष्टिकोण का संकेत देता है। आपदा से प्रभावित व्यक्ति वैधानिक प्राधिकरण और कल्याणकारी सरकार के हाथों आपदा प्रबंधन के लिए और उसके विचार विस्तार राहत और रियायतों के लिए क्या हकदार हैं, इसे अनुग्रह राशि के रूप में वर्णित इनाम और/या दान के मामलों के रूप में गलत समझा जाता है। आपदा से प्रभावित व्यक्तियों का व्यथित वर्ग अधिकार के रूप में राहत और रियायतों का हकदार है क्योंकि यह उनके द्वारा लगाए गए कानूनी और वैधानिक कर्तव्य से आता है।

संसद का सांविधिक कानून-डी. एम. ए. 2005 और संसद का सर्वोच्च कानून भूमि, अर्थात, भारत का संविधान। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह योजना के अंतर्निहित एक निः शुल्क दृष्टिकोण के कारण है कि वैधानिक प्राधिकरण और भारत संघ दोनों इस मुद्दे को सही परिप्रेक्षय में संबोधित करने और आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावी, सार्थक और पर्याप्त रूप से राहत और रियायतें देने में बुरी तरह विफल रहे हैं।

तरीका; xxiii) कि दिनांकित 23.10.2020 योजना में भी पात्रता मानदंड निम्नानुसार हैं:

" 4. योजना के तहत पात्रता मानदंड

निम्नलिखित खंडों/ऋणों के वर्गों में उधारकर्ता, जो

( 1 )

जिनके ऋण खाते स्वीकृत सीमा वाले हैं और बकाया राशि 2 करोड़ रुपये (ऋण देने वाली संस्थाओं के साथ सभी सुविधाओं का कुल) से अधिक नहीं है, वे पात्र होंगे।

इस योजना के अंतर्गत:

( i) एमएसएमई ऋण

( (ख)

शिक्षा ऋण

आवास ऋण

( iii)

( iv) उपभोक्ता टिकाऊ ऋण

क्रेडिट कार्ड का बकाया

( v)

वाहन ऋण

( vi)

( vii) पेशेवरों को व्यक्तिगत ऋण [2021] 15 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

( viii) उपभोग ऋण

कोई भी उधारकर्ता जिसकी ऋण देने वाली संस्थाओं के साथ सभी सुविधाओं का योग 2 करोड़ रुपये (स्वीकृत सीमा या बकाया राशि) से अधिक है, अनुग्रह राशि के लिए पात्र नहीं होगा।

इस योजना के तहत। उपरोक्त पात्रता निम्नलिखित के अधीन होगी:

( 2 )

अतिरिक्त शर्तें और शर्तें:

खाता 29 फरवरी को मानक होना चाहिए।

( (i)

2020 , अर्थात, ऋण गैर-निष्पादित परिसंपत्ति नहीं होना चाहिए।

( एनपीए) 29 फरवरी, 2020 तक।

ऋण देने वाली संस्था या तो एक बैंकिंग कंपनी होनी चाहिए,

( (ख)

या कोई सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, या कोई सहकारी बैंक [अर्थात, कोई शहरी सहकारी बैंक या कोई राज्य सहकारी बैंक या कोई राज्य सहकारी बैंक या कोई जिला केंद्रीय सहकारी बैंक], या कोई क्षेत्रीय बैंक

ग्रामीण बैंक, या कोई अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, या कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी या आवास

जैसा भी मामला हो, भारतीय रिज़र्व बैंक या राष्ट्रीय आवास बैंक में पंजीकृत वित्त कंपनी। एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, जैसा भी मामला हो। ए गैर

बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त

संस्थान को स्व-विनियामक का सदस्य होना चाहिए।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त संगठन (एस. आर. ओ.)। इस योजना के तहत अनुग्रह राशि का भुगतान होगा -

( iii)

इस बात की परवाह किए बिना कि उपखंड (1) में उधारकर्ता ने पुनर्भुगतान पर अधिस्थगन का पूरी तरह से लाभ उठाया है या आंशिक रूप से लाभ उठाया है या नहीं, स्वीकार्य है।

आर. बी. आई. ने अपने परिपत्र डी. ओ. आर. के माध्यम से इसकी घोषणा की। नहीं। BP.BC.47/21.04.048/2019-20, दिनांक 27 मार्च,

2020 और 23 मई, 2020 को विस्तारित किया गया।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त के अवलोकन से पता चलेगा कि

रियायत और रियायत जिसकी घोषणा संघ के शपथ पत्र में की गई थी

भारत के दिनांकित 02.10.2020 को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

रूढ़िवादी और आईवॉश। यह प्रस्तुत किया जाता है कि निम्नलिखित प्रतिबंध हैं - पैराग्राफ 4 से स्पष्ट:

कि यह 7 वर्ग/खंडों में उधारकर्ताओं पर लागू होता है; लघु स्तरीय औद्योगिक उपकरण संगठन (विनियमन) v.

आई.

भारत संघ [एम. आर. शाह, जे.]

यह उन उधारकर्ताओं पर लागू होता है जिनके पास ऋण खाते हैं।

ii.

मंजूरी की सीमा और 2 करोड़ से अधिक की बकाया राशि;

ऋण देने वाली संस्थाओं के साथ सभी सुविधाओं का समग्र होना चाहिए।

iii.

29.02.2020 पर 2 करोड़ से अधिक नहीं;

कि खाता 29.02.2020 पर मानक होना चाहिए।

iv.

उस तारीख को ऋण गैर-निष्पादित परिसंपत्ति नहीं होना चाहिए।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि योजना के पैरा 4 में निहित पात्रता मानदंड दिनांकित 02.10.2020 के हलफनामे के बिल्कुल विपरीत है। इसे प्रस्तुत किया जाता है।

कि वित्त मंत्रालय ने इसे राहत और रियायतों के भ्रम में कम करने के लिए अधिक और कठोर शर्तें जोड़ी हैं। मनमाना और तर्कहीन मानदंड इतने आश्चर्यजनक हैं कि यह योजना वस्तुतः निरर्थक है। सबसे पहले, दिनांक 02.10.2020 के शपथ पत्र के पैरा 18 के साथ-साथ योजना के पैरा 4, दोनों से यह स्पष्ट होता है कि यदि मंजूरी के अनुदान पर ऋण का कुल भुगतान रु. 500 करोड़ से अधिक है। 2 करोड़, उधारकर्ता वास्तविक बकाया की परवाह किए बिना अयोग्य होगा। उदाहरण के लिए, यदि उधारकर्ता को रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया है। 5 करोड़ और उसी का लाभ उठाया है, भले ही उसने मूल राशि को काफी कम करके रुपये से कम कर दिया हो। 2 आई. डी. 1 पर करोड़, लेकिन रुपये से अधिक की ऋण राशि की मंजूरी के कारण। 2 करोड़,

वह अयोग्य है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिक उल्लेखनीय शर्त यह है कि बकाया राशि रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। 2 करोड़ और किस उद्देश्य के लिए ऋण देने वाली संस्थाओं के साथ सभी सुविधाओं की कुल गणना की जाएगी। इसका मतलब है कि काल्पनिक रूप से एक उधारकर्ता, उदाहरण के लिए एमएसएमई श्रेणी, ने लाभ उठाया है और उस पर 500 करोड़ रुपये का व्यावसायिक ऋण बकाया है। 1.99 उनके क्रेडिट कार्ड पर भी करोड़ों रुपये बकाया हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 1 लाख 10 हजार करोड़ रुपये हो गए। 2. 10 करोड़, वह अयोग्य है। इसे किसी भी तर्क से उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

xiv) कि उधारकर्ताओं का वर्गीकरण भी 8 तक सीमित है।

श्रेणियाँ केवल किसी भी डेटा के संग्रह और वस्तुनिष्ठ तरीके से किसी भी अनुभवजन्य अध्ययन पर आधारित नहीं हैं, बहुत कम इसकी गंभीरता का अध्ययन है।

ऋणकर्ताओं पर महामारी आपदा की तीव्रता और प्रभाव, 8 श्रेणियों तक सीमित ऋणकर्ताओं पर वर्गीकरण का उस उद्देश्य के साथ कोई संबंध नहीं है जिसे प्राप्त किया जाना चाहिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह सुझाव नहीं दिया जा सकता है और न ही इसे तार्किक रूप से स्वीकार किया जा सकता है कि उधारकर्ता 8 श्रेणियों से बाहर हैं।

आपदा की गंभीरता से प्रभावित नहीं हैं या नहीं होंगे,

महामारी और उन्हें आपदा से प्रभावित व्यक्तियों का वर्ग बनाएं जो समानता पर समान व्यवहार के हकदार हैं। किस आधार पर 8 श्रेणियों तक सीमित वर्गीकरण किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है और न ही हो सकता है। समझ में आया;

XXV) वह हलफनामा दिनांकित 02.10.2020 दर्शाता है कि 'छोटे उधारकर्ताओं' और 'बड़े उधारकर्ताओं' के बीच एक वर्गीकरण है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह वर्गीकरण पूरी तरह से मनमाना है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस वर्गीकरण की प्रक्रिया में मध्यम वर्ग के उधारकर्ताओं के एक बड़े और बहुत बड़े वर्ग को पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है और छोटे और बड़े वर्गों के बीच स्थित उधारकर्ताओं के वर्ग के साथ कोई व्यवहार नहीं किया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए यह वर्गीकरण स्पष्ट रूप से अवास्तविक और अवैज्ञानिक है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि न तो कोई अध्ययन किया गया है और न ही किसी भी तर्कसंगत आधार पर वर्गीकरण किया गया है जिसका जमीनी वास्तविकता के साथ संबंध है।

(xvi) कि उधारकर्ताओं का वर्गीकरण भेदभावपूर्ण और मनमाना दोनों है और इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। यह.

प्रस्तुत किया जाता है कि वर्गीकरण पूरी तरह से तर्कहीन, अवास्तविक, अवैज्ञानिक और अत्यधिक व्यक्तिपरक है, जिससे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाली मनमानेपन की बुराई से पीड़ित है;

(xviii) कि आक्षेपित वर्गीकरण एक वस्तुनिष्ठ और वास्तविक विचार के बजाय कार्यपालिका की सनक और सनक पर आधारित है। वर्गीकरण के आधार को दिखाने के लिए अभिलेख पर कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है। भारत संघ किसी ऐसे निर्णय को पहनने की कोशिश नहीं कर सकता जो स्पष्ट रूप से नीतिगत निर्णय की सुरक्षात्मक ढाल के तहत इतना भेदभावपूर्ण और मनमाना हो क्योंकि कोई भी नीति न तो मनमाना हो सकती है और न ही भेदभावपूर्ण। श्री रवींद्र श्रीवास्तव ने अपनी दलीलों के समर्थन में बहुत भरोसा किया है रतन आर्य बनाम के मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों पर। टी. एन. राज्य (1986) 3 एस. सी. सी. 385; राज्य डब्ल्यू. बी. वी. अनवर अली सरकार 1952 एससीआर 284: ए. आई. आर 1952 एस. सी. 75 (पैरा 83 और 84); और डी. एस. नकारा बनाम।

भारत संघ, (1983) 1 एस. सी. सी. 305 (पैरा 13 और 14); लघु स्तरीय औद्योगिक उपकरण संगठन (विनियमन) v. भारत संघ [एम. आर. शाह, जे.]

XXIX) कि वर्गीकृत योग्य उधारकर्ताओं के वर्ग के भीतर भी, मनमानेपन बड़े पैमाने पर लिखा जाता है क्योंकि श्रेणियां और उधारकर्ता

प्रत्येक श्रेणी स्वाभाविक रूप से भिन्न होती है लेकिन एक ब्रश से चित्रित करने की मांग की जाती है। उन्हें सभी में फिट होने के लिए एक आकार के जूते पहनने के लिए बनाया जाता है। 8 श्रेणियों में उधारकर्ता एक दूसरे की तुलना में असमान हैं। उदाहरण के लिए, एमएसएमई श्रेणी के लिए एक व्यावसायिक ऋण को गृह ऋण और शैक्षिक ऋण के बराबर माना जाता है। ऋण और ब्याज की शर्तें इतनी भिन्न होनी चाहिए कि क्रेडिट कार्ड धारक और उपभोक्ता टिकाऊ ऋण और वाहन ऋण स्वाभाविक रूप से भिन्न हैं, साथ ही पेशेवरों और एमएसएमई ऋणों के लिए व्यक्तिगत ऋण सामग्री में भी भिन्न हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार असमान लोगों को बराबर माना जा रहा है जो अपने आप में क्लासिक भेदभाव का मामला है। रूप चंद्र अदलखा बनाम के मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा रखा गया है। दिल्ली विकास

प्राधिकरण, 1989 सप. ( 1 ) एस. सी. सी. 116 (पैरा 19 और 20);

XXX) कि ब्याज/चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज भी दंडात्मक ब्याज के रूप में लिया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि दंडात्मक ब्याज केवल जानबूझकर चूक के मामले में लिया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि कोविड-19 के कारण महामारी के प्रभाव को देखते हुए और यहां तक कि अन्यथा दिनांकित परिपत्र 27.3.2020 के अनुसार अधिस्थगन अवधि के दौरान ऋण के भुगतान को स्थगित करते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि कोई जानबूझकर चूक है जो ब्याज/दंडात्मक ब्याज/चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज की गारंटी देती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिस्थगन अवधि के लिए और उसके दौरान लगाए गए ब्याज/दंडात्मक ब्याज/चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई ब्याज नहीं होगा। XXXI) कि आपदा पीड़ितों को राहत और रियायतों को केवल चक्रवृद्धि ब्याज की छूट तक सीमित करना भी मनमाना है,

अपर्याप्त, तर्कहीन और भेदभावपूर्ण। यह प्रस्तुत किया जाता है कि चक्रवृद्धि ब्याज की तथाकथित छूट केवल उपायों में से एक हो सकती है, लेकिन मामले को बंद करके मार्ग का अंत होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जैसा कि भारत संघ द्वारा माँगा गया है। केवल एक उचित और वस्तुनिष्ठ अध्ययन से पता चलेगा कि क्या चक्रवृद्धि ब्याज की छूट से अधिक राहत आपदा से प्रभावित व्यक्तियों की सख्त आवश्यकता है। डी. एम. ए. 2005 की धारा 12 और 13 में अनुग्रह योजना के बहाने किए जाने वाले कार्यों से अधिक राहत की परिकल्पना की गई है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक न्यायिक नोटिस भी लिया जा सकता है कि आम वर्ग के लोगों, जैसे कर्मचारियों, व्यापारियों, किसानों, श्रमिकों, उद्योगपतियों, पेशेवरों आदि पर आपदा के प्रभाव और परिणामों की गंभीरता वर्णन से परे है। लोगों के एक महत्वपूर्ण वर्ग के लिए, आपदा के प्रभाव ने उनके अस्तित्व और सार्थक अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है [2021] 15 एस. सी. आर.

जीवन और स्वतंत्रता। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए यह भारत संघ की पूरी तरह से गलत धारणा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की छूट डी. एम. ए. 2005 की धारा 12 और 13 के अर्थ के भीतर निवारण प्रदान करने के लिए पर्याप्त है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि राहत के उपायों को सामान्य मूल्य निर्धारण कारकों के आधार पर क्षेत्र और समूहवार वर्गीकृत करने की आवश्यकता थी, जो अभी तक नहीं किए गए हैं;

XXXII) अब जहां तक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांकित 6.8.2020 परिपत्र के माध्यम से प्रस्तावित उपायों का संबंध है, यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि

इसे 'आपदा प्रबंधन' की राहत नहीं कहा जा सकता जो अन्यथा मनमाना और भेदभावपूर्ण है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि आर. बी. आई. परिपत्र दिनांकित 6.8.2020 भारत संघ और आर. बी. आई. दोनों के मामले का एक पत्रक एंकर है। यह परिपत्र दिनांक 7.6.2019 के "दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचा निर्देश 2019" के आधार पर कोविड-19 के लिए समाधान ढांचा प्रदान करने का प्रयास करता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके बावजूद समाधान ढांचा केवल 2.6.2019 दिनांकित परिपत्र को अपनाता है और शामिल करता है, जो महामारी आपदा की शुरुआत से पहले का है;

(xiii) कि भारतीय रिजर्व बैंक प्राधिकरण नहीं है, हालांकि डी. एम. ए. 2005 के तहत आपदा प्रबंधन के कार्य से उत्पन्न आपदा प्रभावित व्यक्तियों को राहत और रियायत के उपायों के संबंध में निर्णय लेने के लिए उसकी सहायक भूमिका हो सकती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि परिपत्र डी. एम. ए. 2005 की धारा 12 और 13 के तहत एन. डी. एम. ए. के निर्णय का विकल्प नहीं है।

XXXIV) कि हालांकि समाधान ढांचे में कोविड-19 का उल्लेख है लेकिन इसे असाधारण और अभूतपूर्व के अनुकूल नहीं बनाया गया है। प्रभावित व्यक्तियों पर प्रभाव, परिणाम और संकट

महामारी कोविड-19 की आपदा। विवेकपूर्ण ढांचे द्वारा शासित संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान ढांचे को आपदा प्रबंधन के कार्य के तहत आपदा प्रभावित व्यक्तियों को राहत और रियायतें देने के लिए वास्तव में लागू नहीं किया जा सकता है। विवेकपूर्ण मानदंडों का प्रभाव और इसके परिणामों की विशिष्टताओं से कोई लेना-देना नहीं है। कोविड-19 जैसी आपदा, जिसके प्रबंधन के लिए बार-बार राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगाया गया है, इतिहास में अभूतपूर्व है और इसका निरंतर प्रभाव और परिणाम जीवन और स्वतंत्रता, व्यवसाय, उद्योगों और पर्यावरण पर पड़ रहे हैं। आर्थिक संकट की पट्टेदार स्थितियों के लिए दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए तैयार किए गए विवेकपूर्ण मानदंडों का आयात केवल सनकी और तर्कहीन है।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह कर्तव्य की अवहेलना है; लघु स्तरीय औद्योगिक उपकरण संगठन (विनियमन) v. भारत संघ [एम. आर. शाह, जे.]

XXXV) कि 6.8.2020 के अनुसार समाधान ढांचे को एन. डी. एम. ए. के अलावा किसी और द्वारा अपर्याप्त नहीं माना गया है, जैसा कि दिनांक 28.08.2020 के ओ. एम. में निहित एन. डी. एम. ए. के विचारों और सिफारिशों से स्पष्ट है। एन. डी. एम. ए. ने आई. डी. 1 दिनांकित आर. बी. आई. परिपत्र का संज्ञान लेते हुए पाया है कि उधारकर्ताओं को बैंकिंग प्रणाली से और राहत की आवश्यकता है और आर. बी. आई. को और राहत देने के लिए कहा है। आर. बी. आई. परिपत्र दिनांक 6.8.2020 में तथाकथित समाधान ढांचे के इस तरह के अपर्याप्त उपाय को इस न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए;

XXXVI) कि भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र में समाधान ढांचा अत्यधिक बैंक केंद्रित है और न केवल भारी बल्कि केवल बैंकों के पक्ष में है और

संकटग्रस्त वर्ग के व्यक्तियों और उधारकर्ताओं के लिए अतिरिक्त प्रयास करने के बजाय ऋण देने वाली संस्थाएं। पैराग्राफ 2 में पात्रता की शर्तों के आधार पर समाधान ढांचा अपने आप में भेदभावपूर्ण और मनमाना है। एमएसएमई उधारकर्ता जिनका ऋण देने वाले संस्थानों के लिए कुल जोखिम सामूहिक रूप से रु। 25 1.3.2020 पर करोड़ या उससे कम समाधान ढांचे के लिए पात्र नहीं हैं। यह वर्गीकरण पूरी तरह से मनमाना है और है

यह किसी भी बोधगम्य अंतर पर आधारित नहीं है जिसका वस्तु के साथ संबंध नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि समाधान ढांचा केवल उन उधारकर्ताओं पर लागू होता है जो कोविड-19 के कारण संकट में हैं, लेकिन इस तरह के कारक को किस तरह से निर्धारित किया जाएगा, इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है, इसलिए समाधान ढांचे का लाभ व्यक्तिपरक संतोषजनक और मनमानेपन पर छोड़ दिया गया है।

सकल असमानता पैदा करने और कुल व्यक्तिपरकता की शुरुआत करने वाली नीतियां और ढांचा;

) यह आगे कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रवींद्र श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि

इन याचिकाओं को दायर करने के लिए ट्रिगर और न्यायालय द्वारा इसका संज्ञान लेने के लिए अत्यधिक संकट, वित्तीय और अन्यथा की शर्तें हैं जो

संविधान के अनुच्छेद 14,19 और 21 के मौलिक अधिकारों का गंभीर रूप से उल्लंघन

संविधान अपने पूर्ण प्रभावों में। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय के लिए अवसर अद्वितीय उत्पत्ति और वरीयता की एक असाधारण मानव त्रासदी है और इसलिए वैधानिक अधिकारियों और भारत सरकार द्वारा असाधारण वैधानिक कानूनी और संवैधानिक प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि मुद्दे कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं

कुछ हलफनामों और परिपत्रों के आधार पर बंद करने के लिए कहा गया जो संवैधानिक और वैधानिक कर्तव्यों की आवश्यकताओं से बहुत कम हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वैधानिक अधिकारियों को बिना किसी और [2021] 15 एस. सी. आर. के कार्य करना चाहिए।

गणराज्य के नागरिक और इसलिए उनके कल्याण के अंतिम संरक्षक और संरक्षक। यह प्रस्तुत किया जाता है कि माता-पिता के संरक्षक की भूमिका भारत सरकार को उस सिद्धांत के अनुसार कार्यमुक्त नहीं किया गया है जिसे चरण लाल साहू (उपरोक्त) में संविधान पीठ द्वारा समझाया गया है।

(viii) कि इस मामले में शामिल मुद्दों की प्रकृति और जिनका संज्ञान लेने की आवश्यकता है, वे ऐसे हैं कि लोक हित में वैधानिक व्यवस्था की निरंतर निगरानी की प्रमुख आवश्यकता

और इस न्यायालय द्वारा कार्यकारी कार्रवाई और सभी संबंधित प्राधिकरणों को निरंतर निर्देश और आदेश जारी करना। यह प्रस्तुत किया जाता है कि न तो आपदा की परिमाण और गंभीरता जो है निरंतर और कैस्केडिंग प्रभाव और बहुत अवधारणा पर विचार करना

" आपदा प्रबंधन "अधिनियम के तहत एक एकीकृत और निरंतर प्रक्रिया के रूप में, अपनाई गई या अपनाए जाने वाले राहत और उपाय एक बार का अनुदान या पैकेज नहीं हो सकते हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि स्थिति के विकास के साथ एक मजबूत जनहित है और इस न्यायालय के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अपने संवैधानिक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते रहने की आवश्यकता है ताकि अधिकारी विफल न हों, वे सक्रिय और सतर्क रहें और आपदा के पीड़ितों का विशाल वर्ग न रहे।

शिकायतों के निवारण के लिए रोते हुए। उनके निवेदन के समर्थन में, टी. एन. गोडावर्मन थिरुमुल्कपद बनाम के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भारी निर्भरता रखी गई है। भारत संघ (1997) 2 एस. सी. सी. 267।

बिजली उत्पादन क्षेत्र के निरंतर संचालन के लिए। 4.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि कोविड-19 राहत पैकेजों से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक का परिपत्र। विवादित आर. बी. आई. अधिसूचनाएँ, आर. बी. आई. परिपत्र दिनांक 6.8.2020,

7.9.2020 ऋणदाताओं के विवेक पर राहत प्रदान करने का विकल्प छोड़ दिया है छोटे पैमाने पर औद्योगिक प्रबंधन संगठन (आर. ई. जी. डी.) v.



इसे अनिवार्य बनाने के बजाय। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त अधिसूचनाओं के अनुसार, ऋणदाताओं को अधिस्थगन अवधि के दौरान देय सावधि ऋणों और कार्यशील पूंजी सुविधाओं के पुनर्भुगतान के लिए सभी किश्तों के भुगतान पर तीन महीने की मोहलत देने की अनुमति है। यह प्रस्तुत

किया जाता है कि दिनांक 2 के परिपत्र के भाग बी के पैराग्राफ 14 और 15 के अनुसार, राहत प्रदान करने का निर्णय ऋणदाताओं के विवेक पर छोड़ दिया गया है; दिनांक 1 के परिपत्र के पैराग्राफ 18 के अनुसार, समाधान प्रक्रिया को मूल्य के हिसाब से कम से कम 75 प्रतिशत ऋणदाताओं द्वारा और संख्या के हिसाब से कम से कम 60 प्रतिशत ऋणदाताओं द्वारा लागू किया जाना चाहिए। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि परिपत्र दिनांक 7.9.2020 का पैराग्राफ 7 एक विंडो प्रदान करता है

ऋणदाताओं को परिपत्र दिनांक 6.8.2020 के प्रावधानों से अलग होना चाहिए।

4.2 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोविड-19 महामारी के प्रसार और उसके बाद के राष्ट्रीय लॉकडाउन से प्रभावित उधारकर्ताओं को राहत दी जाए, उपरोक्त परिपत्र उन सभी ऋणदाताओं पर बाध्यकारी होने चाहिए जो अन्यथा दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत "वित्तीय लेनदारों" के रूप में अर्हता प्राप्त करेंगे।

4.3 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त आर. बी. आई. परिपत्रों के आवेदन को व्यक्तिगत ऋणदाताओं, उधारकर्ताओं के विवेक पर छोड़ते हुए,

राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के कारण संपदा क्षेत्र भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यू. ओ. आई./आर. बी. आई. द्वारा किए गए उपाय मनमाने, भेदभावपूर्ण, भ्रामक और अपर्याप्त हैं और रियल एस्टेट क्षेत्र को कोई राहत नहीं देते हैं, जब रियल एस्टेट क्षेत्र को देश की अर्थव्यवस्था में इसके महत्व और योगदान के कारण विशेष विचार की आवश्यकता होती है। 5.1 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि भारत संघ/एन. डी. एम. ए. [2021] 15 एस. सी. आर. की धारा 12 और 13 के तहत दिए गए अपने वैधानिक कर्तव्य का पालन करने में विफल रहे हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

डी. एम. ए. 2005 यह प्रस्तुत किया जाता है कि राहत प्रदान करते समय, अलग-अलग क्षेत्रों पर प्रभाव के संबंध में कोई डेटा एकत्र नहीं किया जाता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि डी. एम. ए. 2005 के तहत आवश्यक होने के बावजूद, आपदा-कोविड-19 महामारी पर विचार करते हुए कोई राष्ट्रीय योजना तैयार नहीं की गई है। 5.2 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि कामथ समिति के संदर्भ की शर्तें भी भारतीय रिज़र्व बैंक/यू. ओ. आई. द्वारा बनाई गई नीतियों के उद्देश्य और उद्देश्य के विपरीत हैं, जो मुख्य रूप से उधारकर्ताओं के ऋण बोझ को कम करने और कम करने के लिए थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि कामथ समिति की रिपोर्ट,

उन व्यवसायों के आधार पर आय जो बंद कर दिए गए थे

( 1 )

सरकारी कार्रवाई [अर्थात राष्ट्रीय लॉकडाउन] और चूककर्ताओं के कारण। कामथ समिति के संदर्भ की शर्तें केवल

( (ख)

ऋण देने वाले संस्थानों के हित के लिए संरेखित किया गया है न कि व्यवसायों की निरंतर व्यवहार्यता के लिए जैसा कि चार्ट से देखा गया है

संलग्न किया गया।

( 111 ) इस तरह से लगाई गई सख्त शर्तों का पालन करना मुश्किल है

और सभी व्यवसायों को एन. पी. ए. में बदल देगा।

( iv) पुनर्गठन योजना को दिसंबर 2020 तक अनुमोदित करने की आवश्यकता है, हालांकि रियल एस्टेट क्षेत्र ने कोविड-19 प्रतिबंधों यानी "बल" के कारण मुश्किल से काम करना शुरू किया है।

'मेज्योर' भी जारी है और कोई प्रस्ताव संभव नहीं है।

ऋण सीमा/शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य का अनुपात जो था

( v)

मूल ऋण समझौतों में कभी भी लागू नहीं किया जाता है

पुनर्गठन नीति के तहत।

( vi) अधिस्थगन नीति की अवधि 31.08.2020 पर समाप्त हो गई और रियल एस्टेट क्षेत्र में व्यवसायों की सितंबर, अक्टूबर के महीनों के दौरान भुगतान करने में असमर्थता के कारण और

नवंबर 2020 में, उनकी क्रेडिट रेटिंग को पहले ही ग्रेड "डी" और एन. पी. ए. के रूप में डाउनग्रेड कर दिया गया है। इसलिए, वे पुनर्गठन के लिए योग्य नहीं हैं।

( vii) एक पुनर्गठित ऋण होने के कारण, बैंकों को

इस तरह के ऋण के लिए अतिरिक्त 10 प्रतिशत अभिन्न प्रावधान और क्रेडिट रेटिंग में गिरावट के परिणामस्वरूप, बैंकों को ऐसे सभी ऋणों के लिए कुछ प्रतिशत आधार अंक लेने होंगे।

5.3 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाई गई नीतियों के लाभार्थी हैं, जिन्होंने जोखिम पर लाभ कमाया है।

उधारकर्ता जो आपदा के प्रभावों का सामना करने में असमर्थ हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अचल संपत्ति क्षेत्र में कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण 2021 में बिक्री, निवेश, पट्टे और मूल्य निर्धारण में लगातार गिरावट देखी जा रही है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिबबल ने आगे कहा है कि यदि स्थगन अवधि 31 मार्च, 2021 तक नहीं बढ़ाई जाती है और यदि रिट याचिका में मांगी गई राहत नहीं दी जाती है, तो सभी खातों में से अधिकांश भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एन. पी. ए. के रूप में योग्य होंगे।

आय मान्यता पर विवेकपूर्ण मानदंड; परिसंपत्ति वर्गीकरण और अग्रिम से संबंधित प्रावधान; वस्तुतः कोई भी खाता पुनर्गठन नीति के तहत पुनर्गठन के लिए योग्य नहीं होगा, क्योंकि यह केवल उन खातों पर लागू किया जाता है जो 01.03.2020 पर 30 दिनों से अधिक समय तक चूक में नहीं हैं और क्रेडाई के सदस्यों की क्रेडिट रेटिंग होगी अवक्रमित और स्थायी रूप से अक्षम, जिसके परिणामस्वरूप संघ के सदस्यों के गवाह व्यावसायिक रूप से अव्यवहारिक हो गए। यह है।

प्रस्तुत किया कि अचल संपत्ति क्षेत्र लॉकडाउन और चल रही महामारी के कारण सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। अनिश्चित स्थिति ने न केवल क्रेडाई-एमसीएचआई के 1400 से अधिक सदस्यों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है, बल्कि अचल संपत्ति उद्योग पर निर्भर 270 सहायक उद्योगों को भी प्रभावित किया है। यदि इस क्षेत्र को इतना अपूरणीय नुकसान होता है, तो सभी संबद्ध उद्योग भी बुरी तरह प्रभावित होंगे। इसलिए, पैरा 8 में निम्नलिखित राहत देने की प्रार्थना की गई है:

जो भी पहले हो। 8.3
पुनर्संरचना नीति दिनांक 07.08.2020 और 07.09.2020

सरलीकरण, व्यापक आधार और बिना बोर्ड के लागू किया गया

कोई भी वर्गीकरण ताकि [राष्ट्रीय आपदा/महामारी/आकस्मिक घटना से उत्पन्न] तनाव के तहत उधारकर्ताओं को राहत देने और अपने केंद्रीय क्षेत्र यानी अचल संपत्ति के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था/इसके सकल घरेलू उत्पाद के पुनरुद्धार का समर्थन करने का वास्तविक उद्देश्य हो सके

निर्बाध रूप से प्राप्त किया।

8.4 जिन सभी खातों को 01.03.2020 पर एन. पी. ए. घोषित नहीं किया गया है, उन्हें बिना किसी प्रावधान के पुनर्गठन के लिए पात्र बनाया जाना है।

बैंकों द्वारा 10 प्रतिशत का और प्रावधान।

6. अन्य संबंधित याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश होने वाले अन्य विद्वान अधिवक्ता, जैसे कपड़ा संघ, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र, होटल व्यवसायी एसोसिएशन, शॉपिंग सेंटर और मॉल, ट्रैवलर्स और अन्य उद्योगों ने बड़े पैमाने पर प्रस्तुतियाँ की हैं जो यहाँ ऊपर वर्णित हैं और इसलिए उन्हें यहाँ फिर से नहीं दोहराया जाता है।

भारत संघ की ओर से जवाब

7. इन सभी याचिकाओं का विरोध भारत सरकार की ओर से पेश हुए भारत के विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने किया है।

साल्वे, भारतीय बैंक संघ की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री वी. गिरि, भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और एस. बी. आई. की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुल रोहतगी।

7.1 श्री तुषार मेहता, विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने हमें संघ की ओर से दायर किए गए विभिन्न हलफनामों/अतिरिक्त हलफनामों पर ले गए हैं।

भारत। उन्होंने हमें डी. एम. ए. 2005 के विभिन्न प्रावधानों की ओर भी ले गए हैं, जिन्हें नीचे संदर्भित किया जाएगा और जिन पर विचार किया जाएगा:

विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने कहा है कि यह एक तथ्य है और कोई भी इस बात पर विवाद नहीं कर सकता है कि महामारी ने बड़े और छोटे व्यवसायों और व्यक्तिगत उधारकर्ताओं पर दबाव डाला है, जिन्होंने अपनी नौकरी और आजीविका खो दी है। कि उन्हें राहत की आवश्यकता है जो उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने में मदद करेगी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि विभिन्न क्षेत्रों/क्षेत्रों को अलग-अलग नुकसान हुआ है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि कोविड-19 महामारी के कारण बाजार की स्थितियों में आई बाधाओं के कारण ऋण सेवा के बोझ को कम करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने एक परिपत्र दिनांक आई. डी. 2 जारी किया, जिसमें ऋण देने वाले संस्थानों को आई. डी. 1 के बीच आने वाली सावधि ऋण की सभी किश्तों के भुगतान पर रोक लगाने की अनुमति दी गई है।

और 31.5.2020, जिसे 31.08.2020 तक बढ़ाया गया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि शिकायतों में से एक ब्याज का भुगतान करने से छूट देने से संबंधित है जो स्थगन अवधि के दौरान अर्जित हुई है अधिस्थगन समाप्त होने के बाद ऋण का पुनर्भुगतान। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक अन्य शिकायत अधिस्थगन अवधि के दौरान अर्जित ब्याज/चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज का भुगतान करने से छूट है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि केंद्र सरकार वित्त मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के दायरे में आने वाले विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों के सामने आने वाली कठिनाइयों के प्रति पूरी तरह से सचेत है।

7.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि वित्त मंत्रालय ने वैश्विक स्तर पर ओ. वी. आई. डी.-19 महामारी के प्रकोप के बाद, कई क्षेत्रों और सभी वित्तीय दुनिया के कई क्षेत्रों में संभावित समस्याओं के साथ राहत के कई उपाय किए हैं। ये सभी उपाय किए गए थे -महामारी के अतिरिक्त प्रकोप के कारण होने वाली समस्याओं को कम करने और ध्यान में रखते हुए कुशल और मापा गया जवाब

( (i) अर्थव्यवस्था की वित्तीय स्थिरता;

( (ii) नागरिकों को राहत पैकेज प्रदान करने के लिए सरकारी खजाने पर लगाया गया अतिरिक्त अप्रत्याशित और अप्रत्याशित वित्तीय बोझ। बड़े पैमाने पर, महामारी के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित;

अनिश्चित; ( (iv) विभिन्न क्षेत्रों के लिए दी गई राहतों के प्रभावों में अंतर; और

( (iv) यह तथ्य कि किसी भी देश के संसाधन नहीं होंगे

असीमित।

यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि केंद्र सरकार ने वित्तीय पीड़ा को कम करने के लिए भी कई उपाय किए हैं, जिनमें शामिल हैं:

अलिया, निम्नलिखित: -

( i) कृषि ऋण: 3 % शीघ्र पुनर्भुगतान पर देय ब्याज दर पर छूट का लाभ उठाने के बावजूद इसे स्वीकार्य बना दिया गया है

अधिस्थगन।

( (ii) आवास ऋण: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ब्याज दर पर अनुदान को एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है।

31.03.2021 . ( (iii) लघु व्यवसाय ऋणकर्ता: 2 % प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत छोटे व्यावसायिक ऋणों के लिए ब्याज दर पर छूट शुरू की गई है।

( (iv) सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ: 2 लाख खाद्य-प्रसंस्करण के लिए 1,000 करोड़ रुपये की क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी शुरू की गई है। सूक्ष्म उद्यम।

( सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई):

3 लाख करोड़ रुपये तक की आपातकालीन क्रेडिट लाइन, सरकार से 100% गारंटी द्वारा समर्थित, ब्याज की सीमित दर पर है।

लॉन्च किया गया।



एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

( vi) तनावग्रस्त एमएसएम: संकटग्रस्त एमएसएमई के लिए वित्तपोषण किया गया है

एक अधीनस्थ ऋण योजना के शुभारंभ के माध्यम से सक्षम।

( viii) गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां (एन. बी. एफ. सी.): 1, 000 करोड़ रुपये की आंशिक ऋण गारंटी योजना और विशेष तरलता

तरलता के लिए 1,000 करोड़ रुपये की सुविधा शुरू की गई है।

एनबीएफसी।

7.3 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि वित्त मंत्रालय उधारकर्ताओं की समस्याओं के प्रति पूरी तरह से सचेत था जो स्पष्ट रूप से एक समस्या नहीं हो सकती है।

समरूप वर्ग, लेकिन अपनी प्रकृति से, उधार लेने की विभिन्न श्रेणियां हैं, जैसे कि कॉर्पोरेट ऋण, एमएसएमई ऋण और व्यक्तिगत ऋण आदि। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इन तीन व्यापक श्रेणियों के भीतर कई उप-श्रेणियां हो सकती हैं, जिनकी अपनी विशिष्ट समस्याएं/कठिनाइयाँ हैं और इसलिए, विशिष्ट उपचारों और समाधानों की आवश्यकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विभिन्न प्रकार और हितधारकों की श्रेणियों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं की प्रकृति और उन श्रेणियों के कई उप-वर्गों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं में व्यापक अंतर के कारण, यह सचेत रूप से माना गया कि मंत्रालय के लिए "सभी के लिए एक आकार" दृष्टिकोण प्रदान करना संभव नहीं होता और यह सलाह दी जाती कि बैंकिंग क्षेत्र के नियामक के माध्यम से महामारी के दौरान उत्पन्न होने वाली समस्याओं के लिए राहत/समाधान देने के लिए कदम उठाए जाएं। , आरबीआइ।

7.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस कारण से मंत्रालय

वित्त ने पहल की और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ बातचीत शुरू की, जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक से उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए विभिन्न उपाय करने का अनुरोध किया गया। वित्त मंत्रालय और भारतीय रिज़र्व बैंक संपर्क में रहे और

राहत की प्रकृति पर विचार करने और प्रदान करने पर विचार करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने निर्णय लिया कि सभी बैंकों को राहत के लिए विभिन्न उपाय करने की आवश्यकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अर्थव्यवस्था की स्थिरता पर प्रभाव डालने वाले ऐसे वित्तीय नीतिगत निर्णय लेते समय,

निम्नलिखित जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए कई प्रशासनिक और वित्तीय विचारों/आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने की आवश्यकता होती है।

जिन मुद्दों पर विचार करने की आवश्यकता है:

( i) कि ऊपर बताए गए विभिन्न प्रकार के ऋण हैं, अर्थात्

निगमित उधारकर्ता (बड़े उद्योग और बड़े उद्योग सहित)

उद्यम), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) उधारकर्ता, और खुदरा/व्यक्तिगत उधारकर्ता जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ आवास ऋण, शिक्षा ऋण, वाहन ऋण आदि के लिए उधारकर्ता शामिल हैं।

लघु स्तरीय औद्योगिक उपकरण संगठन (विनियमन) v. भारत संघ [एम. आर. शाह, जे.]

( (ii) बैंकों और अन्य ऋण देने वाले संस्थानों की कई श्रेणियां हैं जिन्हें वित्तीय और आर्थिक निर्णय लेते समय ध्यान में रखने की आवश्यकता है जो देश की वित्तीय स्थिरता के लिए बहुत संवेदनशील हैं। इनमें अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र के बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक आदि शामिल हैं), शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी), राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) जो देश में ग्रामीण ऋण को पूरा करते हैं, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी), आवास वित्त कंपनियां (एचएफसी), अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान शामिल हो सकते हैं।

आदि।

( iv) किसी भी बैंकिंग क्षेत्र में जब ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, तो ब्याज के साथ संतुलन बनाए रखना होता है। करोड़ों जमाकर्ताओं में से, जिनमें से अधिकांश केवल जमाकर्ता हैं और अपनी जमा राशि पर प्राप्त ब्याज पर जीवित रहते हैं। अनुमानित आधार पर देश में अकेले वाणिज्यिक बैंकों में 197 करोड़ से अधिक जमा खाते हैं, जिनमें जमाकर्ताओं के खाते हैं।

उन्होंने अपना पैसा जमा किया और ब्याज अर्जित कर रहे हैं।

उधारकर्ता दो तरीकों से, अर्थात् (i) बकाया का भुगतान न करने के बावजूद खाता एन. पी. ए. नहीं बन जाता है; और (ii) ऋण सूचना कंपनियाँ यह सुनिश्चित करेंगी कि अधिस्थगन से ऋण पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। उधारकर्ताओं का इतिहास।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि बैंक ऋणों पर लागू गतिरोध के परिणामस्वरूप बैंक को [2021] 15 एस. सी. आर. की अवधि के दौरान अपनी धनराशि वापस नहीं मिल रही है।

अधिस्थगन के कारण, बैंक की जमा राशि और उधार पर लागत लगना जारी रहता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि अधिस्थगन उधारकर्ताओं को कुछ लाभ प्रदान करता है, इसलिए अधिस्थगन का लाभ प्राप्त करने से जुड़ी लागतें हैं।

7.6 यह प्रस्तुत किया जाता है कि देश में कोविड-19 के गंभीर प्रभावों को महसूस किए जाने के तुरंत बाद, वित्त मंत्रालय ने भारतीय रिज़र्व बैंक को दिनांक 1.4.2020 पर एक पत्र लिखा, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा घोषित अधिस्थगन के बाद था। उक्त पत्र के माध्यम से, वित्त मंत्रालय ने भारतीय रिज़र्व बैंक से अधिस्थगन के अलावा कुछ और करने का अनुरोध किया।

7.7 यह प्रस्तुत किया जाता है कि कोई भी स्थगन इसके द्वारा क्षणिक है

प्रकृति और एक दिन समाप्त होना है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार, ऋण पुनर्गठन के अधिक टिकाऊ दीर्घकालिक समाधान का मार्ग प्रशस्त करके देश के आर्थिक स्वास्थ्य के साथ-साथ संबंधित उधारकर्ताओं के सर्वोत्तम हित की सर्वोत्तम सेवा की जाएगी।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि तनावग्रस्त उधारकर्ताओं का पुनरुद्धार उनके ऋणों/बकाया के ऋण पुनर्गठन पर निर्भर है न कि अधिस्थगन बढ़ाने पर। यह प्रस्तुत किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने वास्तविक क्षेत्र के पुनरुद्धार की सुविधा के लिए दिनांकित 6.8.2020 दो परिपत्र जारी किए हैं। व्यक्तिगत, एमएसएमई और कॉर्पोरेट ऋणों में कोविड-19 से संबंधित तनाव के लिए उधारकर्ताओं को रियायत देने के लिए ऋणदाताओं को सक्षम बनाकर अंतिम उधारकर्ताओं पर प्रभाव को कम करना। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह ऋणदाताओं को कोविड-19 महामारी के कारण दबाव वाले ऋणों के संबंध में व्यक्तिगत समाधान योजनाओं को लागू करने में सक्षम बनाएगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त दृष्टिकोण ऐसे ऋणों के वर्गीकरण को मानक के रूप में जारी रखने में भी सक्षम होगा, यानी उन्हें एन. पी. ए. के रूप में माने बिना।

आदि। आई. डी. 1 का वह परिपत्र अर्थव्यवस्था की समग्र वित्तीय स्थिरता, बैंकिंग क्षेत्र की आर्थिक स्थिरता और ब्याज को ध्यान में रखते हुए एम. एस. एम. ई. क्षेत्र, व्यक्तिगत ऋण और निगमित ऋणों का ध्यान रखता है।

जमाकर्ताओं को ध्यान में रखें। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान आर्थिक मुद्दों को जारी रखने की समय सीमा अनिश्चित है, छोटे पैमाने पर औद्योगिक प्रबंधन संगठन (आर. ई. जी. डी.) v.

एक नीति के रूप में किसी भी "एक आकार सभी के लिए उपयुक्त" समाधान देना अवांछनीय है, और न ही एक स्थिर राहत सूत्र प्रदान करना वांछनीय होगा। इस तरह

राहत संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर और बैंकिंग क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता से समझौता किए बिना दी जाती है, और हमेशा विभिन्न चरणों में विकसित होने वाली गतिशील स्थिति को ध्यान में रखते हुए परिवर्तन के अधीन होती है।

7.9 यह प्रस्तुत किया जाता है कि आर. बी. आई. परिपत्र दिनांक 6.8.2020 के तहत ढांचे के साथ, बैंकों को कोविड-19 से संबंधित समस्याओं का समाधान करने का पूरी तरह से अधिकार है। निम्नलिखित के संदर्भ में विभिन्न रियायतों के अनुदान के माध्यम से व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को तनाव और अनुकूलित राहत दें:

(i) ब्याज की दर में परिवर्तन और देय राशि पर बाल कटवाना। ब्याज के रूप में;

( (ii) ऋण के साथ या उसके बिना शेष अवधि का विस्तार।

अधिस्थगन, दो साल तक;

( (ग) दंडात्मक ब्याज और शुल्कों को माफ करना।

( v) संचित ब्याज को स्थगित भुगतान अनुसूची के साथ नए ऋण में परिवर्तित करना; और ( vi) अतिरिक्त ऋण की मंजूरी।

7.10 यह प्रस्तुत किया जाता है कि जहां तक चक्रवृद्धि ब्याज/ब्याज पर ब्याज की छूट का सवाल है, उक्त मुद्दों की जांच विशेष रूप से देश और सामान्य रूप से दुनिया के सामने आने वाली बड़ी वित्तीय बाधाओं के संदर्भ में की जानी चाहिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रभावी राजकोषीय योजना के एक हिस्से के रूप में, जो एक ऐसे स्तर पर की जा रही है जहां किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं है कि वर्तमान स्थिति कब तक जारी रह सकती है, कम या ज्यादा गंभीरता के साथ, महामारी के वित्तीय प्रभावों से निपटने के लिए सरकार द्वारा एक नाजुक संतुलन अधिनियम की आवश्यकता है। इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य के मोर्चे पर एक लंबी और अनिश्चित लड़ाई के लिए वित्तीय संसाधनों का संरक्षण करना होगा, जिसकी अपनी विशाल वित्तीय स्थिति है

प्रभाव। व्यवसायों को जीवित रहने की आवश्यकता है। ऋण देने वाली संस्थाओं को भी टिके रहना चाहिए और जमाकर्ताओं से किए गए वादों का सम्मान करना चाहिए। नौकरियों और आजीविका की रक्षा करने की आवश्यकता है और आर्थिक विकास को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। इसलिए, हितधारकों की किसी भी श्रेणी के लिए सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग सावधानीपूर्वक कैलिब्रेट किया जाना चाहिए। यदि सभी प्रासंगिक पहलुओं पर उचित विचार नहीं किया जाता है, तो अनपेक्षित परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं और वित्तीय स्थिरता ही खतरे में पड़ सकती है।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

7.11 यह प्रस्तुत किया जाता है कि महामारी के प्रारंभिक प्रवेश से ही

हमारे देश में, जिसने अपने प्रभावों (वित्तीय प्रभाव सहित) का सामना करना शुरू कर दिया है, केंद्र सरकार ने या तो स्वयं या भारतीय रिज़र्व बैंक के माध्यम से सक्रिय रूप से कदम उठाए हैं, जिसका पहले से ही वित्तीय प्रभाव पड़ा है, जिसे आगे के निर्णय लेते समय या तो अधिस्थगन देते समय ध्यान में रखा जाना आवश्यक था/है, जो वास्तव में, स्थगन (और छूट नहीं) है और साथ ही साथ राहत के संबंध में वर्तमान निर्णय लेते समय भी।

ब्याज का चक्रवृद्धि। केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए निम्नलिखित कदमों के अपने वित्तीय प्रभाव हैं जिनके लिए केंद्र सरकार को इस स्तर पर किसी भी प्रकार की छूट को तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता होगी क्योंकि इसके तहत निर्धारित की गई छूट से आगे बढ़ना समग्र आर्थिक परिदृश्य के लिए हानिकारक हो सकता है और अर्थव्यवस्था और राष्ट्र या बैंकिंग क्षेत्र इसके परिणामस्वरूप आने वाली वित्तीय बाधाओं को दूर करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं।

7.13 यह प्रस्तुत किया जाता है कि जहां तक ब्याज पर ब्याज का सवाल है, "अधिस्थगन" क्या है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। यह है। प्रस्तुत किया कि "अधिस्थगन" शब्द को विभिन्न परिपत्र जारी करते समय भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रासंगिक परिपत्रों से पता चलता है कि "स्थगन" का उद्देश्य कभी भी "ब्याज की छूट" नहीं था, बल्कि "ब्याज को स्थगित करना" था।

दूसरे शब्दों में, यदि कोई उधारकर्ता छोटे पैमाने के औद्योगिक प्रबंधन संगठन (आर. ई. जी. डी.) का लाभ उठाता है। भारत संघ [एम. आर. शाह, जे.]

अधिस्थगन, संविदात्मक ब्याज (सामान्य ब्याज और ब्याज पर ब्याज दोनों) का भुगतान करने का उसका दायित्व तीन महीने की अवधि के लिए और उसके बाद तीन महीने के लिए स्थगित हो जाता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह निर्णय व्यापक आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया था, विशेष रूप से उन बोझों को ध्यान में रखते हुए जो अन्यथा बैंकों पर पड़ेंगे जिन्हें इसे जमाकर्ताओं और/या उन पर डालने के लिए मजबूर करना होगा। सरकार जिसका अन्य कल्याणकारी उपायों पर अपना हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि कई राजकोषीय और वित्तीय मानदंडों पर बहुत सावधानीपूर्वक और बड़े पैमाने पर विचार करने के बाद, इसके अपरिहार्य प्रभावों और मौजूदा स्थिति की

अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए, ब्याज और ब्याज पर ब्याज का भुगतान केवल स्थगित कर दिया गया था और इसे कभी माफ नहीं किया गया था।

7.15 यह प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा भी किसी भी बैंक की ऋण देने की गतिविधि हमेशा उन जमाओं द्वारा सक्षम होती है जो जमाकर्ताओं/ग्राहकों के पास ऋण देने वाले बैंकों में होती हैं। ऐसे जमाकर्ताओं की संख्या उधारकर्ताओं की संख्या से बहुत अधिक है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह अनुमान लगाया गया है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली में प्रत्येक 'ऋण खाते' के लिए लगभग 8.50 'जमा खाते' हैं। बैंक जमाकर्ताओं को केवल इसलिए ब्याज दे सकते हैं क्योंकि ऋणकर्ता बैंक को ब्याज का भुगतान करते हैं। जमाकर्ताओं/बैंकों/उधारकर्ताओं का यह लेनदेन अनिवार्य रूप से एक ऐसी श्रृंखला का हिस्सा है जिसे कभी भी तोड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए सभी [2021] 15 एस. सी. आर. पर संविदात्मक ब्याज।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निजी क्षेत्र के बैंक, लघु वित्त बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, एनबीएफसी आदि बैंकों की कई श्रेणियां हैं। उधारकर्ताओं के वर्ग और श्रेणियां भी पूरे देश में भिन्न होती हैं, और इन्हें मोटे तौर पर बड़े उधारकर्ताओं और छोटे उधारकर्ताओं के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जमाकर्ताओं पर वित्तीय प्रभाव डाले बिना या उनकी निवल संपत्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना चक्रवृद्धि ब्याज/ब्याज की छूट के परिणामस्वरूप होने वाले बोझ को वहन करना बैंकों के लिए असंभव है, जो व्यापक राष्ट्रीय आर्थिक हित में नहीं होगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस बोझ को वहन करने वाली सरकार का महामारी से जुड़ी प्रत्यक्ष लागतों को पूरा करने सहित राष्ट्र के सामने आने वाली कई अन्य महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताओं पर प्रभाव पड़ेगा

प्रबंधन, आम आदमी की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना और आजीविका के नुकसान से उत्पन्न आम आदमी की समस्याओं को कम करना।

7.17 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त संचयी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, सावधानीपूर्वक विचार करने और सभी संभव वजन करने के बाद

वैकल्पिक रूप से, केंद्र सरकार ने छोटे उधारकर्ताओं की सहायता करने की परंपरा को जारी रखने का निर्णय लिया है और इसलिए, अब सरकार ने ऋणकर्ताओं की सबसे कमजोर श्रेणियों तक सीमित अधिस्थगन अवधि के दौरान चक्रवृद्धि ब्याज की छूट की राहत दी है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उधारकर्ताओं की यह श्रेणी, जिनके मामले में ब्याज की चक्रवृद्धि को माफ कर दिया जाएगा, वे एमएसएमई ऋण होंगे और

रुपये तक का व्यक्तिगत ऋण। 2 निम्नलिखित श्रेणियों के करोड़:

( 1 ) 2 करोड़ रुपये तक के एमएसएमई ऋण

2 करोड़ रुपये तक का शिक्षा ऋण

( (ख) ( 3) 2 करोड़ रुपये तक का आवास ऋण

2 करोड़ रुपये तक का उपभोक्ता टिकाऊ ऋण

( (iv) ( v) क्रेडिट कार्ड का 2 करोड़ रुपये तक का बकाया

( vi) 2 करोड़ रुपये तक के 3 वाहन ऋण लघु औद्योगिक विनिर्माण संगठन (आर. ई. जी. डी.) v. भारत संघ [एम. आर. शाह, जे.]

( vii) पेशेवरों को एक लाख रुपये तक का व्यक्तिगत ऋण। 2 करोड़ ( viii) 2 करोड़ रुपये तक का उपभोग ऋण

और कोविड-19 संकट से प्रभावित कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं की सुरक्षा के लिए दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 10। यह प्रस्तुत किया जाता है कि रिजर्व बैंक द्वारा गठित कामथ समिति ने भी वित्तीय सहायता की सिफारिश की है कोविड-19 से प्रभावित 26 क्षेत्रों के ऋण पुनर्गठन के लिए मानदंड। यह.

इसलिए प्रस्तुत किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा जो भी सर्वोत्तम किया जा सकता था, वही किया गया है।

7.20 अब जहाँ तक क्षेत्र-विशिष्ट राहतों की मांग करने वाले कई याचिकाकर्ताओं और हस्तक्षेपकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों का संबंध है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों में न केवल बोर्ड भर में लागू राहत शामिल हैं, बल्कि विशिष्ट क्षेत्रों के लिए भी राहत शामिल हैं। याचिकाकर्ता/हस्तक्षेपकर्ता भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत वर्तमान कार्यवाही के माध्यम से छूट या पुनर्गठन द्वारा क्षेत्र-विशिष्ट राहत के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते हैं।

इस तरह के वित्तीय तनाव प्रबंधन उपायों का सवाल आवश्यक है कई वित्तीय मानकों का परीक्षण और विचार और इसके

प्रभाव और न्यायिक रूप से निर्णय लेने या न्यायिक समीक्षा के अधीन होने के लिए उपयुक्त नहीं हैं।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा भी, आत्मनिर्भर पैकेज बिजली क्षेत्र, अचल संपत्ति क्षेत्र के लिए क्षेत्र-विशिष्ट राहत प्रदान करता है। एमएसएमई क्षेत्र। यह प्रस्तुत किया जाता है कि Rs.90,800 करोड़ से अधिक तरलता

बिजली वितरण कंपनियों के लिए इंजेक्शन को मंजूरी दी गई है।

बिजली वितरण कंपनियों को बिजली उत्पादकों और पारेषण कंपनियों को अपने बकाया का भुगतान करने में सक्षम बनाना। यह प्रस्तुत किया जाता है कि कोविड-19 को आकस्मिक घटना मानते हुए रेरा के तहत अचल संपत्ति परियोजनाओं के पंजीकरण और पूरा होने की तारीखों को बढ़ाने के लिए सरकारी परामर्श जारी किया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवास के लिए ऋण से जुड़ी सब्सिडी योजना (प्रधानमंत्री आवास योजना) को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसमें आवासीय अचल संपत्ति की खरीद के लिए सब्सिडी प्रदान की गई है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जहां तक एमएसएमई क्षेत्र को राहत है

संबंधित, रुपये तक की आपातकालीन क्रेडिट लाइन। 3 एम. एस. एम. ई. को नियमित संचालन में वापस लाने में सक्षम बनाने के लिए सरकारी गारंटी द्वारा समर्थित एक लाख करोड़ रुपये की योजना शुरू की गई है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि रु। ऋण गारंटी योजना के तहत 1.8 लाख करोड़ रुपये पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं।

दबावग्रस्त और एनपीए एमएसएमई इकाइयों की मदद के लिए अधीनस्थ ऋण शुरू किया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि ब्याज दर पर 2 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

लघु व्यवसाय ऋण के लिए।

7.21 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि विभिन्न याचिकाकर्ताओं/आवेदकों द्वारा अधिस्थगन के विस्तार के संदर्भ में मांगी गई राहत के संबंध में,

समाधान ढांचे की प्रयोज्यता, ब्याज दर का निर्धारण, दर में कटौती का संचरण, उधारकर्ता की क्रेडिट रेटिंग से ब्याज दर को अलग करना और गैर-क्रेडिट साधनों के पुनर्भुगतान पर रोक, जिसमें ब्याज दरों की स्थापना और पुनर्गठन के लिए अन्य मानदंड शामिल हैं, जिसमें नकदी प्रवाह और व्यवहार्यता के अनुमानों का मूल्यांकन करना शामिल है। इसके लिए, बदले में, विशेषज्ञता, वित्तपोषण के तकनीकी ज्ञान और विषय से निपटने के अनुभव की आवश्यकता होती है। अतः योग्यता

प्रस्ताव, व्यवहार्यता के लिए मानक, मान्यताओं की तर्कसंगतता का मूल्यांकन और अंत में समाधान योजनाओं की स्वीकृति और निगरानी उधारकर्ताओं और संबंधित ऋण देने वाली संस्थाओं के बीच सबसे अच्छे मामले हैं।

7.22 यह प्रस्तुत किया जाता है कि केंद्र सरकार और सभी हितधारकों ने उन परिस्थितियों में अपनी जिम्मेदारी का सर्वोत्तम संभव तरीके से निर्वहन किया है जो अपने आप में अभूतपूर्व हैं। परिस्थितियाँ। यह प्रस्तुत किया जाता है कि केंद्र सरकार, एक नियामक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक और ऋण देने वाले संस्थानों द्वारा लिए गए सभी निर्णय वैश्विक स्तर के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर वित्तीय तनाव को ध्यान में रखते हुए लिए जाते हैं।

भारत संघ [एम. आर. शाह, जे.]

और यह सुनिश्चित करते हुए कि स्रोतों का उपयोग किया जाता है ताकि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और बैंकिंग क्षेत्र की अर्थव्यवस्था वर्तमान वित्तीय स्थिति का सामना कर सकती है, जिसकी अवधि अज्ञात है।

7.23 अब जहाँ तक यह निवेदन है कि राष्ट्रीय योजना, जैसा कि डी. एम. ए. 2005 की धारा 11 के तहत तैयार करने की आवश्यकता है, तैयार नहीं की गई है।

विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री मेहता ने प्रस्तुत किया है कि एन. डी. एम. ए. डी. एम. ए. 2005 की धारा 12 और 13 के तहत दिए गए अपने कर्तव्य का पालन करने में विफल रहा है।

( i) कि डी. एम. ए. 2005 अधिनियम की धारा 2 (1) के तहत एक "राष्ट्रीय योजना" पर विचार करता है। ऐसी योजना डी. एम. ए. 2005 की धारा 11 के तहत तैयार की जानी है। कि एन. डी. एम. ए. ने वास्तव में एक विस्तृत तैयारी की है

और व्यापक "राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना" जो

( (ii) कि वर्तमान आपदा राष्ट्रीय आपदा के खंड 7.15 के तहत "जैविक और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों" के अंतर्गत आ सकती है। प्रबंधन योजना। कि कुछ आपदाएँ हैं जो विश्व स्तर पर एक जाति के रूप में मानवता के लिए अज्ञात हैं और जानी जाती हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि कोविड-19 में पूरी दुनिया जिसका सामना कर रही है, वह ऐसी ही एक अप्रत्याशित आपदा है जिसे "वैश्विक आपदा" कहा जाता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि नवंबर, 2019 में बनाई गई राष्ट्रीय योजना में परिकल्पना की गई है

इस तरह की दुर्लभतम "वैश्विक आपदा जोखिम घटनाएं"। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपनी प्रकृति से, इस तरह की वैश्विक आपदा की भविष्यवाणी या रोकथाम नहीं की जा सकती है और न ही इसके लिए कोई सीधी प्रक्रिया हो सकती है।

प्रबंधन निर्धारित किया जाए। प्रत्येक देश को परिस्थितियों में इस तरह की वैश्विक आपदा का सर्वोत्तम संभव तरीके से जवाब देना होगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य, वित्त आदि के क्षेत्रों में। वर्तमान स्थिति राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना के खंड 2.8 में निर्धारित "वैश्विक आपदा जोखिम" की श्रेणी में आती है।

7.23. 1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त के आलोक में, प्रतिक्रियाएं

और नोडल मंत्रालयों द्वारा उठाए गए राहत उपायों पर विचार करने की आवश्यकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि किसी भी सीधे को निर्धारित करना संभव नहीं था

15 एस. सी. आर. में इस तरह की आपदा और प्रत्येक देश से निपटने की जैकेट पद्धति।



दुनिया संसाधनों के तर्कसंगत उपयोग के साथ चुनौतियों का सर्वोत्तम संभव तरीके से जवाब दे रही है।

7.23. 2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभूतपूर्व के संदर्भ में

स्थिति, डी. एम. ए. 2005 की योजना की जांच की जानी आवश्यक है। डी. एम. ए. 2005 के उद्देश्यों और कारणों के विवरण का उल्लेख करने के बाद, श्री मेहता, विद्वान सॉलिसिटर जनरल द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि उद्देश्यों और कारणों के विवरण के साथ-साथ अधिनियम की योजना, अधिनियम आपदा से निपटने के लिए एक वैधानिक तंत्र की परिकल्पना करता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जहाँ तक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन. डी. एम. ए.) का संबंध है

संबंधित, यह अधिनियम की धारा 3 के तहत स्थापित किया गया है, जिसके अध्यक्ष भारत के माननीय प्रधान मंत्री हैं और अन्य सदस्यों को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा नामित किया जाता है और शक्तियों का निर्वहन किया जाता है।

और अधिनियम की धारा 6 के तहत गिने गए कार्य। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एन. डी. एम. ए. एक प्रशासनिक निकाय है जिसका अधिनियम की धारा 6 में निर्धारित सीमित कार्य है। इसे एक "सुपर गवर्नमेंट" होने की परिकल्पना नहीं की गई है जो सरकार के मंत्रालयों और विभागों के सभी कार्यों और शक्तियों का भंडार बन जाती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि ऐसा नहीं है कि एक बार अधिनियम की धारा 2 (डी) के तहत परिभाषित आपदा होने के बाद, केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों के कार्य एन. डी. एम. ए. में निहित हैं और प्रत्येक उपाय या तो केवल एन. डी. एम. ए. द्वारा किया जाएगा न कि संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा या कम से कम एन. डी. एम. ए. द्वारा जांचा या अनुमोदित किया जाएगा।

7.23. 3 धारा 2 (ए), (बी), (सी), (डी), (ई), (आई), (एम) का उल्लेख करने के बाद,

( एन), (ओ) और (पी) और अधिनियम की धारा 6, श्री मेहता द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि एन. डी. एम. ए. द्वारा अधिनियम के तहत आपदा प्रबंधन इन तक सीमित है

अधिनियम की धारा 6, जबकि राष्ट्रीय योजना के तहत नोडल मंत्रालय कदम उठाते हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एन. डी. एम. ए. स्वयं तब तक राहत या राहत के उपाय करना शुरू नहीं करेगा जब तक

कि केंद्र सरकार (विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से कार्य करना) ऐसा करने में विफल रहती है। डी. एम. ए. 2005 की धारा 35 और 36 का उल्लेख करते हुए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों या विभागों के लिए है जो आपदा के एक हिस्से के रूप में राहत उपाय देने के लिए कदम उठाते हैं।

प्रबंधन।

7.23. 4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि एन. डी. एम. ए. सतर्क है और काम कर रहा है।

परामर्श के माध्यम से हमारे देश में महामारी के प्रकोप से बहुत पहले

धारा 7 के तहत समिति, धारा 8 के तहत राष्ट्रीय कार्यकारी समिति और अधिनियम की धारा 9 के तहत उप-समितियाँ। यह प्रस्तुत किया जाता है कि राष्ट्रीय योजना के तहत, जो अधिनियम के तहत तैयार की गई एक वैधानिक योजना है, एक संस्थागत ढांचा प्रदान किया जाता है जो निम्नानुसार है:

लघु स्तरीय औद्योगिक उपकरण संगठन (आर. ई. जी. डी) v. भारत संघ [एम. आर. शाह, जे.]

1.14. 1 राष्ट्रीय स्तर पर

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थागत तंत्र

समग्र समन्वय

गृह मंत्रालय

नामित किया गया

नोडल मंत्रालय

( आपदा।

शीर्ष स्तर का निर्णय लेना

विशिष्ट)

राष्ट्रीय

आपदा

प्रबंधन

प्राधिकर

ण

( एन.

डी. एम. ए)

राष्ट्रीय

कैबिनेट

संकट

समिति

प्रबंधन

अच्छा हुआ।

समिति

सुरक्षा

( एनसीएमसी) "

( सी. सी. एस)

राष्ट्रीय

कार्यपालक

समिति

( एन. ई. सी)

सशस्त्र बल

राष्ट्रीय

इटियोना

संस्थान

आपदा

राज्य

सेंट्रल एरिन्ड

आपदा

प्र

तिक्रिया

सरकारें

पुलिस बल

प्रबंधन

बल

यूटीएस

( सीएपीएफ)

( एन. आई. डी.

एम)

(

एनओआरएफ)

और

चित्र 1-3: राष्ट्रीय स्तर का आपदा प्रबंधन-बुनियादी संस्थागत ढांचा

यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन

योजना में विभिन्न आपदाओं के प्रबंधन के लिए नोडल मंत्रालयों की भी परिकल्पना की गई है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एन. डी. एम. ए. द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय योजना में ही परिकल्पना की गई है कि आपदा की प्रत्येक श्रेणी से एक नोडल मंत्रालय द्वारा निपटा जाएगा।

7.23. 5 यह प्रस्तुत किया जाता है कि कोविड-19 ऐसी प्रकृति की आपदा थी

कि इसे एक नोडल मंत्रालय तक सीमित नहीं रखा जा सकता था। जो भी उपाय/राहत देने की आवश्यकता थी, वे प्रत्येक मंत्रालय द्वारा हर तरह से प्रदान किए गए थे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि रेल मंत्रालय ने प्रवासियों के परिवहन के लिए मुफ्त रेल प्रदान की, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन के बड़े हिस्से को संभाला, जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य और अस्पताल के बुनियादी ढांचे की देखभाल करना, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने विभिन्न राहत कार्यों के लिए प्रदान किया।

कृषि क्षेत्र, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने अचल संपत्ति क्षेत्र आदि के लिए अलग-अलग राहत उपाय जारी किए।



इसी तरह, वित्त मंत्रालय, जिसकी भूमिका अन्य मंत्रालयों द्वारा किए गए उपायों को वित्तपोषित करने की थी, ने भी कई राहत कार्य किए

वित्तीय पैकेज के संदर्भ में और या तो सीधे या भारतीय रिज़र्व बैंक के माध्यम से संकटग्रस्त खातों के लिए राहत सुनिश्चित करता है।

7.23. 6 यह प्रस्तुत किया जाता है कि महामारी की प्रकृति को देखते हुए जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान तक सीमित नहीं थी

लेकिन पूरे भारत में मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले प्रभाव पर, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में "अधिकार प्राप्त" शामिल थे।

व्यापक कार्रवाई और एकीकृत प्रतिक्रिया के लिए धारा 10 (2) (एच) और (आई) के तहत समूह। वही अध्यक्ष द्वारा प्रकाशित किया गया था

अधिनियम की धारा 8 के तहत गठित राष्ट्रीय कार्यकारी समिति। सशक्त समूहों में से एक "आर्थिक और कल्याणकारी उपाय" था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त अधिकार प्राप्त समूह एक अंग के रूप में कार्य करता है एन. डी. एम. ए. का गठन राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष द्वारा अधिनियम के तहत किया जाता है।

7.23. 7 यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता कुछ के तहत हैं

यह गलत धारणा कि सभी मंत्रालयों के कार्यों का निर्वहन एन. डी. एम. ए. द्वारा किया जाना है और एन. डी. एम. ए. को प्रत्येक क्षेत्र के लिए निर्णय लेना चाहिए मंत्रालय। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जहां तक वर्तमान आपदा के आर्थिक प्रभाव का संबंध है, यह अनिवार्य रूप से वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है कि वे अधिनियम की धारा 36 के तहत उपाय करें और एन. डी. एम. ए. के कदम उठाने का सवाल ही नहीं उठेगा।

7.24 अब जहाँ तक याचिकाकर्ताओं द्वारा रखी गई निर्भरता है

अधिनियम की धारा 13 का संबंध है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 13 में उपयोग किया गया शब्द "मई" है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 13 में उपयोग किए गए शब्द "हो सकता है" को एक सक्षम विवेकाधीन प्रावधान के रूप में पढ़ना होगा और नहीं

अनिवार्य है। विधायिका ने अपने विवेक और दूरदर्शिता से परहेज किया है

7.24. 1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 13 का प्रावधान एक सक्षम प्रावधान है जिसमें किसी भी तथ्य के सेट में एन. डी. एम. ए. कर सकता है। " "ऋणों के पुनर्भुगतान या नए ऋणों के अनुदान में राहत" की सिफारिश करें। यदि "हो सकता है" शब्द का उपयोग "होगा" के रूप में किया जाता है, तो इसका एकमात्र परिणाम यह हो सकता है कि [और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक वित्तीय और आर्थिक प्रभाव को देखे बिना] ऋण के पुनर्भुगतान या नए ऋण के अनुदान में राहत देने के लिए कानून का आदेश दिया जाए। "विल" शब्द के अर्थ का अर्थ होगा एन. डी. एम. ए. केवल एक क्षेत्र में वित्तीय राहत दे रहा है-लघु औद्योगिक उपकरण संगठन (आर. ई. जी. डी.) v.

भारत संघ [एम. आर. शाह, जे.]

बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित हैं] नष्ट करने की कीमत पर भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था, बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता को नष्ट करना और

बैंकिंग क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों (जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य, चिकित्सा अवसंरचना आदि) में "आपदा प्रबंधन" की कीमत पर भी।

7.24. 2 धारा 13 का उपयोग शायद भोपाल गैस त्रासदी या गुजरात में भूकंप जैसी स्थानीय आपदाओं के मामले में किया जा सकता है। हालाँकि, जब कोई राष्ट्रीय आपदा आती है, तो आपदा का प्रबंधन कई मंत्रालयों के माध्यम से किया जाता है। खाद्य मंत्रालय खाद्य पदार्थों का वितरण करेगा जिसमें खर्च शामिल होगा, कृषि मंत्रालय विभिन्न राहत उपायों से कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देगा, स्वास्थ्य मंत्रालय उपचार और सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दों का प्रभार संभालेगा, गृह मंत्रालय प्रसार की रोकथाम के उपायों को लागू करेगा और अन्य मंत्रालयों को अपने-अपने क्षेत्रों में ऐसा ही करना होगा।

7.24. 3 "हो सकता है" और "होगा" शब्द के उपयोग का अर्थ होगा कि देश की पूरी अर्थव्यवस्था का विनिवेश और उपयोग करना होगा।

उपरोक्त के समर्थन में, विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री मेहता ने प्रदीप कुमार के मामलों में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया है मैती वी. चिनमॉय कुमार भूनिया (2013) 11 एस. सी. सी. 122 (पैरा 6); चिन्नामार्काथियन बनाम। अय्यवू (1982) 1 एस. सी. सी. 159 (पैरा 24 से 26); आधिकारिक परिसमापक बनाम। धरती धन (पी) लिमिटेड (1977) 2 एस. सी. सी. 166 (पैरा 7 से 10); बच्चन देवी बनाम। नगर निगम, गोरखपुर (2008) 12 एस. सी. सी. 372 (पैरा 18); दिल्ली

प्रशासन बनाम उमराव सिंह (2012) 1 एस. सी. सी. 194 (पैरा 13) और भारत संघ बनाम। कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स कं. लिमिटेड (2017) 8 एस. सी. सी. 307 (पैरा 34 और 35)।

7.24. 4 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि एन. डी. एम. ए. ने कुछ नहीं किया है।

अन्यथा यह तथ्यात्मक रूप से भी गलत है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह एन. डी. एम. ए. और वित्त मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालयों द्वारा किए गए अभूतपूर्व प्रयास के लिए अनुचित और अनुचित है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय के समक्ष पहले हुई सुनवाई को देखते हुए, एन. डी. एम. ए. ने भी आर. बी. आई. द्वारा निपटाए जा रहे मुद्दों का संज्ञान लिया और ओ. एम. दिनांक 28.08.2020 के माध्यम से अपने "विचार और सिफारिशें" भेजी और राय दी। कि उसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक वित्त मंत्रालय द्वारा जारी वित्तीय राहत पैकेजों के साथ-साथ [2021] 15 एस. सी. आर. पर विचार करने और ध्यान में रखने के बाद आगे की राहत देने पर विचार कर सकता है।



अन्य राहत उपाय जो पहले ही भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी और घोषित किए जा चुके हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एन. डी. एम. ए. के "विचारों और सिफारिशों" को आर. बी. आई. को दिनांकित 31.08.2020 पत्र के माध्यम से सूचित किया गया था।

7.24. 5 यह प्रस्तुत किया जाता है कि एन. डी. एम. ए. के "विचार और सिफारिशें" व्यापक वित्तीय नीतिगत निर्णयों से संबंधित हैं जिनमें आर्थिक स्थिति होती है। बैंकिंग क्षेत्र में प्रभाव और अन्य प्रभाव। इसलिए, वित्त मंत्रालय ने दिनांक 1 के पत्र के माध्यम से, एन. डी. एम. ए. के "विचारों और सिफारिशों" को आर. बी. आई. को भेज दिया और उससे राहत के संबंध में एन. डी. एम. ए. के "विचारों और सिफारिशों" पर विचार करने का अनुरोध किया।

कोविड-19 से प्रभावित उधारकर्ताओं द्वारा ऋणों का पुनर्भुगतान, ताकि भारतीय रिज़र्व बैंक

अन्य बातों के साथ-साथ, उपरोक्त मापदंडों के आधार पर आगे की कार्रवाई की रूपरेखा तैयार करते समय इस पर विचार किया जा सकता है।

7.24. 6 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए आर. बी. आई. के दिनांकित 27.3.2020,23.5.2020 और 6.8.2020 परिपत्रों के आलोक में, "दृश्य और

कोविड-19 से प्रभावित उधारकर्ताओं द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान में राहत के संबंध में एन. डी. एम. ए. की अनुशंसाएँ ओ. एम. दिनांक 29.08.2020 द्वारा व्यक्त की गई हैं और केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों के आलोक में, केंद्र सरकार द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए उचित राहत और रियायतें दी गई हैं।

कोविड-19 से प्रभावित उधारकर्ताओं को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। दिनांकित 6.8.2020 परिपत्रों के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक का ढांचा भी संबंधित याचिकाकर्ताओं द्वारा व्यक्त की गई विभिन्न चिंताओं को पर्याप्त रूप से संबोधित करता है। 7.25 श्री मेहता, विद्वान सॉलिसिटर जनरल द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि केंद्र सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक/ऋणदाताओं द्वारा दिए गए पैकेज/राहत

नीतिगत निर्णयों के दायरे में हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रत्येक पक्ष और विपक्ष पर विचार करने और व्यापक जनहित और देश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न कारकों और प्राथमिकताओं पर विचार करने के बाद एक सचेत निर्णय लिया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि देखा गया है और

अरुण कुमार अग्रवाल बनाम के मामले में इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित। भारत संघ (2013) 7 एस. सी. सी. 1 कि आर्थिक मुद्दों से संबंधित मामलों में हमेशा परीक्षण और त्रुटि का एक तत्व होता है और जब तक एक परीक्षण और त्रुटि प्रामाणिक और सर्वोत्तम इरादों के साथ होती है, तब तक ऐसे निर्णयों पर मनमाने, मज़बूत या अवैध के रूप में सवाल नहीं उठाया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त में

पैराग्राफ 43 में निर्णय, इस न्यायालय ने मेट्रोपोलिस थिएटर कंपनी के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विचार किया है। शिकागो, जिसने यह विचार रखा कि सरकार की समस्याएं व्यावहारिक हैं और यदि उन्हें आवश्यकता नहीं है, तो मोटे तौर पर समायोजन, अतार्किक, यदि हो सकता है, और अवैज्ञानिक हो सकती हैं। केवल सरकार की त्रुटियाँ हमारी न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं हैं।

यह केवल इसका स्पष्ट रूप से छोटा औद्योगिक उपकरण संगठन (आर. ई. जी. डी.) v है। भारत संघ [एम. आर. शाह, जे.]

मनमाना अभ्यास जिन्हें शून्य घोषित किया जा सकता है। श्री मेहता ने उपरोक्त निर्णय के अनुच्छेद 41 से 49 पर बहुत अधिक भरोसा किया है, जिसमें यह कहा गया है - न्यायालय ने पहले के विभिन्न फैसलों पर विचार किया।

7.25. 1 पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए। भारतीय रिज़र्व बैंक, (1992) 2 एस. सी. सी. 343, में यह प्रस्तुत किया गया है कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अवलोकन किया गया है, न्यायालय का कार्य यह देखना है कि वैध प्राधिकरण का दुरुपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन उस प्राधिकरण को सौंपे गए कार्य को अपने लिए उपयुक्त नहीं बनाया जाता है। यह आगे देखा गया है कि न्यायालयों को आर्थिक नीति में हस्तक्षेप नहीं करना है जो विशेषज्ञों का कार्य है। आर्थिक नीति के मामलों पर निर्णय देना अदालतों का काम नहीं है और यह आवश्यक रूप से विशेषज्ञ निकायों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि आगे यह देखा गया है कि न्यायालय के कार्य वित्तीय और आर्थिक मामलों में सलाह देने के लिए नहीं हैं।

ऐसी नीतियाँ जिनके लिए भारतीय रिजर्व बैंक जैसे निकाय पूरी तरह से सक्षम हैं। यह भी कहा गया है कि अदालत केवल उस स्थिति में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए कुछ या पूरे निर्देशों को रद्द कर सकती है जब अदालत को संतुष्ट किया जाता है कि निर्देश पूरी तरह से अनुचित थे या संविधान या किसी कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन कर रहे थे। उन्होंने उपरोक्त अनुच्छेद 31,37 और 38 पर भरोसा किया है।

निर्णय लें।

7.25. 2 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन के मामले में v. भारत संघ (2003) 4 एससीसी 289, यह देखा गया है कि नीति को प्रभावित करने वाले मामलों और तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता पर अदालत मामले को उन लोगों के निर्णय पर छोड़ देगी जो मुद्दों को संबोधित करने के लिए योग्य हैं।

7.25. 3 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि धामपुर शुगर (काशीपुर) लिमिटेड के मामले में v. उत्तरांचल राज्य (2007) 8 एस. सी. सी. 418, यह है

अदालतों के लिए प्रतिस्पर्धी दावों और परस्पर विरोधी हितों पर विचार करना और यह निष्कर्ष निकालना संभव है कि संतुलन किस तरफ झुकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह आगे देखा जाता है कि न्यायालय सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय को केवल इसलिए रद्द नहीं कर सकता है क्योंकि उसे लगता है कि कोई अन्य नीतिगत निर्णय निष्पक्ष या बुद्धिमान या अधिक वैज्ञानिक या तार्किक होता। अदालत केवल तभी हस्तक्षेप कर सकती है जब नीतिगत निर्णय स्पष्ट रूप से मनमाना, भेदभावपूर्ण या दुर्भावनापूर्ण हो।



सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

7.25. 4 न्यायिक समीक्षा के अभ्यास पर, श्री मेहता, विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने इस न्यायालय के निम्नलिखित फैसलों पर भरोसा किया है, अरुण कुमार

अग्रवाल (ऊपर); एम. पी. बनाम राज्य नंदलाल जैसवाल, (1986) 4 एस. सी. सी. 566; बाल्को कर्मचारी संघ (विनियमित) v. भारत संघ, (2002) 2 एस. सी. सी. 333; पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड (ऊपर); डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड बनाम। भारत संघ (1996) 10 एस. सी. सी. 104; विलियनूर इयार्काई पडुकप्पु मैयम बनाम। , भारत संघ (2009) 7 एस. सी. सी. 561; नर्मदा बचाओ आंदोलन बनाम। भारत संघ, (2000) 10 एस. सी. सी. 664; और आर. के. गर्ग बनाम। भारत संघ (1981) 4 एस. सी. सी. 675।

भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जवाब

8. भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वी. गिरि ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दी हैं:

बैंकिंग कंपनियों द्वारा अनुसरण किया गया; (ii) विधानमंडल ने भारतीय रिज़र्व बैंक को बैंकिंग कंपनियों द्वारा अपनाई जाने वाली बैंकिंग नीतियों को निर्धारित करने के लिए सशक्त बनाने के लिए विभिन्न शक्तियां प्रदान की हैं। कि बैंकिंग क्षेत्र के नियामक होने के नाते, भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस देश के नागरिकों की वित्तीय स्थिति और स्थितियों के कारण होने वाले संभावित तनाव का संज्ञान लिया-जिसके परिणामस्वरूप

कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण अर्थव्यवस्था पर जोर दिया और निम्नलिखित उद्देश्य और उद्देश्य के साथ विकास और नियामक नीतियों पर दिनांक 27.03.2020 पर एक बयान जारी किया:

लघु स्तरीय औद्योगिक उपकरण संगठन (विनियमन) v. भारत संघ [एम. आर. शाह, जे.]

(i)

प्रणाली में तरलता का विस्तार करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि

वित्तीय बाजार और संस्थान कोविड-19 से संबंधित अव्यवस्थाओं के कारण सामान्य रूप से काम करने में सक्षम हैं।

मौद्रिक संचरण को मजबूत करना ताकि बैंक ऋण

(ख)

आसान शर्तों पर प्रवाह उन लोगों के लिए बनाए रखा जाता है जिनके पास है

महामारी से प्रभावित;

कोविड-19 व्यवधानों के कारण उत्पन्न वित्तीय तनाव को कम करना

iii)

पुनर्भुगतान के दबाव को कम करके और पहुंच में सुधार करके

कार्यशील पूंजी के लिए; और उच्च स्तर को देखते हुए बाजारों के कामकाज में सुधार

(iv)

शुरुआत और प्रसार के साथ अनुभव की गई अस्थिरता

महामारी।

(iii) वित्तीय तनाव को कम करने के लिए आराम करना।

" पुनर्भुगतान दबाव ", विकास और विनियामक नीति पर उक्त वक्तव्य में सावधि ऋणों पर स्थगन का प्रावधान किया गया है। विकास और विनियामक नीतियों पर उपरोक्त वक्तव्य के बाद, 'कोविड-19 विनियामक पैकेज दिनांकित' शीर्षक से एक परिपत्र जारी किया गया था 27.03.2020 ' , इस प्रकार उक्त वक्तव्य के माध्यम से जारी किए गए विनियामक उपायों के बारे में विस्तृत निर्देश प्रदान करना। कि इसने भुगतानों के पुनर्निर्धारण के लिए प्रावधान किया-सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी सुविधाएं। कि 'कोविड-19 नियामक पैकेज' शीर्षक वाले 'आईडी1' दिनांकित परिपत्रों के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 'आईडी2' दिनांकित परिपत्र को और संशोधित किया गया

- परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान 'और 23.5.2020 शीर्षक' कोविड-19 विनियामक पैकेज 'जिसके तहत अधिस्थगन अवधि आई

सावधि ऋणों के संबंध में सभी किश्तों के भुगतान पर एक और तीन महीने यानी 1.6.2020 से 31.8.2020 तक बढ़ा दिया गया है।

(iv) कि उपरोक्त नीतियां/परिपत्र जारी किए गए थे -

द्वारा लाए गए ऋण सेवा के बोझ को कम करने का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के कारण व्यवधान और व्यवहार्य व्यवसाय की निरंतरता सुनिश्चित करना। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, नियामक पैकेज

अपने सार में, स्थगन/स्थगन की प्रकृति में है और इसे छूट नहीं माना जा सकता है। हालाँकि, यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिस्थगन/स्थगन अवधि के लिए संचित ब्याज का पुनर्भुगतान करने में उधारकर्ताओं के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए, दिनांक 1 के परिपत्र में आगे यह प्रावधान किया गया था कि कार्यशील पूंजी सुविधाओं के संबंध में, ऋण देने वाले संस्थान, अपने विवेकानुसार, संचित [2021] 15 एस. सी. आर. को परिवर्तित कर सकते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

31.08.2020 तक की स्थगन अवधि के लिए ब्याज, एक वित्त पोषित ब्याज अवधि के ऋण में जो 31.03.2021 के बाद नहीं चुकाया जाएगा। इसके अलावा, सावधि ऋणों के संबंध में, यह प्रावधान किया गया है कि ऐसे ऋणों के लिए पुनर्भुगतान अनुसूची, जिसमें ब्याज के साथ-साथ मूलधन, साथ ही अवशिष्ट अवधि भी शामिल है, को बोर्ड में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

(vi) कि बैंक वाणिज्यिक निकाय हैं जो जमाकर्ताओं और उधारकर्ताओं के बीच मध्यस्थता करते हैं और उनसे व्यवहार्य होने की उम्मीद की जाती है। वाणिज्यिक विचार। कि बैंक जमाकर्ताओं के धन के

संरक्षक होने के नाते, उनके कार्यों को मुख्य रूप से जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा द्वारा निर्देशित करने की आवश्यकता है। कोई भी उधार व्यवस्था ऋणदाता और उधारकर्ता और ब्याज दरों के बीच एक वाणिज्यिक अनुबंध है।

उसी को प्रतिबिंबित करें। कि अग्रिमों पर ब्याज एक महत्वपूर्ण स्रोत है

बैंकों के लिए आय और धन की लागत को पूरा करने के बाद, बैंकों को व्यवहार्य संचालन के लिए उचित ब्याज मार्जिन बनाए रखने की भी आवश्यकता है।

vii) अन्यथा भारतीय रिजर्व बैंक कोविड-19 के कारण उत्पन्न चुनौतियों की व्यापकता से अवगत होने के कारण वास्तविक क्षेत्र के साथ-साथ वित्तीय क्षेत्र पर तत्काल प्रभाव को कम करने के लिए पहले ही कई उपायों की घोषणा कर चुका है, जिनके नाम हैं-27.3.2020,17.4.2020 और 23.5.2020 दिनांकित परिपत्र। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त परिपत्र/नीतियां थीं

अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख घटकों, सबसे महत्वपूर्ण रूप से उधारकर्ताओं को आर्थिक गिरावट से निपटने में सक्षम बनाने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ घोषणा की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य वित्तीय बाजारों को जमने से रोकना था; वित्तीय बिचौलियों के सामान्य कामकाज को सुनिश्चित करना; आसान बनाना। घरों और व्यवसायों द्वारा सामना किया जाने वाला तनाव; और वित्त के जीवन को प्रवाहित रखता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कई उपायों/नीतिगत निर्णयों की घोषणा की गई है, जो इस प्रकार हैं:

लघु स्तरीय औद्योगिक उपकरण संगठन (विनियमन) v. भारत संघ [एम. आर. शाह, जे.]

कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए प्रमुख नीतिगत घोषणाएँ

I. पॉलिसी दरों में कमी

27 मार्च,

नीतिगत रेपो दर को 75 बी. पी. एस. घटाकर 4.4 प्रतिशत कर दिया गया। रिवर्स रेपो दर को 90 बी. पी. एस. घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया गया।

2020

असममित गलियारा 1.

17 अप्रैल,

रिवर्स रेपो दर 25 आधार अंकों की कमी के साथ 3.75 प्रति शेयर हो गई।

2020

प्रतिशत।

22 मई,

नीतिगत रेपो दर को 40 आधार अंक घटाकर 4 प्रतिशत और रिवर्स रेपो दर को घटाकर 3.35 प्रतिशत कर दिया गया।

2020

II. तरलता संचालन

फरवरी

दीर्घकालिक रेपो संचालन (एल. टी. आर. ओ.) की घोषणा

6 , 2020

उत्पादक क्षेत्रों में ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए 1 से 3 वर्षों के लिए नीतिगत रेपो दर पर टिकाऊ तरलता। इस तरह का पहला एलटीआरओ 17 फरवरी, 2020 को आयोजित किया गया था।

6 महीने के लिए अमेरिकी डॉलर की बिक्री-खरीद अदला-बदली करने का निर्णय लिया गया।

12 मार्च,

विदेशी मुद्रा को अमेरिकी डॉलर की तरलता प्रदान करने के लिए नीलामी

2020

बाजार 2. इस तरह की पहली नीलामी 16 मार्च, 2020 को आयोजित की गई थी।

27 मार्च,

शुरू किए गए लक्षित दीर्घकालिक रेपो संचालन (टी. एल. टी. आर. ओ. एस.)

2020

बैंकों द्वारा ली जाने वाली तरलता को निवेश श्रेणी के निगमित बांडों, वाणिज्यिक पत्रों और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचरों में उनके बकाया स्तर के ऊपर और ऊपर तैनात किया जाना था।

इन बॉन्डों में निवेश करें। इस तरह की पहली टीएलटीआरओ नीलामी 27 मार्च, 2020 को आयोजित की गई थी।

17 अप्रैल,

सी. आर. आर. मार्च से प्रभावी होकर एन. डी. टी. एल. का 3 प्रतिशत घटाकर 100 बी. पी. एस. से 3 प्रतिशत हो गया।

2020

28 , 2020 26 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले एक वर्ष की अवधि के लिए।

27 अप्रैल,

लक्षित दीर्घकालिक रेपो संचालन करने का निर्णय लिया गया

2020

( टी. एल. टी. आर. ओ. एस.) 2. पॉलिसी रेपो दर पर। इस योजना के तहत बैंकों द्वारा ली जाने वाली तरलता को निवेश श्रेणी के निगमित बांडों, वाणिज्यिक पत्रों और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचरों में लगाया जाना चाहिए, जिसमें कुल राशि का कम से कम 50 प्रतिशत छोटे और मध्यम आकार के एनबीएफसी और एमएफआई को दिया जाना चाहिए। इस तरह की पहली टीएलटीआरओ 2 नीलामी 23 अप्रैल, 2020 को आयोजित की गई थी।

1 1 रिवर्स रेपो दर से संबंधित इस उपाय का उद्देश्य बैंकों के लिए रिजर्व बैंक में निष्क्रिय रूप से धन जमा करना अपेक्षाकृत अनाकर्षक बनाना है और इसके बजाय, इन निधियों का उपयोग अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को ऋण देने के लिए करना है।

2 इस उपाय की घोषणा तब की गई थी जब दुनिया भर के वित्तीय बाजारों को कोविड-19 संक्रमण के प्रसार के कारण अत्यधिक जोखिम से बचने पर तीव्र बिक्री दबाव का सामना करना पड़ रहा था। 3 सी. आर. आर. में इस कमी ने अतिरिक्त एस. एल. आर. की होल्डिंग के संबंध में घटकों की देनदारियों के अनुपात में बैंकिंग प्रणाली में समान रूप से लगभग 1 करोड़ रुपये की प्राथमिक तरलता जारी की।



म्यूचुअल फंडों पर तरलता दबाव को कम करने के लिए, यह था

30 अप्रैल,

म्यूचुअल फंड (एस. एल. एफ.) के लिए एक विशेष तरलता सुविधा खोलने का निर्णय लिया गया

2020

एम. एफ.)। इस योजना के तहत बैंकों द्वारा प्राप्त तरलता को विशेष रूप से म्यूचुअल फंड की जरूरतों को पूरा करने के लिए लगाया जाना है। इस तरह की पहली एसएलएफ-एमएफ नीलामी 27 अप्रैल, 2020 को आयोजित की गई थी। एस. एल. एफ.-एम. एफ. योजना के तहत घोषित नियामक लाभों का विस्तार सभी बैंकों तक करने का निर्णय लिया गया, चाहे वे रिजर्व बैंक से धन प्राप्त करें या म्यूचुअल फंड की तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने स्वयं के संसाधनों का उपयोग करें।

9 अक्टूबर,

2020

नीतिगत रेपो दर से जुड़ी अस्थायी दर पर एक लाख करोड़ रुपये तक की कुल राशि के लिए तीन साल तक की अवधि के साथ टैप टीएलटीआरओ आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इस योजना के तहत बैंकों द्वारा प्राप्त तरलता को निगमित बांडों, वाणिज्यिक पत्रों और विशिष्ट क्षेत्रों में संस्थाओं द्वारा जारी गैर-परिवर्तनीय डिबेंचरों में लगाया जाना चाहिए।

30 सितंबर, 2020 तक ऐसे साधनों में अपने निवेश के बकाया स्तर से ऊपर के क्षेत्र। इस योजना के तहत प्राप्त तरलता का उपयोग इन क्षेत्रों को बैंक ऋण देने के लिए भी किया जा सकता है।

उधारकर्ताओं के लिए वित्तीय तनाव को कम करना

III.

27 मार्च,

के बोझ को कम करने के लिए नियामक उपायों की घोषणा

2020

सावधि ऋणों के लिए किश्तें और कार्यशील पूंजी सुविधाओं पर ब्याज का स्थगन, कार्यशील पूंजी वित्तपोषण में आसानी और उपरोक्त उपायों के कार्यान्वयन के कारण विशेष उल्लेख खाते (एस. एम. ए.) और एन. पी. ए. के वर्गीकरण से छूट।

17 अप्रैल,

यह निर्णय लिया गया कि उन सभी खातों के संबंध में जिनके लिए ऋण दिया जाता है

2020

संस्थान अधिस्थगन या स्थगन देने का निर्णय लेते हैं, और जो 1 मार्च, 2020 तक मानक थे, 90-दिवसीय एन. पी. ए. मानक अधिस्थगन अवधि को बाहर कर देगा, यानी एक परिसंपत्ति होगी।
1 मार्च, 2020 से 31 मई, 2020 तक ऐसे सभी खातों के लिए वर्गीकरण ठप है।

वर्तमान अस्थिर वातावरण में संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए, 'विवेकपूर्ण ढांचे' के तहत समाधान योजना की अवधि 90 दिनों के लिए बढ़ा दी गई थी।

जारी किए गए कोविड-19 नियामक पैकेज को आगे बढ़ाते हुए

23 मई,

मार्च और अप्रैल 2020 में स्थगन/स्थगन को बढ़ाया गया था

2020

31 अगस्त, 2020 तक और तीन महीने।

6 अगस्त,

ऋण देने वाली संस्थाओं को पुनः गणना करने की अनुमति देकर कार्यशील पूंजी तक पहुंच में सुधार के लिए अतिरिक्त उपायों की घोषणा की गई।

2020

' 31 अगस्त, 2020 तक मार्जिन को कम करके 'ड्राइंग पावर'; और 31 मार्च, 2021 तक स्वीकृत सीमाओं की समीक्षा करना।

'विवेकपूर्ण रूपरेखा' के तहत समाधान योजना की अवधि को और 90 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया था, यानी कुल 180 दिन।

लघु स्तरीय औद्योगिक उपकरण संगठन (आर. ई. जी. डी) v. भारत संघ [एम. आर. शाह, जे.]

7 जून, 2019 के दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचे के तहत एक खिड़की प्रदान की गई थी, ताकि ऋणदाताओं को स्वामित्व और व्यक्तिगत ऋणों में परिवर्तन के बिना योग्य कॉर्पोरेट जोखिम के संबंध में एक समाधान योजना को लागू करने में सक्षम बनाया जा सके, जबकि इस तरह के जोखिमों को मानक के रूप में वर्गीकृत किया जा सके। केवल वे खाते जिन्हें मानक के रूप में वर्गीकृत किया गया था और जो 1 मार्च, 2020 तक 30 दिनों से अधिक समय तक चूक में

नहीं थे, वे इस विंडो के तहत समाधान के लिए पात्र हैं। इस विंडो को 31 दिसंबर, 2020 तक लागू किया जा सकता है और समाधान योजना को व्यक्तिगत ऋण के लिए आह्वान की तारीख से 90 दिनों के भीतर और ऋण में आह्वान की तारीख से 180 दिनों के भीतर लागू किया जाना है।

अन्य ऋणों का मामला।

एमएसएमई को 1 मार्च, 2020 को मानक के रूप में वर्गीकृत किए गए मौजूदा ऋण और जहां 1 मार्च, 2020 को बैंकों और एनबीएफसी का कुल ऋण 1 करोड़ से अधिक नहीं था, उन्हें 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र-अग्रिमों का पुनर्गठन' पर 6 अगस्त, 2020 के भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन संपत्ति वर्गीकरण में गिरावट के बिना पुनर्गठन की अनुमति दी गई थी। पुनर्गठन योजना होनी चाहिए 31 मार्च, 2021 तक लागू किया गया।

सितंबर

आवश्यकता पर विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें

7 , 2020

6 अगस्त, 2020 के संकल्प ढांचे के संदर्भ में लागू समाधान योजनाओं में इस तरह के मानकों को शामिल करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट मानक सीमा के साथ वित्तीय मानकों को अधिसूचित किया गया था। ऋण देने वाली संस्थाओं को समाधान योजनाओं के संबंध में वित्तीय धारणाओं को तैयार करते समय पांच प्रमुख अनुपातों और प्रत्येक क्षेत्र के लिए विशिष्ट सीमा पर विचार करना आवश्यक है।

IV. बैंक ऋण प्रवाह को सुविधाजनक बनाना और प्रोत्साहित करना

फरवरी

अनुसूचित वाणिज्यिक को नकद आरक्षित अनुपात (सी. आर. आर.) से छूट

6 , 2019

31 जनवरी, 2020 और 31 जुलाई, 2020 के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को वाहन, आवासीय आवास और ऋण के लिए खुदरा ऋण के रूप में दिए गए वृद्धिशील ऋण के बराबर राशि के लिए 5 साल की अवधि (ऋण की शुरुआत या ऋण की अवधि, जो भी पहले हो) के लिए बैंक (एससीबी)।

27 मार्च,

बैंकों के लिए शुद्ध स्थिर वित्त पोषण अनुपात (एन. एस. एफ. आर.) का कार्यान्वयन

2020

इसे 1 अप्रैल, 2020 से 1 अक्टूबर, 2020 तक छह महीने के लिए टाल दिया गया था। बैंकों के लिए पूंजी संरक्षण बफर (सी. सी. बी.) के 0.625 प्रतिशत की अंतिम किश्त के कार्यान्वयन को 31 मार्च, 2020 से 30 सितंबर, 2020 तक टाल दिया गया था।

1 अप्रैल,

काउंटर साइक्लिकल की समीक्षा और अनुभवजन्य विश्लेषण के आधार पर

2020

कैपिटल बफर (सी. सी. वाई. बी.) संकेतकों के अनुसार, यह निर्णय लिया गया कि सी. सी. वाई. बी. को एक वर्ष या उससे पहले की अवधि के लिए सक्रिय नहीं किया जाएगा, जैसा कि आवश्यक हो।

[ 2021 ] 15

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

17 अप्रैल,

अर्थव्यवस्था का समर्थन करने और नुकसान को अवशोषित करने की अपनी क्षमता को बनाए रखने के लिए बैंकों की पूंजी को संरक्षित करने की दृष्टि से

2020

अनिश्चितता बढ़ गई, यह निर्णय लिया गया कि बैंक इससे संबंधित लाभों से कोई और लाभांश भुगतान नहीं करेंगे

31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष अगले निर्देशों तक। इस प्रतिबंध की समीक्षा 30 सितंबर, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए बैंकों की वित्तीय स्थिति के आधार पर की जाएगी।

व्यक्तिगत संस्थानों के स्तर पर तरलता की स्थिति को आसान बनाने के लिए, एस. सी. बी. के लिए एल. सी. आर. की आवश्यकता को तत्काल प्रभाव से 100 प्रतिशत से घटाकर 80 प्रतिशत कर दिया गया। आवश्यकता को धीरे-धीरे दो चरणों में बहाल किया जाएगा-1 अक्टूबर, 2020 तक 90 प्रतिशत और अप्रैल, 2021 तक 100 प्रतिशत।

22 मई,

कुल 1,000,000/- करोड़ की राशि के लिए विशेष पुनर्वित्त सुविधाएं

2020

नाबार्ड, सिडबी और एन. एच. बी. को क्षेत्रीय ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए प्रदान किया गया।

23 मई,

एक्जिम बैंक को Rs.15,000/- करोड़ का ऋण दिया गया

2020

रोलओवर के साथ लाभ उठाने की तारीख से 90 दिनों की अवधि के लिए अधिकतम एक वर्ष की अवधि तक ताकि वह अपनी विदेशी मुद्रा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अमेरिकी डॉलर की अदला-बदली सुविधा का लाभ उठा सके।

21 जून,

निगमों के लिए संसाधनों के अधिक से अधिक प्रवाह को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से

2020

पूंजी बाजार से धन जुटाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और मुख्य रूप से बैंक वित्त पोषण पर निर्भर, अचानक बाजार की अनिश्चितताओं के कारण, लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क के तहत एक बैंक का जोखिम, जुड़े हुए समकक्षों के एक समूह के लिए बैंक के योग्य आधार के 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया। बढ़ी हुई सीमा 30 जून, 2021 तक लागू रहेगी।

1 जुलाई,

एम. एस. एम. ई. उधारकर्ताओं के लिए एक ऋण सुविधा, के तहत विस्तारित

2020

राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यासी कंपनी (एन. सी. जी. टी. सी.) द्वारा गारंटीकृत जी. ओ. एल. की आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, जी. ओ. एल., सदस्य ऋण देने वाले संस्थानों द्वारा प्रदान की गई बिना शर्त और अपरिवर्तनीय गारंटी द्वारा समर्थित है। , एस. सी. बी. (अनुसूचित आर. आर. बी. सहित), एन. बी. एफ. सी. (योजना के तहत पात्र एच. एफ. सी. सहित) और ए. आई. एफ. आई. एस. को योजना के तहत दी गई ऋण सुविधाओं पर शून्य प्रतिशत जोखिम भार निर्धारित करने की अनुमति दी गई थी।

गारंटी कवरेज।

( आर. आर. बी.), सहकारी बैंक और सूक्ष्म वित्त संस्थान (एम. एफ. आई.); रु. 15,000 / - एस. आई. डी. बी. आई. को ऋण/पुनर्वित्त के लिए एक करोड़ रुपये। 10,000 / - आवास वित्त कंपनियों (एच. एफ.

सी.) का समर्थन करने के लिए एन. एच. बी. को करोड़ रुपये। इस सुविधा के तहत आर. बी. आई. में अग्रिम राशि प्रदान की गई थी। नीतिगत रेपो दर।

लघु स्तरीय औद्योगिक उपकरण संगठन (विनियमन) v. भारत संघ [एम. आर. शाह, जे.]

बैंकों को प्रवर्तकों द्वारा डाले गए धन की गणना करने की अनुमति दी गई थी।

6 अगस्त,

ऋण के तहत प्राप्त ऋण के माध्यम से अपनी एमएसएमई इकाइयों में

2020

क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (सी. जी. टी. एम. एस. ई.) द्वारा प्रवर्तकों से इक्विटी/अर्ध इक्विटी के रूप में जारी संकटग्रस्त एम. एस. एम. ई. के लिए अधीनस्थ ऋण के लिए गारंटी योजना

ऋण-इक्विटी गणना के लिए।

सितंबर।

गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए सोने के आभूषणों और आभूषणों को गिरवी रखने के लिए स्वीकृत ऋण मूल्य अनुपात (एल. टी. वी.) था

29 , 2020

कोविड-19 महामारी के आर्थिक प्रभाव को और कम करने की दृष्टि से इसे 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत कर दिया गया है। घरों, उद्यमियों और छोटे व्यवसायों। यह बढ़ा हुआ एल. टी. वी. अनुपात 31 मार्च, 2021 तक लागू रहेगा ताकि उधारकर्ता कोवोड-19 के कारण अपनी अस्थायी तरलता विसंगतियों से उबर सकें।

9 अक्टूबर,

बैंकों के लिए शुद्ध स्थिर वित्त पोषण अनुपात (एन. एस. एफ. आर.) का कार्यान्वयन

2020

1 अक्टूबर, 2020 से अप्रैल तक और छह महीने के लिए स्थगित कर दिया गया था

1 , 2021 .

एक समकक्ष के लिए बैंकों के अधिकतम समग्र खुदरा जोखिम की सीमा, जो 75 प्रतिशत के कम जोखिम भार को आकर्षित करती है, को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये कर दिया गया है। सभी नए और साथ ही वृद्धिशील योग्यता प्रदर्शनों के संबंध में 7.5 करोड़ रुपये। 31 मार्च, 2022 तक स्वीकृत सभी नए आवास ऋणों के लिए जोखिम भार को तर्कसंगत बनाने का निर्णय लिया गया है। इस तरह के ऋण 35 प्रतिशत के जोखिम भार को आकर्षित करेंगे जहां एल. टी. वी. 80 प्रतिशत से कम या उसके बराबर है और 50 प्रतिशत के जोखिम भार को आकर्षित करेंगे जहां एल. टी. वी. 80 प्रतिशत से अधिक है लेकिन 90 प्रतिशत से कम या उसके बराबर है। इस उपाय से रियल एस्टेट क्षेत्र को बैंक ऋण देने में तेजी आने की उम्मीद है।

V. फसल ऋण

31 मार्च,

ब्याज अनुदान के लिए पात्र अल्पकालिक फसल ऋणों पर परिपत्र

2020

योजना (आईएसएस) और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (पीआरआई) ने सभी अल्पकालिक फसल ऋणों को परिवर्तित करने के लिए समय सीमा 20 जून, 2020 तक बढ़ा दी है।

केसीसी ऋणों में।
आई. एस. एस. और पी. आर. आई. पर 31 अगस्त तक की मोहलत अवधि बढ़ाने वाले वर्षों 2018-19 और 2019-20 के दौरान अल्पकालिक फसल ऋणों के लिए परिपत्र,

4 जून,

2020 .

2020

VI. बाहरी व्यापार

1 अप्रैल,

भारत को राशि की प्राप्ति और प्रत्यावर्तन की अवधि

2020

निर्यात की गई वस्तुओं या सॉफ्टवेयर या सेवाओं के पूर्ण निर्यात मूल्य को नौ महीने से बढ़ाकर पंद्रह महीने कर दिया गया था।
31 जुलाई, 2020 तक या उस दिन किए गए निर्यात के लिए निर्यात की तिथि।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

22 मई,

सामान्य राशि के मुकाबले प्रेषण को पूरा करने के लिए समय अवधि

2020

आयात, यानी सोने/हीरे और कीमती पत्थरों/आभूषणों के आयात को छोड़कर (उन मामलों को छोड़कर जहां निष्पादन की गारंटी के लिए राशि रोकी जाती है) ऐसे आयातों के लिए शिपमेंट की तारीख से छह महीने से बढ़ाकर बारह महीने कर दिया गया था।

31 जुलाई, 2020 को या उससे पहले।

शिपमेंट से पहले और बाद के लिए ब्याज समानीकरण योजना रुपया

13 मई,

2020

जी. ओ. एल. द्वारा निर्यात ऋण को एक और वर्ष के लिए यानी 31 मार्च, 2021 तक बढ़ाया गया था, जो 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी था और इस योजना के तहत रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए सभी मौजूदा परिचालन निर्देश 31 मार्च, 2021 तक लागू रहेंगे।

23 मई,

अपने क्षेत्रों में निर्यातकों के सामने आने वाली वास्तविक कठिनाइयों को कम करने के लिए

2020

उत्पादन और प्राप्ति चक्र, बैंकों द्वारा स्वीकृत पूर्व-शिपमेंट और पोस्ट-शिपमेंट निर्यात ऋण की अधिकतम अनुमेय अवधि को एक वर्ष से बढ़ाकर 15 महीने कर दिया गया।

31 जुलाई, 2020 तक का संवितरण।

8.1 अब जहाँ तक ब्याज/ब्याज की माफी की प्रार्थना की बात है

अधिस्थगन अवधि के दौरान ब्याज का संबंध है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि ब्याज/चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज की किसी भी छूट से महत्वपूर्ण आर्थिक लागत आएगी जिसे बैंक अपने वित्तीय ऋण के गंभीर ऋण के बिना अवशोषित नहीं कर सकते हैं, जिसका बदले में जमाकर्ताओं और व्यापक वित्तीय स्थिरता पर भारी प्रभाव पड़ेगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वास्तव में, सरकार "अनुग्रह योजना" लेकर आई है

और सरकार को एमएसएमई ऋणों और रुपये तक के व्यक्तिगत ऋणों के लिए "ब्याज पर ब्याज" की लागत वहन करनी पड़ती है। 2 करोड़। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए ब्याज और/या ब्याज/चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज की छूट बड़े देश की अर्थव्यवस्था और बैंकरों में नहीं होगी।

8.2 अब जहाँ तक स्थगन अवधि को आगे बढ़ाने की प्रार्थना की बात है

31.08.2020 संबंधित है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि वित्तीय प्रणाली के लचीलेपन को बनाए रखने का प्रयास करते हुए महामारी से प्रभावित उधारकर्ताओं को अस्थायी राहत प्रदान करने के उद्देश्य से तत्काल नियामक प्रतिक्रिया के एक हिस्से के रूप में स्थगन की अनुमति दी गई थी। इसमें ऋणदाताओं के लिए महत्वपूर्ण लागत आती है और समग्र विचार में एक संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होती है। छह महीने से अधिक की लंबी मोहलत उधारकर्ताओं के ऋण व्यवहार को भी प्रभावित कर सकती है और अपराधों के जोखिम को बढ़ा सकती है।

निर्धारित भुगतानों को फिर से शुरू करने के बाद। इसके परिणामस्वरूप समग्र ऋण अनुशासन दूषित हो सकता है जिसका प्रक्रिया पर कमजोर प्रभाव पड़ेगा।

अर्थव्यवस्था में ऋण सृजन। यह छोटे उधारकर्ता होंगे जो औपचारिक लघु औद्योगिक मैन्युफैक्चर एसोसिएशन (आर. ई. जी. डी.) v तक उनकी पहुंच के रूप में प्रभाव का खामियाजा भुगत सकते हैं।

भारत संघ [एम. आर. शाह, जे.]

ऋण देने के माध्यम ऋण संस्कृति पर गंभीर रूप से निर्भर हैं। इसे प्रस्तुत किया जाता है।

कि केवल अस्थायी अधिस्थगन को जारी रखना उधारकर्ताओं के हित में भी नहीं होगा। यह उधारकर्ताओं की गहरी नकदी प्रवाह समस्याओं को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है और वास्तव में नकदी प्रवाह की समस्या को बढ़ा सकता है।

ऋणकर्ताओं के लिए पुनर्भुगतान का दबाव। इसलिए, व्यवहार्य उधारकर्ताओं के ऋण बोझ को फिर से संतुलित करने के लिए एक अधिक टिकाऊ समाधान की आवश्यकता थी। व्यवसायों के साथ-साथ व्यक्तियों दोनों, उनकी नकदी प्रवाह उत्पादन क्षमताओं के सापेक्ष। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस विचार को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ने 6 अगस्त, 2020 को कोविड-19 से संबंधित तनाव ("समाधान ढांचा") के लिए समाधान ढांचे की घोषणा की है, जिसने ऋणदाताओं को व्यक्तिगत ऋणों के साथ-साथ कोविड-19 के कारण प्रभावित अन्य जोखिमों के संबंध में एक समाधान योजना को लागू करने में सक्षम बनाया है, जो निर्धारित शर्तों के अधीन है, बिना संपत्ति वर्गीकरण डाउनग्रेड के। यह ढांचा, अन्य बातों के साथ-साथ, अधिस्थगन को अधिकतम दो साल तक बढ़ाने की अनुमति देता है।

8.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि रिजर्व बैंक द्वारा 6 अगस्त, 2020 को जारी किए गए समाधान ढांचे का उद्देश्य वास्तविक क्षेत्र की गतिविधियों के पुनरुद्धार को सुविधाजनक बनाना और अंतिम उधारकर्ताओं पर प्रभाव को कम करना है, जो कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक गिरावट के कारण वित्तीय तनाव

में हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि समाधान ढांचे के संदर्भ में, केवल वही उधारकर्ता खाते समाधान के लिए पात्र होंगे जिन्हें मानक के रूप में वर्गीकृत किया गया था, लेकिन 1 मार्च, 2020 तक किसी भी ऋण देने वाली संस्था के साथ 30 दिनों से अधिक के लिए चूक में नहीं।

8.5 यह प्रस्तुत किया जाता है कि समाधान ढांचे के संदर्भ में, भारतीय रिजर्व बैंक ने श्री के. वी. कामत के नेतृत्व में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था आर. बी. आई. को आवश्यक वित्तीय मापदंडों की सिफारिश करने के साथ-साथ

प्रत्येक समाधान योजना में शामिल किए जाने वाले ऐसे मापदंडों के लिए क्षेत्र विशिष्ट मानक होते हैं। कामथ समिति के संदर्भ की वे शर्तें इस प्रकार हैं:



" ( क) समाधान ढांचे के तहत ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा अंतिम रूप दी गई आर. पी. में अंतर्निहित धारणाओं में उपयुक्त वित्तीय मानकों की पहचान करना। मानकों में लाभ उठाने से संबंधित पहलुओं को शामिल किया जाएगा,

तरलता, ऋण सेवा क्षमता, आदि।

( ख)

इस तरह के वित्त के लिए क्षेत्र-विशिष्ट श्रेणियों की सिफारिश करना।

पैरामीटर जो सीमा शर्तों के रूप में काम करेंगे

आर. पी. [समाधान योजना]।

वित्तीय से संबंधित कोई अन्य सिफारिश करना।

( (ग)

या आर. पी. के लिए गैर-वित्तीय स्थितियों पर विचार किया जाना, द्वारा घोषित ढांचे की रूपरेखा के भीतर

भारतीय रिजर्व बैंक।

प्रस्तुत आर. पी. के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए

( (घ)

ऋणकर्ताओं का सम्मान जहां संकल्प के आह्वान के समय ऋण देने वाली संस्थाओं का कुल जोखिम

प्रक्रिया Rs.1500 करोड़ और उससे अधिक है। प्रक्रिया सत्यापन में प्रस्ताव में निर्धारित शर्तों के पालन के संदर्भ में आर. पी. का सत्यापन शामिल होगा।

द्वारा प्रयोग किए गए वाणिज्यिक निर्णय में हस्तक्षेप करना

ऋणदाता "।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि समिति ने एक विस्तृत कार्य किया है और अपनी रिपोर्ट दिनांक 4.9.2020 दी है। की सिफारिशें

आर. बी. आई. द्वारा दिनांक 7.9.2020 के परिपत्र के माध्यम से कामत समिति को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि कामथ समिति ने कई क्षेत्रों में महामारी का परिवर्तनशील प्रभाव पाया, जिसमें विभिन्न स्तरों पर समस्याओं की गंभीरता और अलग-अलग प्रकृति। यह कहा गया है कि समिति

यह पाया गया कि अभूतपूर्व महामारी से उत्पन्न तनाव की स्थिति से निपटने के लिए किसी एक विशेष सूत्र पर पहुंचना न तो संभव है और न ही वांछनीय है, चाहे वह क्षेत्र-विशिष्ट हो या अन्यथा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि ऐसे संकटग्रस्त खातों का समाधान केवल उधारकर्ताओं और ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा और उनके बीच ही किया जाना चाहिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि कामथ समिति ने 26 क्षेत्रों की पहचान करते हुए ऐसे मानदंड निर्धारित किए हैं जो ऋण देने वाले संस्थानों के लिए मार्गदर्शन करने वाले हैं।

पुनर्गठन/समाधान की प्रक्रिया शुरू करना। 8.5. 1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि कामथ समिति आधारित समाधान योजनाएं केवल उन बड़े उधारकर्ताओं पर लागू होती हैं जिनके लिए समाधान/पुनर्गठन की आवश्यकता होती है और इस तरह का समाधान नकदी प्रवाह और व्यवहार्यता के अनुमानों का मूल्यांकन करने के बाद ही किया जा सकता है, जिसके लिए छोटे पैमाने पर औद्योगिक प्रबंधन (आर. ई. जी. डी.) की आवश्यकता होती है।

भारत संघ [एम. आर. शाह, जे.]

बैंकिंग विशेषज्ञता और वित्त क्षेत्र का ज्ञान और जो

प्रस्तुत किया कि बैंक कोविड-19 से संबंधित तनाव को दूर करने और अनुदान के माध्यम से व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए पूरी तरह से सशक्त हैं। विभिन्न रियायतें/राहत, अन्य बातों के साथ-साथ

ब्याज के रूप में;

( (ii) ऋण के साथ या उसके बिना शेष अवधि का विस्तार।

अधिस्थगन, दो साल तक;

( (ग) दंडात्मक ब्याज और प्रभारों को माफ करना।

( (iv) पुनर्भुगतान का पुनर्निर्धारण;

( v) संचित ब्याज को स्थगित भुगतान अनुसूची के साथ नए ऋण में परिवर्तित करना; और

( vi) अतिरिक्त ऋण की मंजूरी।

8.5. 3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि जो खाते कामत समिति की सिफारिशों के दायरे में नहीं आते हैं, उन्हें इंतजार नहीं करना चाहिए था

कामत समिति की रिपोर्ट के लिए उनके पुनर्गठन के रूप में सामने आने के लिए

कहा कि पुनर्गठन उक्त रिपोर्ट द्वारा तय किए जाने वाले मापदंडों से जुड़ा नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि, इस प्रकार, भारतीय रिज़र्व बैंक का समाधान ढांचा कोविड-19 से प्रभावित 26 क्षेत्रों में उधारकर्ताओं को महत्वपूर्ण और उचित उच्च राहत प्रदान करता है। 9. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए परिपत्र, वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय हैं।

बी. आर. अधिनियम और आर. बी. आई. अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक को प्रदान किया गया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय और जैसा कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों में व्यक्त किया गया है, आर्थिक नीतिगत मामले होने के कारण, न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, सिवाय इसके कि संवैधानिक उल्लंघन या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया हो।

9.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी गई रियायतें देश पर कोविड-19 महामारी के व्यापक प्रभाव की भरपाई करने के उद्देश्य से दी गई हैं।



परिणाम। यह प्रस्तुत किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऋण देने वाले संस्थानों को बाध्यकारी दिशानिर्देश जारी करने में अपने विशेषज्ञ विवेक का उपयोग किया है कि पूर्व-मौजूदा वित्तीय कठिनाइयों वाले उधारकर्ताओं से उत्पन्न होने वाले जोखिमों को उन जोखिमों से कैसे अलग किया जाए जो अच्छा

प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन महामारी से प्रभावित हुए थे। आर. बी. आई. ने जमाकर्ताओं, उधारकर्ताओं, वास्तविक क्षेत्र की संस्थाओं और बैंकों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपने नीतिगत निर्णयों पर पहुँचते समय देश की वित्तीय स्थिरता और आर्थिक विकास को भी ध्यान में रखा गया था। 9.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय ने कई निर्णयों में यह अभिनिर्धारित किया है कि न्यायालयों को आर्थिक नीति में हस्तक्षेप नहीं करना है जो

यह विशेषज्ञों का कार्य है। आर्थिक नीति के मामलों पर निर्णय देना अदालतों का काम नहीं है और यह आवश्यक रूप से विशेषज्ञ निकायों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि ऐसे मामलों में भी विशेषज्ञ भी गंभीरता से और निस्संदेह भिन्न हो सकते हैं। अदालतों से विशेषज्ञों की सहायता के बिना भी उनका फैसला करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। श्री वी. गिरि, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अपनी प्रस्तुति के समर्थन में निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया है, पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड (ऊपर); श्री वी. गिरि, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया है।

सीताराम शुगर कंपनी लिमिटेड बनाम भारतीय संघ (1990) 3 एस. सी. सी. 223; प्राग आइस एंड ऑयल मिल्स बनाम। भारत संघ ए. आई. आर. 1978 एस. सी. 1296 और पी. टी. आर. एक्सपोर्ट्स (मद्रास) पी. लिमिटेड बनाम भारत संघ (1996) 5 एस. सी. सी. 268। 9.4 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए और उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वी. गिरि द्वारा यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि संबंधित याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई राहत, अर्थात्, ब्याज/चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज की माफी और अधिस्थगन अवधि के दौरान ब्याज की माफी; ऋणदाताओं के विवेक पर होने के बजाय सभी खातों के लिए अधिस्थगन की अनुमति दी जाएगी; 31.08.2020 से परे अधिस्थगन का विस्तार; पैकेज/राहत समाधान ढांचे के तहत आने के लिए क्षेत्र-वार विवेक होगा। वी.



6.8.2020 परिपत्र उधारकर्ताओं के पास होना चाहिए न कि ऋणदाताओं के पास, संबंधित याचिकाकर्ता उक्त राहत के हकदार नहीं हैं।

9.5 अब जहां तक 2020 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 955 में मांगी गई याचिकाओं में से एक में प्रार्थना का संबंध है, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक को दिनांकित परिपत्र लागू करने का निर्देश दिया गया है।

27.3.2020 सभी बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, आवास वित्त कंपनियों और अन्य वित्तीय संस्थानों को अनिवार्य और अनिवार्य रूप से यह प्रस्तुत किया जाता है कि 27.3.2020 दिनांकित परिपत्र पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अधीन सभी बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, आवास वित्त कंपनियों और अन्य वित्तीय संस्थानों के सभी ऋण खातों पर लागू होगा।

विद्वान वरिष्ठ श्री हरीश साल्वे द्वारा प्रस्तुतियाँ

अधिवक्ता 10. श्री हरीश साल्वे, भारतीय बैंक संघ की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता, वर्तमान याचिकाओं का विरोध करते हुए,

उन्होंने दृढ़ता से प्रस्तुत किया है कि नीतिगत निर्णयों की न्यायिक समीक्षा, विशेष रूप से अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, बहुत संकीर्ण आधारों पर होगी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि सरकारी पैकेज को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के आधार पर अलग नहीं किया जा सकता है। यह सच है कि अर्थव्यवस्था को वापस लाना सरकार का कर्तव्य है

रास्ते में। यह प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि जब एन. डी. एम. ए./यू. ओ. आई. द्वारा विभिन्न मंत्रालयों, आर. बी. आई. और ऋणदाताओं के माध्यम से एक सचेत निर्णय लिया गया है, तो विभिन्न विकल्प/राहत उपलब्ध हो सकती हैं, हालांकि अंततः, यह नीति निर्माता पर है कि वह विशेषज्ञ की राय लेने के बाद उचित निर्णय ले। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक बार विभिन्न राहतों का एक सचेत निर्णय लिया गया है, जब तक कि यह मनमाना नहीं है और केवल इसलिए कि कुछ क्षेत्र सहमत नहीं हैं, इसे अलग नहीं किया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विभिन्न पैकेजों/राहतों की घोषणा करते समय, सभी से प्रत्येक पहलू पर विचार किया गया है

कोण।

10.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि पुनर्गठन के संबंध में प्रस्ताव

ऋणों पर ऋणदाताओं द्वारा विचार किया जाना चाहिए न कि उधारकर्ताओं द्वारा। उन्होंने नीतिगत निर्णयों की न्यायिक समीक्षा पर इस न्यायालय के कई निर्णयों पर भी भरोसा किया है, जिन पर विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने भरोसा किया है। 10.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि, इस प्रकार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विभिन्न राहत/उपायों की घोषणा की गई है। आर. बी. आई. ने इस पर रोक लगाने की घोषणा की

सावधि ऋणों का पुनर्भुगतान, शुरू में तीन महीने की अवधि के लिए और आगे [2021] 15 एस. सी. आर.



इसे और तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया, जो 31.08.2020 पर समाप्त हो गया। इस तरह के स्थगन की अनुमति देने का घोषित उद्देश्य आसान बनाना था

"पुनर्भुगतान के दबाव को कम करके और कार्यशील पूंजी तक पहुंच में सुधार करके" उधारकर्ताओं को वित्तीय तनाव का सामना करना पड़ रहा था। इस तरह के उपायों से उन लोगों को लाभ होगा जिनका व्यवसाय अन्यथा अच्छा था लेकिन महामारी के कारण आर्थिक मंदी का शिकार हो गए। मामले में

व्यक्तिगत खातों वाले व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के लिए, एक पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण की मांग की गई थी और इसे अंततः सरकार द्वारा घोषित पैकेज में संबोधित किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि 6.8.2020 पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने "कोविड-19 से संबंधित तनाव के समाधान की रूपरेखा" की घोषणा की, जिससे बैंकों को पात्र उधारकर्ताओं के ऋणों का पुनर्गठन करने की अनुमति मिली। ऋणकर्ताओं को राहत देने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों को लागू करके बैंकों द्वारा इसका सावधानीपूर्वक पालन किया गया। 10.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने एक समिति का गठन किया, जिसे कामत समिति के रूप में जाना जाता है और कामत समिति ने अपनी सिफारिशें कीं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि कामथ समिति की सिफारिशें भारत में व्यवसायों द्वारा सामना की जा रही आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए अगला कदम था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि कई मामलों में खाते अनियमित हो गए थे, हालांकि इस अवधि के दौरान एन. पी. ए. घोषित नहीं किए गए थे और इसलिए इन ऋणों का पुनर्गठन करना आवश्यक हो गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि

सभी ऋणों और विभिन्न क्षेत्रों के लिए एक ही सूत्र लागू नहीं किया जा सकता है। कामथ समिति ने इसलिए ऐसे मानदंड विकसित किए जिन पर ऋणों का पुनर्गठन प्रभावित होने वाले मौजूदा मानदंडों में ढील दी गई।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि केवल पुनर्गठन के उद्देश्यों के लिए,

मूल आधार यह था कि व्यवसाय व्यवहार्य है और पुनर्गठन पर अपने ऋण दायित्वों को पूरा करने में सक्षम है। यह इस उद्देश्य के लिए है कि व्यवसाय की अंतर्निहित वित्तीय ताकत का आकलन करने के लिए विभिन्न मानदंड निर्धारित किए गए थे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के सभी निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया गया है और उधारकर्ताओं को राहत दी गई है।

10.4 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि केंद्र सरकार ने विभिन्न योजनाओं/पैकेजों की घोषणा की है और उन्हें लागू किया गया है।

बैंकों द्वारा लागू किया गया है और उक्त योजनाओं/पैकेजों के संदर्भ में सभी पात्र उधारकर्ताओं को विधिवत राहत दी गई है।

10.5 अब जहाँ तक डी. एम. ए. 2005 की धारा 13 पर निर्भरता का संबंध है, यह श्री साल्वे द्वारा प्रबल रूप से प्रस्तुत किया गया है, जिसे लघु औद्योगिक प्रबंधन (आर. ई. जी. डी.) v.

भारत संघ [एम. आर. शाह, जे.]

वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि धारा 13 में प्रयुक्त शब्द "मई" है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि सरकार को प्रत्येक क्षेत्र को संतुलित करना है और अधिनियम की धारा 13 में "प्रभावित व्यक्ति" शब्दों का उपयोग किया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विभिन्न व्यक्तियों/क्षेत्रों का प्रभाव अलग-अलग होता है और इसलिए विभिन्न व्यक्तियों/क्षेत्रों पर अलग-अलग प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, केंद्र

सरकार ने अपने विभिन्न मंत्रालयों, भारतीय रिजर्व बैंक और बैंकों के माध्यम से विभिन्न पैकेज/राहत प्रदान की हैं।

10.6 यह प्रस्तुत किया जाता है कि, जैसा कि श्री मेहता, विद्वान सॉलिसिटर जनरल द्वारा इंगित किया गया है, द्वारा एक सचेत निर्णय लिया गया है

एनडीएमए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि डी. एम. ए. के तहत, रोकथाम और शमन वैधानिक ढांचे के भीतर होगा।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि डी. एम. ए. 2005 की संरचना स्पष्ट रूप से शक्तियों को समवर्ती रूप से प्रयोग करने में सक्षम बनाने की संरचना है।

सरकार की कार्यकारी शक्तियाँ और संघ, राज्य और जिला स्तरों पर सरकारों को उपलब्ध अन्य वैधानिक शक्तियाँ। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए एक के साथ एक शक्ति होने का कोई सवाल ही नहीं है

कर्तव्य-प्रत्येक वैधानिक पदाधिकारी के समग्र कर्तव्यों को विभिन्न प्रावधानों में निर्धारित किया गया है और राहत देने के लिए सक्षम प्रावधान किए गए हैं जो आवश्यक हो सकते हैं।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि कोई महामारी या प्राकृतिक आपदा हो सकती है जिसका आर्थिक प्रभाव उस स्तर तक न हो। यह प्रस्तुत किया जाता है कि

यह सुझाव देना कि जिस क्षण कोई आपदा आती है, ब्याज के भुगतान से राहत देने के लिए एन. डी. एम. ए. पर एक कर्तव्य डाला जाता है, बेतुका होगा।

परिणाम।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिनियम के तहत ऐसी कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई है जिसके द्वारा किसी निजी संस्था द्वारा किसी अन्य निजी संस्था को देय राशि को बट्टे खाते में डाला जा सके या उसका पुनर्गठन किया जा सके। जहां ब्याज सरकार को देय है या किसी निजी संस्था को देय ब्याज की प्रतिपूर्ति करके धारा 13 के तहत राहत दी जा सकती है।

10.7 अब जहां तक ब्याज माफी की मांग की गई है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि आई. बी. ए. में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों सहित 203 सदस्य बैंक हैं।

निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक और अन्य बैंक जिनमें सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि चक्रवात, भूकंप, सूखा या बाढ़ जैसी अन्य आपदाओं की घटना पर भी बैंक ब्याज माफ नहीं करते हैं, बल्कि उधारकर्ताओं को आवश्यक राहत पैकेज प्रदान करते हैं। छूट केवल सरकार द्वारा सरकारी खजाने से दी जा सकती है। यह बैंकों से एक प्रणाली से बाहर नहीं आ सकता है, जहां क्रेडिट [2021] 15 एस. सी. आर. से बनाया गया है।

केवल जमाकर्ता की निधि। कोई भी छूट बैंक की परिसंपत्तियों और देनदारियों के बीच कमी और बेमेल पैदा करेगी।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि बैंकों को उन जमाकर्ताओं के लिए अपने ब्याज भुगतान दायित्वों को पूरा करना होगा जिन्हें चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान किया जाता है एफ. डी. आर. पर तिमाही विश्राम के साथ। ब्याज दायित्वों की छूट से बैंकों की वित्तीय संरचना प्रभावित होगी और महामारी के कारण जो हुआ है, उससे कहीं अधिक आर्थिक खतरा पैदा होगा।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 6.8.2020 पर रखा गया समाधान ढांचा क्षेत्रीय मापदंडों को निर्धारित करता है और इस तरह मान्यता देता है

10.8 इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि कामथ समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करते हुए और सरकार द्वारा दी गई नीतियों/पैकेजों के अनुसार संबंधित बैंकों/ऋणदाताओं द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय ऋणों के पुनर्गठन के लिए विभिन्न क्षेत्रों के हितों का ध्यान रख सकते हैं और ये देश की अर्थव्यवस्था के व्यापक हित में हैं। इसलिए इन सभी को खारिज करने की प्रार्थना की जाती है। याचिकाएँ।

11. भारतीय स्टेट बैंक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुल रोहतगी ने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित संकल्प/नीति कामत समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद तैयार की गई है। उन्होंने आर्थिक नीति निर्णयों की न्यायिक समीक्षा पर भी दोहराया है; यदि ब्याज/दंडात्मक ब्याज की छूट की प्रार्थना स्वीकार की जाती है और डी. एम. ए. 2005 के विभिन्न प्रावधानों की व्याख्या पर बैंकिंग प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

12. संबंधित याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील और संबंधित याचिकाओं में मांगी गई राहत को सुनने के बाद, याचिकाकर्ताओं की ओर से राहत/प्रस्तुतियों को संक्षेप में निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा सकता है:

(i) अधिस्थगन अवधि के दौरान ब्याज या ब्याज पर ब्याज की पूरी छूट; (ii) भारत संघ और/या भारतीय रिजर्व बैंक और/या ऋणदाताओं द्वारा क्षेत्रवार राहत पैकेज की पेशकश की जाएगी।

iii) ऋणदाताओं के विवेक पर होने के बजाय सभी खातों के लिए अधिस्थगन की अनुमति दी जाएगी; लघु स्तरीय औद्योगिक उपकरण संगठन (विनियमन) v.

iv) 31.08.2020 से आगे अधिस्थगन का विस्तार; v) केंद्र द्वारा जो भी राहत पैकेज दिए जाते हैं

सरकार और/या भारतीय रिज़र्व बैंक और/या ऋणदाता कोविड-19 महामारी के कारण और कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन अवधि के दौरान प्रभाव को देखने के लिए पर्याप्त नहीं हैं;

vi) समाधान तंत्र के आह्वान की अंतिम तिथि, अर्थात् 6.8.2020 परिपत्र के तहत प्रदान की गई 31.12.2020 को बढ़ाया जाना चाहिए।

13. मांग की गई उपरोक्त दलीलों/राहतों पर विचार करते समय, अर्थव्यवस्था और/या आर्थिक नीति निर्णयों और/या वित्तीय निहितार्थ वाले नीतिगत निर्णयों के क्षेत्र में नीतिगत निर्णयों पर न्यायिक समीक्षा के दायरे पर विचार करने की आवश्यकता है जो देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं।

14. कई निर्णयों और बार-बार इस न्यायालय ने आर्थिक नीति मामलों में न्यायिक समीक्षा के सीमित दायरे पर विचार किया है। इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों से, इस न्यायालय ने लगातार निम्नलिखित रूप में अवलोकन और अभिनिर्धारित किया है: i) न्यायालय शैक्षणिक मामलों पर बहस नहीं करेगा या व्यापार और वाणिज्य की पेचीदगियों से संबंधित नहीं होगा।

(ii) यह न तो अदालतों के अधिकार क्षेत्र में है और न ही न्यायिक समीक्षा के दायरे में है कि क्या कोई विशेष जांच शुरू की जाए।

सार्वजनिक नीति बुद्धिमानी है या क्या बेहतर सार्वजनिक नीति विकसित की जा सकती है। न ही अदालतें याचिकाकर्ता के कहने पर किसी नीति को केवल इसलिए रद्द करने के लिए इच्छुक हैं क्योंकि यह आग्रह किया गया है कि एक अलग नीति होगी।

निष्पक्ष या बुद्धिमान या अधिक वैज्ञानिक या अधिक तार्किक रहे। आर्थिक नीति की बुद्धिमत्ता और सलाह आमतौर पर न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी नहीं होती है।

इन बातों को। 14.1 आर. के. गर्ग (ऊपर) में, यह देखा गया है और यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आर्थिक गतिविधियों से संबंधित कानूनों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म आदि जैसे नागरिक अधिकारों को छूने वाले कानूनों की तुलना में अधिक अक्षांश के साथ देखा जाना चाहिए। यह आगे देखा गया है कि विधायिका को जोड़ों में कुछ खेलने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि इसे उन जटिल समस्याओं से निपटना पड़ता है जो किसी भी सिद्धांत या जलडमरूमध्य सूत्र के माध्यम से समाधान को स्वीकार नहीं करती हैं और यह विशेष रूप से आर्थिक मामलों से निपटने वाले कानून के मामले में सच है।

14.2 अरुण कुमार अग्रवाल (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय को मेट्रोपोलिस थिएटर कंपनी के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणियों पर विचार करने का अवसर मिला। शिकागो, 57 एल एड 730: 228 यूएस 61 (1913):

" ..... सरकार की समस्याएं व्यावहारिक हैं और यदि उन्हें आवश्यकता नहीं है, तो मोटे समायोजन, अतार्किक, यदि हो सकता है, और अवैज्ञानिक को उचित ठहरा सकती हैं। लेकिन इस तरह की आलोचना भी जल्दबाजी में नहीं की जानी चाहिए। जो सबसे अच्छा है वह हमेशा स्पष्ट नहीं होता है; किसी भी विकल्प के ज्ञान पर विवाद या निंदा की जा सकती है। केवल सरकार की त्रुटियाँ हमारी न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं हैं। यह केवल इसके स्पष्ट रूप से मनमाने अभ्यास हैं जिन्हें अमान्य घोषित किया जा सकता है।

14.3 नंदलाल जैसवाल (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय ने कहा है कि सरकार, जैसा कि पर्मियन बेसिन क्षेत्र दर मामलों, 20 एल एड (2 डी) 312 में निर्धारित किया गया है, व्यावहारिक समायोजन करने की हकदार है। जो विशेष परिस्थितियों में आवश्यक हो सकता है। न्यायालय राज्य सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय को केवल इसलिए रद्द नहीं कर सकता है क्योंकि उसे लगता है कि कोई अन्य नीतिगत निर्णय निष्पक्ष या बुद्धिमान या अधिक वैज्ञानिक या तार्किक होता। अदालत केवल तभी हस्तक्षेप कर सकती है जब नीतिगत निर्णय स्पष्ट रूप से मनमाना, भेदभावपूर्ण या दुर्भावनापूर्ण हो।

14.4 बाल्को कर्मचारी संघ (विनियमित) (उपर्युक्त) के मामले में, इस न्यायालय ने कहा है कि आर्थिक नीतियों की विवेक और सलाह वे आम तौर पर न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी नहीं हैं जब तक कि यह प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है कि नीति किसी भी वैधानिक प्रावधान या संविधान के विपरीत है। दूसरे शब्दों में, यह अदालतों के लिए नहीं है कि वे विभिन्न आर्थिक नीतियों के सापेक्ष गुणों पर विचार करें और विचार करें कि क्या एक बुद्धिमान या बेहतर विकसित किया जा सकता है।

यह आगे देखा गया है कि आर्थिक मामलों पर नीतिगत निर्णय के मामले में, अदालतों को जांच या जांच करने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए और उन विशेषज्ञों के फैसले पर आपत्ति जताने के लिए अधिक अनिच्छुक होना चाहिए जो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं, जब तक कि अदालत संतुष्ट न हो कि निर्णय में ही अवैधता है।

14.5 पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय द्वारा यह देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि न्यायालय का कार्य यह देखना है कि वैध अधिकार का दुरुपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन

उस प्राधिकारी को सौंपा गया कार्य अपने लिए उपयुक्त है। यह भी देखा गया है कि वैधानिक शक्तियों के साथ निवेशित एक सार्वजनिक निकाय को छोटे पैमाने पर औद्योगिक प्रबंधन संगठन (आर. ई. जी. डी.) v. लेना चाहिए।

इस बात का ध्यान रखें कि अपनी शक्ति को न बढ़ाएँ या उसका दुरुपयोग न करें। इसे अपने लिए प्रतिबद्ध प्राधिकारी की सीमाओं के भीतर रखना चाहिए। इसे सद्भावना से कार्य करना चाहिए और उचित रूप से कार्य करना चाहिए। न्यायालयों को आर्थिक नीति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जो विशेषज्ञों का कार्य है। आर्थिक नीति के मामलों पर निर्णय देना अदालतों का काम नहीं है और इसे अनिवार्य रूप से इन पर छोड़ दिया जाना चाहिए -

विशेषज्ञ निकाय। ऐसे मामलों में विशेषज्ञ भी गंभीरता से और निस्संदेह भिन्न हो सकते हैं। अदालतों से यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वे उनकी सहायता के बिना भी उनका फैसला करेंगे।

विशेषज्ञ। यह आगे देखा गया है कि कुछ अन्य निर्देशों में संशोधन करना और उन्हें निर्धारित करना न्यायालय का कार्य नहीं है। न्यायालय का कार्य वित्तीय और आर्थिक नीतियों से संबंधित मामलों में सलाह देना नहीं है, जिनके लिए भारतीय रिजर्व बैंक जैसे निकाय पूरी तरह से सक्षम हैं। अदालत आर. बी. आई. द्वारा जारी किए गए कुछ या पूरे निर्देशों को केवल तभी रद्द कर सकती है जब अदालत का समाधान हो कि निर्देश पूरी तरह से अनुचित थे या संविधान या किसी कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन कर रहे थे। अदालतों के लिए किसी अज्ञात रास्ते पर चलना खतरनाक और जोखिम भरा होगा और इस तरह का काम विशेषज्ञ निकायों पर छोड़ देना चाहिए। इस न्यायालय ने बार-बार कहा है कि आर्थिक नीति के मामले सरकार पर छोड़ दिए जाने चाहिए।

14.6 नर्मदा बचाओ आंदोलन (ऊपर) के मामले में, पैरा में

229 & 233 , यह निम्नलिखित रूप में मनाया और आयोजित किया जाता है:

" 229. अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि अदालतें, अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, नीतिगत निर्णय के क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करेंगी। अवसंरचनात्मक परियोजना होनी चाहिए या नहीं और किस प्रकार की परियोजना शुरू की जानी है और इसे कैसे निष्पादित किया जाना है,

ये नीति-निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा हैं और अदालतें इस तरह से किए गए नीतिगत निर्णय पर निर्णय लेने के लिए तैयार नहीं हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायालय का कर्तव्य है कि वह यह देखे कि निर्णय लेने में किसी भी कानून का उल्लंघन न हो और संविधान के तहत अनुमत सीमा के अलावा लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न हो।

233. साथ ही, अपनी विशाल शक्ति का प्रयोग करते हुए न्यायालय को सरकारी कार्य करने के लिए नहीं बुलाया जाना चाहिए। कर्तव्य या कार्य। अदालतें सरकार नहीं चला सकतीं और न ही प्रशासन शक्ति के दुरुपयोग या गैर-उपयोग में लिप्त हो सकता है और इससे बच सकता है। न्यायिक समीक्षा का सार संवैधानिक है

मौलिक। संविधान के तहत उच्च न्यायपालिका की भूमिका संविधान के मूल्यों और भारतीयों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक प्रहरी के रूप में एक बड़ा दायित्व है।

अदालतों को

चाहिए, [2021] 15 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसलिए, कानून के शासन को बनाए रखने और जनहित में अपनी शक्ति का उपयोग करने के लिए अपनी न्यायिक अनुमत सीमाओं के भीतर कार्य करें। ठीक इसी कारण से इस न्यायालय द्वारा लगातार यह अभिनिर्धारित किया गया है कि नीति संबंधी मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। जब कोई वैध कानून होता है जिसमें सरकार को एक विशेष तरीके से कार्य करने की आवश्यकता होती है, तो अदालत को कानून को निरस्त किए बिना ऐसा कोई निर्देश नहीं देना चाहिए जो कानून के अनुसार न हो। दूसरे शब्दों में, अदालत स्वयं कानून से ऊपर नहीं है।

14.7 प्राग आइस एंड ऑयल मिल्स (ऊपर) में, इस न्यायालय ने कहा:

इसके अंतर्गत:

आर्थिक नीति के ऐसे मामलों पर निर्णय लेना आवश्यक रूप से उस समय की सरकार पर छोड़ दिया जाना चाहिए। उनमें से कई अंतिम परिणामों की भविष्यवाणी के मामले हैं जिन पर विशेषज्ञ भी गंभीर रूप से गलती कर सकते हैं और निस्संदेह भिन्न हो सकते हैं। अदालतों से निश्चित रूप से यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि विशेषज्ञों की सहायता के बिना भी उन्हें तय करें।

14.8 पी. टी. आर. एक्सपोर्ट्स (मद्रास) पी. लिमिटेड (ऊपर) में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

" आर्थिक नीति के मामलों में, यह तय कानून है कि न्यायालय

कार्यपालिका और विधायिका को एक बड़ी छूट देता है

सरकार देश की अर्थव्यवस्था के समग्र व्यापक हित में नीति तैयार करने के लिए विभिन्न कारकों को अपनाएगी -

इसलिए न्यायालय जनहित में राजकोषीय नीति विकसित करने और उस पर कार्रवाई करने के लिए सरकार को स्वतंत्र रूप से खेलने की अनुमति देना पसंद करेगा।

एक ही "।

15. राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सबसे अच्छा क्या है और किस तरीके से और किस हद तक वित्तीय राहत/पैकेज तैयार किए जाएं, पेश किए जाएं और इसे लागू करने का निर्णय अंततः सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विशेषज्ञों की सहायता और सलाह पर किया जाता है। यह विशेष रूप से केंद्र

सरकार के प्रांत के भीतर निर्णय लेने का मामला है। इस तरह के मामले आमतौर पर न्यायिक समीक्षा की शक्ति को आकर्षित नहीं करते हैं। केवल इसलिए कि कुछ वर्ग/क्षेत्र इस तरह से सहमत और/या संतुष्ट नहीं हो सकते हैं।

पैकेज/नीतिगत निर्णय, अदालतें, न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए, आम तौर पर नीतिगत निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करती हैं, जब तक कि ऐसी नीति को दुर्भावनापूर्ण, मनमानेपन, अन्याय के आधार पर दोष नहीं दिया जा सकता है।

आदि।

लघु स्तरीय औद्योगिक उपकरण संगठन (आर. ई. जी. डी) v. भारत संघ [एम. आर. शाह, जे.]

16. ऐसे मामले हैं जिनके बारे में अदालतों के न्यायाधीशों और वकीलों से उनके प्रशिक्षण और विशेषज्ञता के कारण शायद ही अधिक ज्ञान होने की उम्मीद की जा सकती है। आर्थिक और राजकोषीय नियामक उपाय एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ न्यायाधीशों को न्यायाधीशों के रूप में बहुत सावधानी से अतिक्रमण करना चाहिए।

वे इन मामलों में विशेषज्ञ नहीं हैं।

17. उन कारणों की शुद्धता, जिन्होंने सरकार को दूसरे के बजाय एक कदम उठाने का निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया, कोई मुद्दा नहीं है।

न्यायिक समीक्षा में चिंता का विषय और न्यायालय इस तरह की जांच के लिए उपयुक्त मंच नहीं है। नीतिगत निर्णय सरकार पर छोड़ दिया जाना चाहिए क्योंकि वह अकेले यह अपना सकती है कि विभिन्न कोणों से बिंदुओं पर विचार करने के बाद कौन सी नीति अपनाई जानी चाहिए। सरकार के निर्णय के औचित्य का आकलन करने में अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, भले ही सरकार से दूसरा विचार संभव हो।

किसी नीति की शुद्धता, स्थिरता और उपयुक्तता की जांच करने वाले अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं, और न ही अदालत के सलाहकार हैं नीति के उन मामलों पर कार्यपालक जिन्हें कार्यपालक तैयार करने के हकदार हैं।

19. सरकार को अपनी प्राथमिकताएं खुद तय करनी होती हैं और विभिन्न क्षेत्रों को राहत देनी होती है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि महामारी ने पूरे देश को प्रभावित किया और कुछ क्षेत्रों को छोड़ दिया। हालाँकि, साथ ही, सरकार को विभिन्न क्षेत्रों/क्षेत्रों जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य, रोजगार, आम लोगों/प्रवासियों को भोजन और आश्रय प्रदान करने, प्रवासियों के परिवहन आदि में विभिन्न उपाय करने की आवश्यकता है और इसलिए, सरकार ने विभिन्न वित्तीय पैकेजों/राहतों की घोषणा की है। यहां तक कि सरकार को भी अभूतपूर्व कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के कारण नुकसान उठाना पड़ा और यहां तक कि जीएसटी के रूप में राजस्व का भी नुकसान हुआ। फिर भी, ऐसा लगता है कि सरकार

विभिन्न राहत/पैकेज लेकर आई है। सरकार की अपनी वित्तीय सीमाएँ हैं। इसलिए, सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक को विशेष राहत पैकेज की घोषणा/घोषणा करने और/या किसी विशेष नीति की घोषणा करने का निर्देश देने के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से जब अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कई जटिल मुद्दे उत्पन्न होंगे और देश की अर्थव्यवस्था पर समग्र प्रभाव क्या होगा जिसके लिए अदालतों के पास कोई विशेषज्ञता नहीं है और जो सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक पर छोड़ दिया जाएगा कि वे [2021] 15 एस. सी. आर. के आधार पर राहत के रूप में राहत पैकेज/आर्थिक नीति की घोषणा करें।



विशेषज्ञों की सलाह। इसलिए, परमादेश की कोई रिट जारी नहीं की जा सकती है।

20. किसी भी राज्य या देश के पास अपनी किसी भी परियोजना पर खर्च करने के लिए असीमित संसाधन नहीं हो सकते। यही कारण है कि यह केवल वित्तीय राहत की घोषणा करता है /

पैकेज उस हद तक संभव है। अदालत सरकार द्वारा बनाई गई किसी भी राय में हस्तक्षेप नहीं करेगी यदि यह प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों पर आधारित है या विशेषज्ञ की सलाह पर आधारित है। यह आम तौर पर किसी भी अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि वह नीति के पक्ष और विपक्ष को देखे या इसकी जांच करे और इसे बदलने, संशोधित करने या रद्द करने के उद्देश्य से इसके लाभकारी या न्यायसंगत स्वभाव की डिग्री का परीक्षण करे, चाहे वह कितना भी ठोस और अच्छा तर्क हो, केवल तभी जहां यह किसी भी संवैधानिक, वैधानिक या कानून के किसी अन्य प्रावधान का मनमाना और उल्लंघनकारी हो। जब सरकार अपनी नीति बनाती है, तो यह कई बातों पर आधारित होती है - तथ्यों पर परिस्थितियाँ, इसके संसाधनों पर आधारित बाधाओं सहित कानून। यह विशेषज्ञ की राय पर भी आधारित है। यह खतरनाक होगा यदि अदालत को हलफनामों पर निर्धारित तथ्यों के आधार पर नीति की उपयोगिता, लाभकारी प्रभाव या इसके मूल्यांकन का परीक्षण करने के लिए कहा जाता है।

21. कल्याणकारी राज्य में कोई भी अधिकार निरपेक्ष नहीं हो सकता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह बड़ी संख्या में लोगों के सहयोग के बिना नहीं रह सकता।

यह मुख्य सिद्धांत है कि यह निर्धारित करना न्यायालय के वैध क्षेत्र के भीतर नहीं है कि क्या कोई विशेष नीतिगत निर्णय हो सकता है। जो निर्धारित किया गया है उससे अलग कोई भी नीति अपनाकर और केवल इस आधार पर अनुचित के रूप में खारिज करके बेहतर काम किया गया है कि प्रतिपादित नीति के उद्देश्य और उद्देश्य के कार्यान्वयन के लिए इसकी प्रभावशीलता के संबंध में अदालत की मंजूरी के साथ पूरा नहीं होता है।

देश की अर्थव्यवस्था, ऊपर बताए गए राहत और प्रस्तुतियाँ विचार करने की आवश्यकता है। क्या अधिस्थगन अवधि के दौरान ब्याज में छूट होगी या क्या क्षेत्रवार राहत लघु औद्योगिक प्रबंधन संगठन (आर. ई. जी. डी.) v.

भारत संघ [एम. आर. शाह, जे.]

पैकेज और/या भारतीय रिज़र्व बैंक को ऐसे निर्देश जारी करने चाहिए जो क्षेत्र विशिष्ट हों और ऐसे क्षेत्र विशिष्ट मुद्दों को संबोधित करें और/या क्या अधिस्थगन अवधि को 31.08.2020 या समाधान तंत्र के आह्वान की अंतिम तिथि से आगे बढ़ाया जाना चाहिए, अर्थात्, 6.8.2020 परिपत्र में प्रदान किए गए 31.12.2020 को बढ़ाया जाना चाहिए, ये सभी नीतिगत निर्णयों के दायरे में हैं। इतना ही नहीं, अगर इस तरह की राहत दी जाती है, तो यह बैंकिंग क्षेत्र को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा और यह दूरगामी होगा।

देश की अर्थव्यवस्था पर वित्तीय प्रभाव।

23. अब जहां तक अधिस्थगन अवधि के दौरान ब्याज की छूट की मांग का संबंध है, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि बैंकरों/ऋणदाताओं को जमाकर्ताओं को ब्याज का भुगतान करना पड़ता है और जमा पर ब्याज का भुगतान करने का उनका दायित्व अधिस्थगन अवधि के दौरान भी जारी रहता है। बैंकरों/ऋणदाताओं को प्रशासनिक खर्च भी वहन करने होंगे। जमाकर्ताओं को ब्याज का निरंतर भुगतान न केवल सबसे आवश्यक बैंकिंग गतिविधियों में से एक है, बल्कि यह बैंकों द्वारा अपने जमा से ब्याज पर जीवित रहने वाले करोड़ों-करोड़ छोटे जमाकर्ताओं, पेंशनभोगियों आदि के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। कई कल्याणकारी निधि योजनाएं हो सकती हैं, श्रेणी विशिष्ट और क्षेत्र विशिष्ट

जो जीवित रह सकते हैं और उनकी जमाओं से उत्पन्न ब्याज के बल पर लागू किए जाते हैं। ऐसी सभी कल्याणकारी निधियाँ अपने सदस्यों के अस्तित्व के लिए उनकी जमा राशि से उत्पन्न आय पर निर्भर करेंगी। इसलिए, अधिस्थगन अवधि के दौरान ब्याज की कुल छूट की ऐसी राहत देने के लिए एक दूरगामी वित्तीय स्थिति होगी।

देश की अर्थव्यवस्था के साथ-साथ ऋणदाताओं/बैंकों पर प्रभाव।

इसलिए, जब अधिस्थगन अवधि के दौरान ब्याज को माफ नहीं करने का एक सचेत निर्णय लिया गया है और ऋणकर्ताओं को राहत देने के लिए भुगतान को स्थगित करके एक नीतिगत निर्णय लिया गया है।

आर. बी. आई. द्वारा किश्तों और कई अन्य राहतों की पेशकश की जाती है और उसके बाद बैंकरों द्वारा स्वतंत्र रूप से विशेषज्ञों की कामथ समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करते हुए, अदालत के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

इस तरह के क्षेत्र विशेष के मुद्दों को संबोधित करने का संबंध है, शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि श्री के. वी. कामत की अध्यक्षता वाली समिति ने इस तरह के क्षेत्र विशेष के मुद्दों पर

गौर किया था और इसके बारे में अपनी राय दी थी। सिफारिशें। कामत समिति की सिफारिशों को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने परिपत्र दिनांक 7.9.2020 [2021] 15 एस. सी. आर. में काफी हद तक स्वीकार कर लिया है।



जो बिजली, अचल संपत्ति और निर्माण सहित 26 क्षेत्रों के लिए अलग सीमा प्रदान करता है। अन्यथा भी, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि प्रत्येक क्षेत्र को अलग-अलग नुकसान उठाना पड़ा होगा और इसलिए क्षेत्र विशिष्ट/क्षेत्रवार राहत प्रदान करना संभव नहीं होगा। द. याचिकाकर्ता भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत वर्तमान कार्यवाही के माध्यम से ब्याज की छूट या पुनर्गठन द्वारा क्षेत्र विशिष्ट राहत के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते हैं और ऐसे वित्तीय तनाव प्रबंधन उपायों के प्रश्न के लिए कई वित्तीय मापदंडों और इसके प्रभाव की जांच और विचार की आवश्यकता होती है।

बैंकर वाणिज्यिक निकाय होते हैं और चूंकि ग्राहक प्रोफ़ाइल, संगठनात्मक संरचना और प्रत्येक ऋण देने वाली संस्था का प्रसार दूसरों से व्यापक रूप से अलग होता है, इसलिए प्रत्येक ऋण देने वाली संस्था अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में होती है और इसलिए, विवेकाधिकार संबंधित ऋण देने वाली संस्थाओं पर छोड़ दिया गया था। कोई भी उधार व्यवस्था ऋणदाता और उधारकर्ता के बीच एक वाणिज्यिक अनुबंध है। आर. बी. आई. और/या भारत संघ राहत देने की सिफारिश करते समय व्यापक दिशानिर्देश प्रदान कर सकते हैं।

26. अब जहां तक याचिकाकर्ताओं की ओर से यह निवेदन कि यू. ओ. आई./आर. बी. आई./बैंकरों/ऋणदाताओं द्वारा दिए जाने वाले राहत पैकेज पर्याप्त नहीं हैं और कुछ बेहतर और/या अधिक राहत की पेशकश की जानी चाहिए, यह इस तरह के निर्देश जारी करने के लिए अदालतों के न्यायिक दायरे में नहीं है। कुछ और राहत/पैकेज देने के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, न्यायालय आर्थिक नीतिगत निर्णयों में इस आधार पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है कि या तो वे पर्याप्त नहीं हैं या प्रभावी नहीं हैं और/या कुछ और राहत दी जानी चाहिए थी। सरकार की अपनी प्राथमिकताएँ हो सकती हैं और सरकार को विभिन्न क्षेत्रों में खर्च करना पड़ता है और वर्तमान मामले में जैसे स्वास्थ्य, दवा, भोजन प्रदान करना आदि। यहां तक कि भारत संघ के मामले के अनुसार और भारत संघ और भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से दायर काउंटर में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए कई नीतियों की घोषणा की गई है, जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है।

जैसा कि देखा जा सकता है कि केंद्र सरकार पहले ही विभिन्न प्रकार की राहत दे चुकी है और विभिन्न प्रकार की राहत प्रदान कर चुकी है

भारी वित्तीय बोझ बढ़ा। यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि महामारी ने बड़े और छोटे व्यवसायों और उन व्यक्तियों पर दबाव डाला है जिन्होंने नौकरी और आजीविका खो दी है। कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के कारण सभी को नुकसान उठाना पड़ा है। जी. एस. टी. की वसूली न होने से सरकार को भी नुकसान उठाना पड़ा है। केंद्र सरकार की ओर से दायर काउंटर से ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने

'गरीब कल्याण पैकेज' और 'आत्मनिर्भर पैकेज' की घोषणा और पेशकश की। 'गरीब कल्याण पैकेज' रुपये में था। इसमें मुफ्त खाद्यान्न, दालें, गैस सिलेंडर और महिलाओं, गरीब वरिष्ठ नागरिकों और किसानों को नकद भुगतान शामिल है। यह बताया गया है कि 42 करोड़ से अधिक गरीब लोगों को 2 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मिली है। 65,454 उक्त पैकेज के तहत करोड़। सरकार ने 'आत्मनिर्भर पैकेज' भी जारी किया है, जो 500 करोड़ रुपये का था। 20 एम. एस. एम. ई., गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, कृषि, कृषि से संबद्ध क्षेत्रों, ठेकेदारों, रेहड़ी-पटरी वालों, राज्य सरकारों को सहायता, एम. एस. एम. ई. में राहत, एम. एस. एम. ई., गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, कृषि, कृषि से संबद्ध क्षेत्रों, ठेकेदारों, रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं, राज्य सरकारों, एम. एस. एम. ई., एम. एस. एम. ई., एम. एस. एम. ई., एम. एस. एम. ई., एम. एस. एम. ई., एम. एस. एम. ई., एम. एस. एम. ई., एम. एस. एम. ई., एम. एस. एम. ई., एम. एस. एम. ई., एम. एस. एम. ई., एम. एस. एम. ई., एम. एस. एम. ई., एम

भविष्य निधि योगदान, गृह ऋण पर सब्सिडी का विस्तार आदि। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार और/या भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ नहीं किया है और/या कोई राहत नहीं दी है। वित्तीय राहत पैकेज की पेशकश करते समय, सरकार पर वित्तीय बाधा और/या वित्तीय बोझ पर भी विचार करने और ध्यान में रखने की आवश्यकता है, जिस पर विशेषज्ञों द्वारा विचार किया जा सकता है

और सरकार और अदालतों के पास वित्तीय बोझ का आकलन करने की विशेषज्ञता नहीं है।

भारत संघ/भारतीय रिज़र्व बैंक और बैंकरों द्वारा घोषित विभिन्न कदमों/उपायों/नीतिगत निर्णयों/पैकेजों से यह नहीं कहा जा सकता है कि यू. ओ. आई. और/या भारतीय रिज़र्व बैंक ने उधारकर्ताओं पर कोविड-19 के प्रभाव से संबंधित मुद्दों को बिल्कुल भी संबोधित नहीं किया है। इस प्रकार, किसी भी याचिकाकर्ता ने यू. ओ. आई./आर. बी. आई. द्वारा लिए गए विभिन्न परिपत्रों/नीतिगत निर्णयों को विशेष रूप से चुनौती नहीं दी है। संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा की गई प्रस्तुतियों से, ऐसा प्रतीत होता है कि

उधारकर्ता घोषित राहतों से कुछ अधिक चाहते हैं। केवल इसलिए कि यू. ओ. आई./आर. बी. आई. द्वारा घोषित राहत उधारकर्ताओं की इच्छाओं के अनुरूप नहीं हो सकती है, कोविड-19 से संबंधित राहत/नीतिगत निर्णयों को मनमाना और/या भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाला नहीं कहा जा सकता है। यह नहीं कहा जा सकता है कि संविधान के तहत गारंटीकृत किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन और/या उल्लंघन किया गया है। व्यापक आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए आर्थिक निर्णय लेने की आवश्यकता है।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

27. इसी तरह, राहत की मांग की गई कि स्थगन अवधि को बढ़ाया जाना चाहिए और/या प्रस्ताव के आह्वान की अंतिम तिथि बढ़ाई जानी चाहिए।

06.08.2020 परिपत्र के तहत प्रदान किए गए 31.12.2020 तंत्र को बढ़ाया जाना चाहिए, ये सभी नीतिगत निर्णयों के दायरे में हैं। अन्यथा भी, परिपत्र जारी होने पर पात्र उधारकर्ताओं के लिए लगभग पाँच महीने उपलब्ध थे। दिनांक 6.8.2020 को कोविड-19 से संबंधित दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए एक अलग समाधान तंत्र प्रदान करने के लिए अधिसूचित किया गया था। इसलिए, समाधान तंत्र को लागू करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था।

इसलिए, याचिकाकर्ता किसी भी राहत के हकदार नहीं होंगे, अर्थात् -

( (i) अधिस्थगन अवधि के दौरान ब्याज की कुल छूट;

( (ii) अधिस्थगन की अवधि का विस्तार करना;

( iii) 6.8.2020 परिपत्र के तहत प्रदान किए गए समाधान तंत्र, अर्थात् 31.12.2020 के आह्वान के लिए अवधि का विस्तार करना;

( (iv) कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा क्षेत्रवार राहत प्रदान की जाएगी;

संबंधित रूप से, यह अलग-अलग आधार पर खड़ा है जिससे नीचे निपटा जाएगा। 28. अब जहाँ तक श्री सिब्बल के निवेदन की बात है, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि आपदा के लिए कोई "राष्ट्रीय योजना" तैयार नहीं की गई है

कोविड-19 महामारी के कारण प्रबंधन और यह कि एन. डी. एम. ए. ने डी. एम. ए. 2005 के तहत अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया है, उपरोक्त की सराहना करने के लिए, डी. एम. ए. 2005 के प्रासंगिक प्रावधानों को संदर्भित करने और उन पर विचार करने की आवश्यकता है।

अधिनियम की धारा 3 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान है, जिसमें प्रमुख मानव स्केल औद्योगिक उपकरण संगठन (आर. ई. जी. डी.) v शामिल होगा।

भारत संघ [एम. आर. शाह, जे.]भारत के राज्यपाल, जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे और अन्य सदस्य जो नौ से अधिक नहीं होंगे, राष्ट्रीय प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। राष्ट्रीय प्राधिकरण की शक्तियाँ और अधिकार धारा 6 के तहत प्रदान किए गए हैं, जो

: निम्नानुसार:

" 6. राष्ट्रीय प्राधिकरण की शक्तियाँ और कार्य। - ( 1 ) विषय के अधीन

इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रीय प्राधिकरण के पास होगा

नीतियों, योजनाओं और दिशा-निर्देशों को निर्धारित करने की जिम्मेदारी

समय पर और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रबंधन

आपदा के लिए। ( 2 ) में निहित प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना

उप-धारा (1), राष्ट्रीय प्राधिकरण

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬▬

( क) आपदा प्रबंधन पर नीतियाँ निर्धारित करना; ( (ख) राष्ट्रीय योजना को मंजूरी देना।

( ग) मंत्रालयों या विभागों द्वारा तैयार की गई योजनाओं को मंजूरी देना।

राष्ट्रीय योजना के अनुसार भारत सरकार;

या भारत सरकार के विभागों के उद्देश्य के लिए आपदा की रोकथाम या शमन के उपायों को एकीकृत करना

उनकी विकास योजनाओं और परियोजनाओं में इसके प्रभाव;

( च) नीति के प्रवर्तन और कार्यान्वयन का समन्वय करना।

और आपदा प्रबंधन के लिए योजना;

( छ) शमन के उद्देश्य से धन के प्रावधान की सिफारिश करना;

( ज) महामारी से प्रभावित अन्य देशों को ऐसी सहायता प्रदान करना।

आपदाएँ जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं;

( i) आपदा की रोकथाम के लिए ऐसे अन्य उपाय करना, या

खतरनाक आपदा स्थिति या आपदा जैसा कि यह विचार कर सकता है आवश्यक;

( जे) के कार्यकरण के लिए व्यापक नीतियां और दिशा-निर्देश निर्धारित करें

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान।



( 3 ) राष्ट्रीय प्राधिकरण के अध्यक्ष के पास, आपातकाल की स्थिति में, राष्ट्रीय प्राधिकरण की सभी या किसी भी शक्ति का प्रयोग करने की शक्ति होगी, लेकिन ऐसी शक्तियों का प्रयोग अधीन होगा।

राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा पूर्व कार्योत्तर अनुसमर्थन "।

धारा 7 राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा सलाहकार समिति के गठन का प्रावधान करती है, जिसमें आपदा प्रबंधन के क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल होंगे और आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर सिफारिशें करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य या जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन का व्यावहारिक अनुभव होगा। इसके बाद अधिनियम की धारा 8 के अनुसार राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का गठन किया जाता है, जो अधिनियम के तहत अपने कार्यों के प्रदर्शन में राष्ट्रीय प्राधिकरण की सहायता करती है। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति में भारत सरकार का सचिव होगा, जो आपदा पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले केंद्र सरकार के मंत्रालय या विभाग का प्रभारी होगा। प्रबंधन, जो अध्यक्ष, पदेन, और मंत्रालयों या विभागों में भारत सरकार के सचिव होंगे

कृषि, परमाणु आदि का प्रशासनिक नियंत्रण, जैसा कि उल्लेख किया गया है

अधिनियम की धारा 8 (2) (बी)। अधिनियम की धारा 9 के अनुसार, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, जब भी आवश्यक समझे, अपने कार्यों के कुशल निर्वहन के लिए एक या अधिक उप-समितियों का गठन करती है। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की शक्तियाँ और कार्य इस प्रकार हैं -

अधिनियम की धारा 10 के अनुसार, और विशेष रूप से (ए) आपदा प्रबंधन के लिए समन्वय और निगरानी निकाय के रूप में कार्य करना।

राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन का समन्वय और निगरानी करना; (ग) राष्ट्रीय योजना के कार्यान्वयन और तैयार की गई योजनाओं की निगरानी करना।

भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों द्वारा; (घ) अपनी विकास योजनाओं और परियोजनाओं में मंत्रालयों या विभागों द्वारा आपदाओं की रोकथाम और शमन के उपायों को एकीकृत करने के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी करना; (ङ) विभिन्न

मंत्रालयों द्वारा किए जाने वाले शमन और तैयारी उपायों के बारे में निगरानी, समन्वय और निर्देश देना; या

आपदा स्थिति या आपदा; (छ) आपदा प्रबंधन में लगे मंत्रालयों या विभागों की गतिविधियों को सलाह, सहायता और समन्वय देना। अधिनियम की धारा 11 में एक योजना तैयार करने/तैयार करने का प्रावधान है जिसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीयल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन (आर. ई. जी. डी.) v कहा जाता है।

भारत संघ [एम. आर. शाह, जे.]

पूरे देश के लिए आपदा प्रबंधन के लिए "राष्ट्रीय योजना"। राष्ट्रीय योजना में शामिल होंगे -

( क) आपदाओं की रोकथाम या उनके प्रभावों को कम करने के लिए किए जाने वाले उपाय; ( ख) शमन उपायों के एकीकरण के लिए किए जाने वाले उपाय

विकास योजनाओं में;

( ग) किसी भी खतरनाक आपदा की स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए तैयारी और क्षमता निर्माण के लिए किए जाने वाले उपाय या

आपदा; (घ) उपायों के संबंध में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां।

खंड (ए), (बी) और (सी) में निर्दिष्ट।

अधिनियम की धारा 12 राहत के न्यूनतम मानकों के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा दिशानिर्देश जारी करने का प्रावधान करती है। धारा 13

अधिनियम ऋण आदि के पुनर्भुगतान में राहत प्रदान करता है, जिन पर नीचे एक उचित स्तर पर विचार किया जाएगा। अधिनियम की धारा 14 में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान है। इसी तरह

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संबंध में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जैसे प्रावधान किए गए हैं। धारा 33 में राज्य आपदा प्रबंधन योजना का प्रावधान है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और जिला योजना के संबंध में भी इसी तरह के प्रावधान किए गए हैं।

अधिनियम की धारा 35 आपदा प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए जाने वाले उपायों का प्रावधान करती है। धारा 35 निम्नानुसार है:

" 35. केंद्र सरकार कदम उठाएगी। ( 1 ) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, केंद्र सरकार ऐसे सभी उपाय करेगी जो वह निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए आवश्यक या समीचीन समझे:

आपदा प्रबंधन।

( 2 ) विशेष रूप से और उप-धारा (1) के प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केंद्र सरकार उस उप-धारा के तहत जो उपाय कर सकती है, उनमें निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के संबंध में उपाय शामिल हैं, अर्थात्:

( क) भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय प्राधिकरण के कार्यों का समन्वय,

राज्य प्राधिकरण, सरकारी और गैर-सरकारी

आपदा प्रबंधन के संबंध में संगठन; 15 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

( ख) आपदाओं की रोकथाम के लिए उपायों का एकीकरण सुनिश्चित करना।

और सरकार के मंत्रालयों या विभागों द्वारा शमन

भारत को उनकी विकास योजनाओं और परियोजनाओं में शामिल करना;

( ग) मंत्रालयों द्वारा आपदा की रोकथाम, शमन, क्षमता निर्माण और तैयारी के लिए धन का उचित आवंटन सुनिश्चित करना।

या भारत सरकार के विभाग;

( घ) यह सुनिश्चित करना कि भारत सरकार के मंत्रालय या विभाग किसी भी खतरनाक आपदा की स्थिति का तुरंत और प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए तैयारी के लिए आवश्यक उपाय करें या

आपदा;

( ङ) अनुरोध के अनुसार राज्य सरकारों को सहयोग और सहायता।

उनके द्वारा या अन्यथा उनके द्वारा उचित समझा गया;

( च) नौसेना, सैन्य और वायु सेना, संघ के अन्य सशस्त्र बलों या किसी अन्य नागरिक कर्मियों की तैनाती, जिसकी आवश्यकता हो।

इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए;

( छ) संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और विदेशी देशों की सरकारों के साथ समन्वय

इस अधिनियम के उद्देश्य;

( ज) अनुसंधान, प्रशिक्षण और विकास के लिए संस्थानों की स्थापना करना।

यह अधिनियम। ( 3 ) केंद्र सरकार बड़ी आपदा से प्रभावित अन्य देशों को ऐसी सहायता प्रदान कर सकती है जो वह उचित समझे।

अधिनियम की धारा 36 में भारत सरकार के मंत्रालयों के विभाजन की जिम्मेदारियों का प्रावधान है, जो निम्नानुसार है:

" 36. सरकार के मंत्रालयों या विभागों की जिम्मेदारियाँ

भारत से। यह प्रत्येक मंत्रालय की जिम्मेदारी होगी या

भारत सरकार का विभाग ( क) आपदाओं की रोकथाम, शमन के लिए आवश्यक उपाय करना,

तैयारी और क्षमता-के अनुसार निर्माण

राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देश; माल स्केल औद्योगिक मैन्युफैक्चर एसोसिएशन (आर. ई. जी. डी.) v. भारत संघ [एम. आर. शाह, जे.]

( ख) अपनी विकास योजनाओं और परियोजनाओं में आपदाओं की रोकथाम या शमन के उपायों को एकीकृत करना।

राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देश;

( ग) किसी भी खतरनाक आपदा के लिए प्रभावी ढंग से और तुरंत प्रतिक्रिया दें।

( घ) आपदाओं की रोकथाम, शमन या तैयारी के लिए आवश्यक प्रावधानों को शामिल करने की दृष्टि से इसके द्वारा प्रशासित अधिनियमों, इसकी नीतियों, नियमों और विनियमों की समीक्षा करना; ( ई) आपदा की रोकथाम, शमन, क्षमता निर्माण और तैयारी के उपायों के लिए धन आवंटित करना;

( च) राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने के लिए

शमन, तैयारी और प्रतिक्रिया योजनाएं तैयार करना,

( (i)

आपदा प्रबंधन के संबंध में कर्मियों का प्रशिक्षण; प्रभावितों में बचाव और राहत कार्य करना

( (ख)

क्षेत्र;

( iii)

किसी भी आपदा से होने वाले नुकसान का आकलन करना;

( (iv)

पुनर्वास और पुनर्निर्माण करना;

किसी भी खतरनाक आपदा की स्थिति या आपदा के लिए तुरंत और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया, जिसके लिए उपाय शामिल हैं ( i) किसी असुरक्षित क्षेत्र में आपातकालीन संचार प्रदान करना या

प्रभावित क्षेत्र;

कर्मियों और राहत सामग्री का परिवहन

( (ख)

प्रभावित क्षेत्र;

( iii) निकासी, बचाव, अस्थायी आश्रय या अन्य प्रदान करना।

तत्काल राहत;

( iv) अस्थायी पुलों, घाटों और उतरने के स्थानों की स्थापना; [2021] 15 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

( v) पेयजल, आवश्यक प्रावधान, स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना,

और प्रभावित क्षेत्र में सेवाएँ;

( ज) आपदा के लिए आवश्यक समझे जाने वाले अन्य कार्य करना। प्रबंधन "।

अधिनियम की धारा 37 में भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों की आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार करने का प्रावधान है। धारा 38 में राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपायों का प्रावधान है। 29. उपरोक्त से, यह कहा जा सकता है कि डी. एम. ए. 2005 अपने आप में एक पूर्ण कोड है और विभिन्न कार्यों और जिम्मेदारियों द्वारा

विभिन्न स्तरों पर निष्पादित किए जाने वाले विभिन्न प्राधिकरण प्रदान किए जाते हैं। अधिनियम की धारा 35 और 36 के अनुसार, आपदा की रोकथाम, शमन, तैयारी और क्षमता निर्माण के लिए आवश्यक उपाय करना मंत्रालय या भारत सरकार के विभाग की जिम्मेदारी होगी, जिसमें आपदा की तैयारी, शमन, क्षमता निर्माण और तैयारी के उपायों के लिए धन आवंटित करना शामिल होगा।

इसलिए, डी. एम. ए. 2005 के प्रासंगिक प्रावधानों, जिन्हें यहाँ ऊपर संदर्भित किया गया है, को संयुक्त रूप से पढ़ने पर, यह नहीं कहा जा सकता है कि सभी मंत्रालयों के कार्यों का निर्वहन एन. डी. एम. ए. द्वारा किया जाना है जो प्रत्येक मंत्रालय के क्षेत्र के बारे में निर्णय लेते हैं। यह भी नहीं कहा जा सकता है कि मंत्रालयों के कार्य एन. डी. एम. ए. को हस्तांतरित कर दिए जाएंगे और आपदा प्रबंधन के उद्देश्य से एन. डी. एम. ए. द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनका निर्वहन करना होगा। के अधीन विभिन्न मंत्रालय

आपदा के प्रभावों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार को अपने-अपने क्षेत्रों में विभिन्न राहत उपाय करने होते हैं। इन से निवेदनों से यह पता चलता है कि वास्तव में कोविड-19 महामारी से पहले ही एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना तैयार की जा चुकी है। राष्ट्रीय योजना के तहत, एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थागत तंत्र है, जिसे यहाँ ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है। उक्त योजना में विभिन्न आपदाओं के प्रबंधन के लिए नोडल मंत्रालयों की भी परिकल्पना की गई है। उदाहरण के लिए, यदि आपदा सूखे के कारण होती है, तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय नोडल एजेंसी होगा; यदि आपदा बाढ़ के कारण होती है, तो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय नोडल एजेंसी होगा और यदि आपदा "जैविक आपात स्थितियों" के कारण होती है, तो स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय नोडल एजेंसी होगा। कोविड-19 महामारी के कारण आपदा "जैविक आपात स्थितियों" के कारण आपदा की चपेट में आ जाएगी। हालांकि, ऐसा प्रतीत होता है कि कोविड-19 महामारी आपदा ऐसी प्रकृति की है कि इसे एक नोडल मंत्रालय और छोटे औद्योगिक प्रबंधन संगठन (आर. ई. जी. डी.) v. तक सीमित नहीं रखा जा सकता है।

भारत संघ [एम. आर. शाह, जे.]

जो भी उपाय/राहत लेने/देने की आवश्यकता है, वे प्रदान किए जाते हैं।

प्रत्येक मंत्रालय द्वारा प्रत्येक दिन की आवश्यकता होती है। इसलिए, विभिन्न मंत्रालयों जैसे रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आदि द्वारा विभिन्न राहत/पैकेज प्रदान किए जाते हैं। ऐसा भी प्रतीत होता है कि महामारी की प्रकृति को देखते हुए भी जिसका अखिल भारतीय स्तर पर प्रभाव पड़ेगा, अधिकार प्राप्त समूह थे

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा गठित। इसलिए, जब पहले से ही एक राष्ट्रीय योजना अस्तित्व में है, जो कोविड-19 महामारी से पहले भी तैयार की गई होगी, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि एन. डी. एम. ए. द्वारा कोई राष्ट्रीय योजना नहीं है। राष्ट्रीय योजना दीर्घकालिक और भविष्य में होने वाली आपदा के संबंध में भी होगी। प्रत्येक आपदा के लिए कोई नई राष्ट्रीय योजना नहीं होगी। राष्ट्रीय योजना

प्रकृति में व्यापक होगा जो पहले से ही अस्तित्व में है। इसलिए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिब्बल का यह निवेदन कि कोई राष्ट्रीय योजना नहीं है और इसलिए एन. डी. एम. ए. अपने कर्तव्य का पालन करने में विफल रहा है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

30. अब जहाँ तक संबंधित याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील की ओर से प्रस्तुत किया गया है कि एन. डी. एम. ए. अपना प्रदर्शन करने में विफल रहा है

अधिनियम की धारा 13 के तहत दिए गए कर्तव्य का संबंध है, शुरुआत में, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि धारा 13 में उपयोग किया गया शब्द "हो सकता है" और "होगा" नहीं है। कानून के तय किए गए प्रस्ताव के अनुसार, किसी विशेष प्रावधान की व्याख्या करते समय, उपयोग की जाने वाली भाषा को वैसे ही पढ़ा जाना चाहिए जैसे वह है। मेले में

धारा 13 को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि विधायिका ने जानबूझकर

"मे" शब्द का प्रयोग किया। इस "मई" का उपयोग समग्र रूप से अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य के साथ-साथ विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा रखी जाने वाली भूमिका, राज्य सरकार द्वारा रखी जाने वाली भूमिका, जिला स्तर पर जिला प्राधिकरण द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका पर विचार करने के बाद किया जाता है। वर्तमान मामले में, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को ऋणों के पुनर्भुगतान या नए ऋण देने के लिए पहले ही अलग-अलग पैकेज/राहत दे चुके हैं।

30.1 यहां तक कि केंद्र सरकार ने भी वित्त मंत्रालय और भारतीय रिज़र्व बैंक के माध्यम से आपदा प्रभावित उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार ने 'गरीब कल्याण पैकेज' की घोषणा की है। 2 लाख करोड़ रुपये, जिसमें मुफ्त खाद्यान्न, दालें, गैस सिलेंडर और महिलाओं, गरीब वरिष्ठ नागरिकों और किसानों को नकद भुगतान शामिल है; बिजली क्षेत्र, अचल संपत्ति क्षेत्र, एमएसएमई क्षेत्र जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए 'आत्मनिर्भर पैकेज'। केंद्र सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट-लिंक्ड गारंटी योजना भी शुरू की है।

सरकारी गारंटी और बिना किसी नए संपार्श्विक के कम ब्याज दर पर अतिरिक्त ऋण प्रदान करना। इस योजना को रेस्तरां और होटल क्षेत्रों सहित 27 कोविड-19 प्रभावित क्षेत्रों तक उच्च वित्तीय सीमाओं के साथ विस्तारित किया गया है। केंद्र सरकार ने भी एक करोड़ रुपये दिए हैं। 20,000 आतिथ्य क्षेत्र सहित दो लाख से अधिक संकटग्रस्त एमएसएमई इकाइयों के लिए आंशिक ऋण गारंटी के साथ अधीनस्थ ऋण। केंद्र सरकार ने भी एक करोड़ रुपये दिए हैं। 50,000 एम. एस. एम. ई. को विकास इक्विटी प्रदान करने के लिए करोड़ रुपये का कोष। केंद्र सरकार योजनाओं/लाभों की बेहतर पहुंच के लिए कारोबार सीमा में सुधार के लिए एमएसएमई की एक नई परिभाषा भी लेकर आई है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित अन्य राहत भी हैं। केंद्र सरकार ने भी मार्च से अगस्त, 2020 तक स्थगन की घोषणा की है। आई. बी. सी. के तहत कार्यवाही भी स्थगन अवधि के दौरान निलंबित कर दी जाती है।

30.2 डी. एम. ए. 2005 के प्रावधानों के अनुसार, एन. डी. एम. ए. द्वारा कार्यों के निर्वहन की जिम्मेदारियां और कार्य होंगे -

अधिनियम की धारा 6 तक सीमित। हालांकि, केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकार के मंत्रालयों को जमीनी स्तर पर आपदा प्रबंधन और राहत उपाय करने होंगे।

आपदा की आवश्यकता और केवल उस मामले में जहां एन. डी. एम. ए. संतुष्ट है कि पहले से घोषित राहत पर्याप्त नहीं हैं और/या धारा 13 में उल्लिखित राहत के संबंध में कोई कदम नहीं उठाए गए हैं, राष्ट्रीय प्राधिकरण ऋणों आदि के पुनर्भुगतान में राहत की सिफारिश कर सकता है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय प्राधिकरण अधिनियम की धारा 13 के तहत अपने कर्तव्य का पालन करने में विफल रहा है।

एन. डी. एम. ए. ने आर. बी. आई. द्वारा निपटाए जा रहे मुद्दों का भी संज्ञान लिया और ओ. एम. दिनांक 1 द्वारा दिए गए अपने "विचार और सिफारिशें" भेजी और एन. डी. एम. ए. ने यह भी राय व्यक्त की कि आर. बी. आई. वित्त मंत्रालय द्वारा जारी वित्तीय राहत पैकेजों के साथ-साथ अन्य राहत उपायों पर विचार करने के बाद, जो पहले ही आर. बी. आई. द्वारा जारी/घोषित किए जा चुके हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए और अधिक राहत देने पर विचार कर सकता है। एन. डी. एम. ए. के "विचार और सिफारिशें" आर. बी. आई. को दिनांकित 31.08.2020 पत्र के माध्यम से सूचित किया गया था। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि एन. डी. एम. ए. ने कोई कदम नहीं उठाया है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अधिनियम की धारा 13 के अनुसार भी, राष्ट्रीय प्राधिकरण ऋणों के पुनर्भुगतान या नए लघु औद्योगिक प्रबंधन संगठन (आर. ई. जी. डी.) के अनुदान में राहत "दे सकता है" और "सिफारिश" कर सकता है।

भारत संघ [एम. आर. शाह, जे.]

आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को ऐसी रियायती शर्तों पर ऋण जो उचित हो। इसके बाद, "विचारों और सिफारिशों" के अनुसार

एन. डी. एम. ए., आर. बी. आई. ने समाधान ढांचा तैयार किया है और

उसी के आधार पर ऋणदाताओं/बैंकरों ने अपने निदेशक मंडल की मंजूरी प्राप्त करने के बाद नीतियों के साथ सामने आए हैं। इस प्रकार, उपरोक्त से, यह नहीं कहा जा सकता है कि एन. डी. एम. ए. अधिनियम की धारा 13 के तहत अपने कर्तव्य का पालन करने में विफल रहा है। उपरोक्त से यह भी नहीं कहा जा सकता है कि कोई राष्ट्रीय योजना अस्तित्व में नहीं है।

31. अब जहां तक अधिस्थगन अवधि के दौरान दंडात्मक ब्याज/ब्याज/चक्रवृद्धि ब्याज के प्रभार का संबंध है, यह कायम है।

बिल्कुल अलग पायदान पर। इस स्तर पर यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि वास्तव में केंद्र सरकार ने बाद में एक नीतिगत निर्णय लिया है जिसके द्वारा 5 लाख रुपये तक के ऋण पर ब्याज नहीं लेने का निर्णय लिया गया है। 2 करोड़। हालांकि, इस तरह की राहत निम्नलिखित श्रेणियों तक ही सीमित है:

2 करोड़ रुपये तक के एमएसएमई ऋण

( (i)

( (ii) 2 करोड़ रुपये तक का शिक्षा ऋण

@ ( iii) 2 करोड़ रुपये तक का आवास ऋण (iv) 2 करोड़ रुपये तक का उपभोक्ता टिकाऊ ऋण (v) 2 करोड़ रुपये तक का क्रेडिट कार्ड बकाया (vi) 2 करोड़ रुपये तक का वाहन ऋण।

€ ( vii) पेशेवरों को एक लाख रुपये तक का व्यक्तिगत ऋण। 2 करोड़ ( viii) 2 करोड़ रुपये तक का उपभोग ऋण

एक लाख रुपये तक के ऋण के संबंध में ब्याज पर ब्याज नहीं लेने की छूट को प्रतिबंधित करने का कोई औचित्य नहीं दिखाया गया है। 2 केवल करोड़ और वह भी उपरोक्त श्रेणियों तक ही सीमित। इसे रुपये तक सीमित करने का क्या आधार है? 2 करोड़ आने वाले नहीं हैं। इसलिए, रुपये तक के ऋण के संबंध में इस तरह की राहत को प्रतिबंधित करने का कोई औचित्य नहीं है। 2 केवल करोड़। अन्यथा भी, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज/ब्याज की छूट/लाभ देने वाली दिनांक 1 की योजना में पात्रता मानदंड शामिल हैं और यह प्रावधान है कि कोई भी उधारकर्ता जिसकी ऋण देने वाली संस्था के साथ सभी सुविधाओं का योग रु। 2 करोड़ रुपये (स्वीकृत सीमा या बकाया राशि) उक्त योजना के तहत अनुग्रह भुगतान के लिए पात्र नहीं होंगे। इसलिए, यदि मंजूरी के अनुदान पर ऋण का कुल एक्सपोजर रुपये से अधिक है।

करोड़, उधारकर्ता अपात्र होगा चाहे वह वास्तविक क्यों न हो। उत्कृष्ट। उदाहरण के लिए, यदि उधारकर्ता को एक लाख रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया है। 5 करोड़ और उसी का लाभ उठाया है, भले ही उसने रुपये से कम की मूल राशि को काफी कम करके चुकाया हो।

2 29.02.2020 पर करोड़ रुपये, लेकिन रुपये से अधिक की ऋण राशि की मंजूरी के कारण। 2 करोड़, वह अयोग्य होगा। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि बकाया राशि रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। 2 करोड़ और इस उद्देश्य के लिए ऋण देने वाली संस्था के साथ सभी सुविधाओं का योग होगा गणना की जाए। इसलिए, उदाहरण के लिए, यदि किसी उधारकर्ता ने एमएसएमई श्रेणी का लाभ उठाया है और उस पर 500 करोड़ रुपये का व्यावसायिक ऋण बकाया है। 1.99 उसके क्रेडिट कार्ड पर भी करोड़ों रुपये का बकाया है। 1.10 लाखों, जिससे

अधिस्थगन अवधि के दौरान किश्त को जानबूझकर नहीं कहा जा सकता है और इसलिए ब्याज पर ब्याज लेने का कोई औचित्य नहीं है। अधिस्थगन के दौरान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज/दंडात्मक ब्याज। इसलिए, हमारी राय है कि किसी भी उधारकर्ता से अधिस्थगन के दौरान अवधि के लिए ब्याज/चक्रवृद्धि ब्याज/दंडात्मक ब्याज पर ब्याज का कोई शुल्क नहीं होगा और जो भी राशि हो।

अधिस्थगन के दौरान अवधि के लिए ब्याज/चक्रवृद्धि ब्याज/दंडात्मक ब्याज पर ब्याज के रूप में वसूल किया जाता है, इसे वापस कर दिया जाएगा और ऋण खाते की अगली किस्त में समायोजित/क्रेडिट दिया जाएगा।

32. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, राहत की मांग करने वाली वर्तमान याचिकाएं, अर्थात्, (i) अधिस्थगन अवधि के दौरान ब्याज की कुल माफी; (ii) अधिस्थगन की अवधि बढ़ाने के लिए; (iii) समाधान तंत्र के आह्वान के लिए अवधि बढ़ाने के लिए, अर्थात् 31.12.2020 परिपत्र के तहत प्रदान किया गया है; (iv) कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्षेत्रवार राहत प्रदान की जाएगी; और (v) कि केंद्र सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक को कुछ और राहत प्रदान करनी चाहिए।

पहले से ही दिए गए राहत पैकेज खारिज कर दिए गए हैं। कनेक्टेड आई. ए. का निपटान कर दिया गया है।



हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि इस अवधि के दौरान ब्याज/चक्रवृद्धि ब्याज/दंडात्मक ब्याज पर कोई ब्याज शुल्क नहीं लगेगा।

अधिस्थगन और एक ही शीर्ष के तहत पहले से वसूल की गई कोई भी राशि, अर्थात् ब्याज/दंडात्मक ब्याज/चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज संबंधित उधारकर्ताओं को वापस कर दिया जाएगा और इसमें क्रेडिट/समायोजन किया जाएगा।

ऋण खाते की अगली किस्त। इन सभी याचिकाओं को केवल उपरोक्त सीमा तक आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है और जैसा कि राहत के लिए देखा गया है, याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है। संबंधित उधारकर्ताओं के खातों को एन. पी. ए. के रूप में घोषित नहीं करने के लिए पहले दी गई अंतरिम राहत खाली है। हालांकि, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

2020 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 955

2020 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 955 का निपटारा भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वी. गिरि द्वारा दिए गए बयान के संदर्भ में किया गया है कि 27.03.2020 का परिपत्र सभी बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, आवास वित्त कंपनियों और अन्य वित्तीय संस्थानों पर अनिवार्य रूप से लागू होगा।

लेखन याचिकाओं की

आंशिक रूप से अनुमति है।

दिव्या पांडे